दृष्टि The Vision

मेन्स आंसर राइटिंग

(Consolidation)

फरवरी 2025

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर–1 ..... **3**

- इतिहास 3
- भारतीय समाज 7
- भूगोल 10
- भारतीय विरासत और संस्कृति 14

सामान्य अध्ययन पेपर–2 ..... **17**

- राजनीति और शासन 17
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 24
- सामाजिक न्याय 29

सामान्य अध्ययन पेपर–3 ..... **31**

- अर्थव्यवस्था 31
- आंतरिक सुरक्षा 32
- जैवविविधता और पर्यावरण 34
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी 37

सामान्य अध्ययन पेपर–4 ..... **41**

- केस स्टडी 41
- सैद्धांतिक प्रश्न 52

निबंध **63**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में सुभाष चंद्र बोस तथा सरदार पटेल के योगदान की तुलना कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभभाई पटेल के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान पर प्रकाश डालिये।
- राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डालिये।
- उनके योगदान की प्रमुख समानताएँ और अंतर बताइये।
- मुख्य बिंदुओं का सारांश देते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दो प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता-उपरांत राष्ट्र निर्माण में विशिष्ट योगदान दिया।

- सुभाष चंद्र बोस ने जहाँ एक ओर उग्रवादी दृष्टिकोण अपनाया और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिये बाह्य सैन्य सहायता की मांग की, वहीं दूसरी ओर सरदार वल्लभभाई पटेल ने एक व्यावहारिक रणनीति अपनाते हुए कॉन्ग्रेस के नेतृत्व में देश के भीतर आंदोलन को प्रबल किया।

मुख्य भाग:

भारत की स्वतंत्रता में योगदान

- **सुभाष चंद्र बोस**
  - **क्रांतिकारी राष्ट्रवाद:** बोस स्वतंत्रता के मार्ग के रूप में सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे।
    - उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन किया और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिये धुरी राष्ट्रों से सहायता की मांग की।
  - **आज़ाद हिंद सरकार:** वर्ष 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना की गई, जिसे कई देशों से मान्यता प्राप्त हुई।
  - **कॉन्ग्रेस के उदारवाद से मोहभंग:** कॉन्ग्रेस नेतृत्व के दृष्टिकोण से, विशेषकर गांधीजी और पटेल के दृष्टिकोण से असहमत थे, जिसके कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कॉन्ग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
- **सरदार वल्लभभाई पटेल**
  - **अहिंसक प्रतिरोध:** गांधीजी के करीबी सहयोगी के रूप में, पटेल ने अहिंसक सविनय अवज्ञा का पालन किया और बारदोली सत्याग्रह (वर्ष 1928) जैसे आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे संघर्ष में जन भागीदारी बढ़ी।
  - **भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका:** कॉन्ग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन (वर्ष 1942) के प्रमुख नेता के रूप में पटेल ने अपनी संगठनात्मक क्षमता से व्यापक विरोध सुनिश्चित किया।
  - **कॉन्ग्रेस नेतृत्व और व्यावहारिकता:** बोस के विपरीत, पटेल ने समझौता और राजनीतिक संगठन को प्राथमिकता दी, जिससे भारतीय राजनीति पर कॉन्ग्रेस की पकड़ मज़बूत हुई।

राष्ट्र निर्माण में योगदान

- **सुभाष चंद्र बोस**
  - **आर्थिक दृष्टि:** समाजवादी योजना और औद्योगीकरण का समर्थन किया, नेहरू के दृष्टिकोण के समान आर्थिक विकास में एक सुदृढ़ राज्य की भूमिका का प्रस्ताव रखा।
  - **धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक एकता:** बोस ने हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया और सांप्रदायिक राजनीति की निंदा की, हिंदू महासभा जैसे संगठनों को विभाजनकारी शक्ति बताया।
  - **देशभक्ति की भावना जागृत करना:** उनकी विचारधारा और नारे, जैसे 'तुम मुझे खून दो, और मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा' ने राष्ट्रवाद का एक व्यग्र रूप स्थापित किया, जिसने उत्तरोत्तर पीढ़ियों को प्रेरित किया।
- **सरदार वल्लभभाई पटेल**
  - **रियासतों का एकीकरण:** पटेल ने अनुनय और बल के मिश्रण का प्रयोग करके 560 से अधिक रियासतों (उदाहरण के लिये, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई, 1948 और जूनागढ़ का विलय) को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सिविल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण:** शासन और स्थायित्व में उनके महत्त्व को पहचानते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **निजी उद्यम पर ध्यान:** बोस के समाजवादी झुकाव के विपरीत, पटेल निजी उद्यम के प्रति अधिक सहानुभूति रखते थे तथा ऐसी आर्थिक नीतियों का समर्थन करते थे जो राज्य नियंत्रण को मुक्त बाज़ार सिद्धांतों के साथ संतुलित करती थीं।

बोस और पटेल के बीच मतभेद:

पहलू	सुभाष चंद्र बोस	सरदार वल्लभभाई पटेल
स्वतंत्रता संग्राम के प्रति दृष्टिकोण	ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का समर्थन किया	गांधीजी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा में विश्वास
कॉन्ग्रेस के साथ संबंध	कॉन्ग्रेस नेतृत्व के साथ टकराव; वर्ष 1939 में पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया	कॉन्ग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक के रूप में, निर्णय लेने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई
शासन पर दृष्टिकोण	समाजवादी योजना के साथ एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार का समर्थन किया	प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के साथ लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया
आर्थिक दर्शन	राज्य के नेतृत्व वाली आर्थिक योजना और तीव्र औद्योगिकीकरण का समर्थन किया	निजी उद्यम की प्रमुख भूमिका वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई

निष्कर्ष:

आधुनिक भारत दोनों नेताओं से प्रेरणा ले सकता है: बोस की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं देशभक्ति की दृष्टि, पटेल की शासन एवं एकता में व्यावहारिकता के साथ मिलकर एक सुदृढ़, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के लिये रोडमैप के रूप में काम कर सकती है।

प्रश्न : यह आकलन किस हद तक सही है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिये औरंगज़ेब की नीतियाँ ज़िम्मेदार थीं? इसके अतिरिक्त, साम्राज्य के विघटन में योगदान देने वाले अन्य कारणों की भी जाँच कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये।
- औरंगज़ेब की नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य के पतन पर चर्चा कीजिये।
- मुगल पतन में योगदान देने वाले अन्य कारकों पर प्रकाश डालिये।
- मुगल पतन के बाद की घटना का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

मुगल साम्राज्य के पतन के लिये प्राय: औरंगज़ेब की नीतियों, विशेषकर उसकी धार्मिक रूढ़िवादिता और लंबे सैन्य अभियानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

- यद्यपि औरंगज़ेब के शासनकाल ने निश्चित रूप से साम्राज्य को कमज़ोर करने में योगदान दिया, परंतु कई संरचनात्मक, आर्थिक और बाह्य कारकों ने भी अंततः इसके विघटन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

औरंगज़ेब की नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन

- **धार्मिक असहिष्णुता और मित्र राष्ट्रों का अलगाव**
  - औरंगज़ेब ने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को बदल दिया, जिससे हिंदुओं और सिखों में असंतोष फैल गया।
  - उन्होंने गैर-मुसलमानों पर जज़िया कर पुन: लागू कर दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया और बलात् धर्मांतरण कराया, जिससे राजपूत, मराठा, जाट और सिख अलग-थलग पड़ गये।
- **दक्कन नीति और सैन्य विस्तार**
  - दक्कन में औरंगज़ेब के आक्रामक विस्तार के कारण बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्ज़ा कर लिया गया, जो पहले मराठों के खिलाफ बफर राज्यों के रूप में काम करते थे।
    - मराठों के विरुद्ध उनके 25 वर्ष लंबे युद्ध (वर्ष 1680-1707) के कारण मुगल खजाना खाली हो गया, केंद्रीय प्रशासन को कमज़ोर पड़ गया तथा संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा।
- **मुगल कुलीनता और मनसबदारी व्यवस्था का कमज़ोर होना**
  - औरंगज़ेब के कुलीन वर्ग पर सख्त नियंत्रण से असंतोष उत्पन्न हुआ और गुटबाजी बढ़ गई।
  - जागीरदारी संकट इसलिये उत्पन्न हुआ क्योंकि जागीर के रूप में दी जाने वाली उपजाऊ भूमि की कमी थी, जिसके कारण सरदारों में असंतोष उत्पन्न हुआ और सैन्य प्रभावशीलता कमज़ोर हो गई।

मुगल पतन में योगदान देने वाले अन्य कारक:

- **कमज़ोर उत्तराधिकारी और उत्तराधिकार को लेकर युद्ध**
  - औरंगज़ेब की मृत्यु (वर्ष 1707) के बाद, साम्राज्य को उसके कमज़ोर और अयोग्य उत्तराधिकारियों के बीच उत्तराधिकार को लेकर बार-बार युद्धों से जूझना पड़ा।
    - कुलीन वर्ग और क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के लिये इस अस्थिरता का लाभ उठाया।
- **मुगल कुलीनता का पतन**
  - कुलीन वर्ग भ्रष्ट, विलासी और अकुशल हो गया तथा शासन की अपेक्षा व्यक्तिगत सुखों को प्राथमिकता देने लगा।
    - तूरानी, फारसियों, अफगानों और हिंदुस्तानियों के बीच राजनीतिक गुटबाजी ने केंद्रीय सत्ता को कमज़ोर कर दिया।
- **मुगल सेना का पतन**
  - मुगल सेना निम्नलिखित कारणों से अनुशासनहीन और विश्वासघाती हो गई:
    - मनसबदारी प्रणाली की अकुशलता, जहाँ सैनिकों को सम्राट के बजाय अपने कमांडरों के प्रति वफादार होना पड़ता था।
    - प्राय: विश्वासघात और द्रोह, जहाँ कुलीन वर्ग प्राय: व्यक्तिगत लाभ के लिये दुश्मन के साथ संपर्क करते थे।
- **आर्थिक संकट और कृषि में गिरावट**
  - उच्च कराधान और राजस्व मांगों के कारण किसान विद्रोह एवं आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया।
    - यूरोपीय प्रतिस्पर्द्धा और व्यापार मार्गों में व्यवधान के कारण व्यापार एवं वाणिज्य में गिरावट ने अर्थव्यवस्था को और भी कमज़ोर कर दिया।
- **विदेशी आक्रमण और बाह्य दबाव**
  - नादिर शाह के आक्रमण (वर्ष 1739) और 18वीं शताब्दी के मध्य में अहमद शाह अब्दाली के बार-बार आक्रमणों ने साम्राज्य को गंभीर रूप से कमज़ोर कर दिया, जिससे इसकी सैन्य कमज़ोरियाँ उजागर हो गईं।
    - पानीपत की तीसरी लड़ाई (वर्ष 1761) ने मुगल ताबूत में अंतिम कील सिद्ध हुई, क्योंकि साम्राज्य ने मराठों के हाथों अपनी सैन्य सर्वोच्चता खो दी।

निष्कर्ष:

मुगल साम्राज्य का पतन औरंगज़ेब की नीतियों, प्रशासनिक विफलताओं, आर्थिक संकटों और लगातार बाह्य आक्रमणों का परिणाम था। कमज़ोर केंद्र और बढ़ती क्षेत्रीय शक्तियों के कारण इसका पतन अवश्यंभावी हो गया, जिससे इसका अंतत: विघटन हो गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : "औपनिवेशिक भारत में जनजातीय विद्रोह न केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध थे, बल्कि वे स्वदेशी पहचान और स्वायत्तता के दावों का भी प्रतीक थे।" उपयुक्त उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में जनजातीय विद्रोहों की पृष्ठभूमि के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हुए उत्तर दीजिये।
- स्वदेशी पहचान और स्वायत्तता की अभिव्यक्ति के रूप में प्रमुख विद्रोहों पर प्रकाश डालिये।
- उनके प्रभाव और विरासत पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

औपनिवेशिक भारत में जनजातीय विद्रोह न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध के स्वत:स्फूर्त प्रतिक्रिया थे, बल्कि स्वदेशी पहचान और स्वायत्तता की सचेत अभिव्यक्ति भी थे। ब्रिटिश नीतियों, जिनमें नई भू-राजस्व प्रणालियों को लागू करने, धार्मिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप करने और पारंपरिक शासन को बाधित करने के प्रयास किये गे थे, को उनके जीवन शैली के लिये प्रत्यक्ष खतरे के रूप में देखा गया।

मुख्य भाग:

जनजातीय विद्रोह स्वदेशी पहचान और स्वायत्तता की अभिव्यक्ति के रूप में

- **पारंपरिक भूमि और संसाधनों की रक्षा**
  - संथाल विद्रोह (वर्ष 1855-56):
    - सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में वर्तमान झारखंड के संथालों ने ज़मींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया।
    - उन्होंने जमींदारी प्रथा, जिसने उनकी पारंपरिक भू-स्वामित्व संरचनाओं का स्थान ले लिया था,के लागू किये जाने का विरोध किया।
    - संथालों ने अपनी भूमि को पुन: प्राप्त करने के लिये ठाकुर (उनके अधिष्ठाता) से दैवीय प्रेरणा का दावा किया, जो उनकी जातीय पहचान और आध्यात्मिक स्वायत्तता का प्रतीक था।
  - कोल विद्रोह (वर्ष 1831-32):
    - बुद्धू भगत के नेतृत्व में छोटानागपुर की कोल जनजातियों ने ब्रिटिश भूमि नीतियों के तहत अपनी भूमि बाह्य लोगों को हस्तांतरित किये जाने के खिलाफ विद्रोह किया।
    - यह विद्रोह केवल आर्थ से संबद्ध नहीं था बल्कि अपनी सामाजिक-राजनीतिक पहचान को बचाए रखने का संघर्ष था, क्योंकि कोल पारंपरिक रूप से अपने ग्राम का प्रबंधन जनजातीय परिषदों के माध्यम से करते थे।
  - रम्पा विद्रोह (वर्ष 1879-80):
    - आंध्र प्रदेश की पहाड़ी जनजातियों ने वन विनियमन अधिनियम के खिलाफ विद्रोह किया, जिसने भोजन और आजीविका के लिये वनों तक उनके अभिगम को प्रतिबंधित कर दिया था।
    - यह विद्रोह प्राकृतिक संसाधनों पर स्वायत्तता के लिये एक लड़ाई थी, जो पर्यावरण के साथ उनके गहन संबंध को दर्शाता है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं का संरक्षण**
  - खोंड विद्रोह (वर्ष 1837-1856):
    - ओडिशा के खोंडों ने उस समय विद्रोह कर दिया जब अंग्रेज़ों ने उनकी मेरिया (मानव बलि) प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं का केंद्र थी।
    - यह विद्रोह न केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध था, बल्कि उनकी धार्मिक स्वायत्तता का भी दावा था, क्योंकि वे अंग्रेज़ों को बाहरी लोग मानते थे, जो उनपर विदेशी मूल्यों को थोप रहे थे।
  - मुंडा विद्रोह (वर्ष 1899-1900):
    - बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए इस विद्रोह का उद्देश्य मुंडा राज (स्व-शासन) को स्थापित करना और ब्रिटिश द्वारा लागू की गई सामंती भूमि नीतियों को खारिज़ करना था, जिसके तहत जनजातीय भूमि को दिकुओं को हस्तांतरित किया जा रहा था।
    - बिरसा मुंडा ने अपने लोगों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान की कल्पना की थी तथा हिंदू ज़मींदारों और ईसाई मिशनरियों दोनों को अस्वीकार करने का आह्वान किया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह विद्रोह एक राजनीतिक संघर्ष के साथ-साथ एक सामाजिक-धार्मिक आंदोलन भी था, जो स्वशासन के लिये आदिवासी आकांक्षाओं को दर्शाता था।

- **स्वशासन और राजनीतिक स्वायत्तता का दावा**
  - भील विद्रोह (वर्ष 1818-1831):
    - पश्चिमी भारत के भीलों ने ब्रिटिश भूमि और कराधान नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया।
    - उनका विद्रोह अपने पारंपरिक प्रमुखों के अधीन स्वशासन को पुन: प्राप्त करने तथा अपने राजनीतिक कार्यढाँचे में बाह्य हस्तक्षेप का विरोध करने के लिये था।
  - कुकी विद्रोह (वर्ष 1917-1919):
    - प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेज़ों ने मणिपुर की कुकी जनजातियों को बलात् श्रम के लिये भर्ती करने का प्रयास किया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया।
    - यह विद्रोह जनजातीय स्वतंत्रता का एक सशक्त दावा था, जिसमें उन्होंने अपने समुदाय पर ब्रिटिश सत्ता को अस्वीकार किया था।
  - खासी विद्रोह (वर्ष 1829-1833):
    - तीरथ सिंह के नेतृत्व में मेघालय के खासियों ने अपने क्षेत्र से होकर सड़क बनाने के ब्रिटिश प्रयासों का विरोध किया, जिससे उनकी स्वायत्तता को खतरा था।
    - यह विद्रोह सिर्फ भूमि के लिये विरोध नहीं था बल्कि अपनी मातृभूमि पर औपनिवेशिक नियंत्रण के खिलाफ प्रतिरोध था।

प्रभाव और विरासत

- जनजातीय पहचान को बल मिला: कई विद्रोहों, विशेषकर संथाल और मुंडा विद्रोहों ने जातीय गौरव एवं एकता की भावना को बल दिया तथा जनजातीय चेतना को दृढ़ किया।
- भावी जनजातीय आंदोलनों को प्रेरणा: भूमि अलगाव और आर्थिक शोषण के खिलाफ प्रतिरोध स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा, जिसने बाद के जनजातीय अधिकार आंदोलनों को प्रभावित किया।
- जनजातीय स्वायत्तता की मान्यता: इन विद्रोहों ने अंतत: स्वतंत्र भारत में जनजातीय समुदायों के लिये संवैधानिक सुरक्षा उपायों में योगदान दिया, जिसमें स्वशासन के लिये पाँचवीं और छठी अनुसूची के प्रावधान भी शामिल थे।

निष्कर्ष

औपनिवेशिक भारत में जनजातीय विद्रोह केवल आर्थिक या राजनीतिक प्रतिरोध नहीं थे, बल्कि स्वदेशी पहचान, सांस्कृतिक संरक्षण और स्वशासन के शक्तिशाली दावे थे। यद्यपि अधिकांश विद्रोहों को दबा दिया गया, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र भारत में जनजातीय अधिकारों, स्वशासन और संवैधानिक सुरक्षा के लिये भविष्य के संघर्षों की नींव रखी।

भारतीय समाज

प्रश्न : "भारत में जनजातीय समुदायों को अपनी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और मुख्यधारा के विकास के साथ एकीकरण की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत में जनजातियों की वर्तमान स्थिति को परिभाषित करते हुए उत्तर दीजिये तथा बताइये कि उनका सांस्कृतिक संरक्षण और मुख्यधारा के साथ एकीकरण क्यों महत्त्वपूर्ण है।
- सांस्कृतिक संरक्षण और मुख्यधारा के साथ एकीकरण में चुनौतियों का गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- सांस्कृतिक संरक्षण और विकास के बीच संतुलन के लिये उपाय सुझाइये।
- एक भविष्यदर्शी कथन के साथ निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत में जनजातीय समुदाय, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है (जनगणना- 2011 के अनुसार), ऐतिहासिक रूप से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए, अपनी विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए स्वदेशी परंपराओं को संरक्षित करते आए हैं।

- उनके सांस्कृतिक संरक्षण तथा मुख्यधारा के साथ एकीकरण के बीच संतुलन बनाना उनके सशक्तीकरण और सतत् विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

सांस्कृतिक संरक्षण में चुनौतियाँ:

- **भूमि हस्तांतरण और विस्थापन**
  - खनन, बाँध और औद्योगिकीकरण जैसी बड़े पैमाने की विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीय समुदायों को विस्थापित होना पड़ा है, जिससे उनकी पारंपरिक जीवनशैली बाधित हुई है।
  - उदाहरण: ओडिशा के डोंगरिया कोंध ने नियमगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन का विरोध किया क्योंकि इससे उनकी पवित्र भूमि और पारंपरिक आजीविका को खतरा था।
- **पारंपरिक आजीविका का नुकसान**
  - जनजातीय समुदाय स्थानांतरणशील कृषि, पशुपालन और वन आधारित गतिविधियों पर निर्भर हैं।
  - उदाहरण: हिमालय में रहने वाली अर्द्ध-खानाबदोश चलवासी जनजाति वन गुज्जरों को वन्यजीव संरक्षण कानूनों के कारण मौसमी प्रवास पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है।
- **स्वदेशी ज्ञान और प्रथाओं का क्षरण**
  - जैसे-जैसे युवा पीढ़ी शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रही है, पारंपरिक औषधीय ज्ञान, कला और धारणीय कृषि पद्धतियाँ लुप्त होती जा रही हैं।
  - उदाहरण: अरुणाचल प्रदेश की अपतानी जनजाति चावल उत्पादन और मात्स्यिकी का कार्य करती है, जो एक अत्यधिक संधारणीय पद्धति है, लेकिन इसके भुला दिये जाने का खतरा है।
- **शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक समरूपीकरण**
  - मुख्यधारा की शिक्षा और शहरी जीवन शैली के कारण पारंपरिक भाषा, वेशभूषा एवं रीति-रिवाज़ का ह्रास हो रहा है।
  - उदाहरण: नीलगिरी की टोडा जनजाति को अपनी विशिष्ट टोडा भाषा के प्रयोग में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे स्कूलों में व्यापक रूप से नहीं पढ़ाया जाता है।

मुख्यधारा के विकास के साथ एकीकरण में चुनौतियाँ

- **सामाजिक-आर्थिक हाशिये पर**
  - जनजातीय समुदायों को कम साक्षरता दर, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और सीमित रोज़गार के अवसरों का सामना करना पड़ता है।
  - उदाहरण: आरक्षण के बावजूद, अनुसूचित जनजातियों के लिये सकल नामांकन अनुपात (GER) उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय औसत से कम (AISHE रिपोर्ट 2020-21) है।
- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का कमज़ोर कार्यान्वयन**
  - FRA जनजातीय समुदायों के भूमि अधिकारों को मान्यता देता है, लेकिन इसका कार्यान्वयन धीमा और अप्रभावी है।
  - उदाहरण: वर्ष 2019 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी संरक्षण में अंतराल को उजागर करते हुए 1 मिलियन से अधिक वनवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया।
- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण**
  - जलवायु परिवर्तन वर्षा के पैटर्न, जैव-विविधता और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को प्रभावित करता है, जिससे जनजातीय आजीविका अधिक असुरक्षित हो जाती है।
  - उदाहरण: मेघालय की खासी जनजाति में अनियमित मानसून के कारण परंपरागत स्थानांतरणशील कृषि में गिरावट देखी गई है।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष**
  - बढ़ते निर्वनीकरण और आवास की क्षति के कारण वन्य जीव मानव बस्तियों के निकट आ रहे हैं, जिससे जीवन एवं आजीविका को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
  - उदाहरण: वर्ष 2014-2022 के दौरान हाथियों के हमलों के कारण 3938 मानव मौतें दर्ज (MoEFCC रिपोर्ट) की गईं।

विकास के साथ सांस्कृतिक संरक्षण का संतुलन:

- **विकास नीतियों में स्वदेशी ज्ञान को मान्यता देना और एकीकृत करना**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- जनजातीय समुदायों की संधारणीय प्रथाओं का दस्तावेज़ीकरण किया जाना चाहिये तथा पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में शामिल किया जाना चाहिये।
- उदाहरण: दक्षिण भारत के कडार लोग पुनर्योजी संसाधन संग्रहण का अभ्यास करते हैं, जिससे वन स्थायित्व सुनिश्चित होता है।

- **पारिस्थितिकी पर्यटन और सतत् आजीविका को बढ़ावा देना**
  - समुदाय-आधारित पारिस्थितिकी-पर्यटन से जनजातीय संस्कृति और जैव-विविधता को संरक्षित रखते हुए आय का सृजन किया जा सकता है।
  - उदाहरण: अंगामी जनजाति द्वारा प्रबंधित खोनोमा गाँव (नगालैंड) द्वारा इको-पर्यटन मॉडल का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है।
- **वन अधिकारों और समुदाय-आधारित संरक्षण को सुदृढ़ करना**
  - संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाना चाहिये और FRA का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  - उदाहरण: अरुणाचल प्रदेश में इदु मिशमी जनजाति ने अपने वन के कुछ हिस्सों को सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है।
- **जनजातीय हस्तशिल्प और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना**
  - जनजातीय कारीगरों को समर्थन देने के लिये TRIFED और वन धन योजना जैसी सरकारी पहलों का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - उदाहरण: कर्नाटक की हक्की-पिक्की जनजाति हर्बल उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन करती है, जिससे पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हुए आर्थिक लाभ सुनिश्चित होता है।
- **जनजातीय पहचान को संरक्षित करने के लिये शैक्षिक सुधार**
  - भाषाई और सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये स्कूल पाठ्यक्रमों में जनजातीय भाषाओं एवं सांस्कृतिक अध्ययनों को शामिल किया जाना चाहिये।
  - उदाहरण: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) का उद्देश्य सांस्कृतिक जड़ों को बनाए रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

निष्कर्ष

जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिये एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सांस्कृतिक संरक्षण को समावेशी विकास के साथ संतुलित करता हो। FRA कार्यान्वयन, इको-टूरिज़्म, स्वदेशी उद्योगों और शैक्षिक सुधारों को मज़बूत करने से उनका सतत् एकीकरण सुनिश्चित होगा।

प्रश्न : कृषि के बढ़ते व्यावसायीकरण ने ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं और लैंगिक संबंधों को कैसे रूपांतरित किया है? समकालीन प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:
- कृषि के व्यावसायीकरण के प्रभाव के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हुए उत्तर दीजिये।
- ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं और लिंग संबंधों पर प्रभावों की चर्चा कीजिये।
- एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

बाज़ारोन्मुखी उत्पादन, मशीनीकरण और कृषि व्यवसाय के एकीकरण द्वारा संचालित कृषि के व्यावसायीकरण ने ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं और लैंगिक संबंधों को महत्त्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। यद्यपि इसने ग्रामीण आय और कृषि उत्पादकता में वृद्धि की है, फिर भी इसने सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ाया है, पारंपरिक श्रम गतिशीलता में परिवर्तन किया है और ग्रामीण भारत में लैंगिक असमानताओं को भी बढ़ावा दिया है।

मुख्य भाग:

ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं पर प्रभाव:

- **कृषि पूंजीवाद और वर्ग स्तरीकरण का उदय**
  - जीविका कृषि से नकदी फसलों और अनुबंध कृषि की ओर संक्रमण से बड़े भूस्वामियों को लाभ हुआ है, जबकि लघु और भूमिहीन किसान हाशिये पर चले गए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- काश्तकार और बटाईदार किसान प्राय: बढ़ती लागत के कारण संघर्ष करते हैं, जिसके कारण ग्रामीण ऋणग्रस्तता और पलायन होता है।

- **पारंपरिक जाति-आधारित व्यवसायों का पतन**
  - व्यावसायीकरण ने जजमानी (पारंपरिक सेवा) प्रणाली पर निर्भरता कम कर दी है, जिससे जाति-आधारित श्रम विभाजन असंतुलित हो गया है।
  - मशीनीकरण ने दलितों और निम्न जाति के श्रमिकों को विस्थापित कर दिया है, जो ऐतिहासिक रूप से प्रमुख कृषि श्रमिक के रूप में काम करते थे।
- **भू-स्वामित्व पैटर्न में परिवर्तन**
  - कृषि व्यवसाय, अनुबंध कृषि और कॉर्पोरेट कृषि के लिये भूमि की बढ़ती मांग के कारण भूमि का एकीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में सीमित हो गया है।
  - भूमि पट्टे एवं किरायेदारी अनुबंध आम हो गए हैं, जिससे लघु और सीमांत किसानों के लिये भूमि का स्वामित्व असुरक्षित हो गया है।

लैंगिक संबंधों पर प्रभाव:

- **सशक्तीकरण के बिना कृषि का स्त्रीकरण**
  - पुरुषों के पलायन के कारण, ग्रामीण भारत में 75% महिला श्रमिक अब कृषि में कार्यरत हैं, लेकिन उनके पास भूमि स्वामित्व एवं ऋण, प्रौद्योगिकी और इनपुट तक अभिगम का अभाव है।
  - महिलाओं के बढ़ते कार्यभार के बावजूद उन्हें अधिक वित्तीय स्वायत्तता नहीं मिली है, क्योंकि भूमि स्वामित्व अभी भी पुरुषों के हाथ में (भारत में केवल 13% महिलाओं के पास भूमि है) है।
- **घरेलू लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव**
  - महिलाओं ने कृषि में अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ उठा ली हैं, फिर भी घरेलू कामकाज़ और देखभाल का बोझ उन पर ही रहता है।
  - कृषि उत्पादन में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बावजूद, कृषि गतिविधियों में निर्णय लेने में अभी भी परिवार के पुरुष सदस्यों का वर्चस्व है।
- **वेतन और रोज़गार के अवसरों में लैंगिक असमानता**
  - महिला कृषि श्रमिकों को समान कार्य के लिये पुरुषों की तुलना में 20-30% कम भुगतान किया जाता है।
  - व्यावसायीकरण के कारण पारंपरिक कृषि-आधारित गतिविधियों जैसे बीज संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण और पशुपालन में महिलाओं की नौकरियाँ खत्म हो गई हैं, जो अब मशीनीकृत या औद्योगिक हो गई हैं।
- **महिला सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों का उदय**
  - पुरुष-प्रधान कृषि नीतियों का मुकाबला करने के लिये, महिलाओं ने वित्तीय और सामाजिक सशक्तीकरण हासिल करने के लिये स्वयं सहायता समूहों (SHG) और सहकारी समितियों (जैसे: केरल में सेवा, कुडुम्बश्री) में संगठन किया है।
  - महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP) जैसी पहल का उद्देश्य कृषि में महिलाओं की भूमिका को पहचान देना और सुदृढ़ करना है।

निष्कर्ष:

ग्रामीण भारत में कृषि के व्यावसायीकरण ने वर्ग और लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा दिया है, जिससे बड़े भू-स्वामियों को लाभ हुआ है जबकि लघु किसानों और महिलाओं को हाशिये पर रखा गया है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद, भूमि अधिकार, ऋण और निर्णय लेने में संस्थागत बाधाएँ बनी हुई हैं। भूमि सुधार, लिंग-संवेदनशील नीतियाँ और समावेशी ऋण सुलभता जैसे नीतिगत उपाय समतापूर्ण ग्रामीण विकास के लिये आवश्यक हैं।

भूगोल

प्रश्न : जलवायु और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रमुख जलवायु क्षेत्र के उदाहरणों के साथ विश्लेषण कीजिये कि विश्व के विभिन्न जलवायु क्षेत्र अपने प्राकृतिक वनस्पति प्रतिरूप को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? **(250 शब्द)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हल करने का दृष्टिकोण:

- जलवायु और वनस्पति के बीच अंतर्संबंध के संदर्भ में संक्षेप में बताते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति पर जलवायु के प्रभाव को बताइये।
- जलवायु और वनस्पति के बीच अन्योन्याश्रयता पर प्रकाश डालिये।
- इस संबंध में व्यवधान उत्पन्न करने वाले कारकों पर प्रकाश डालते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

विश्व भर में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, वितरण और विशेषताओं को निर्धारित करने में जलवायु निर्णायक भूमिका निभाती है।

- तापमान, वर्षा, आर्द्रता और मौसमी विविधताएँ पादप प्रजातियों की वृद्धि एवं अस्तित्व को प्रभावित करती हैं जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में वनस्पति प्रतिरूप में भिन्नता होती है।
- यह परस्पर निर्भरता पारिस्थितिकी तंत्र, जैवविविधता और यहाँ तक कि मानव आजीविका को भी आयाम देती है।

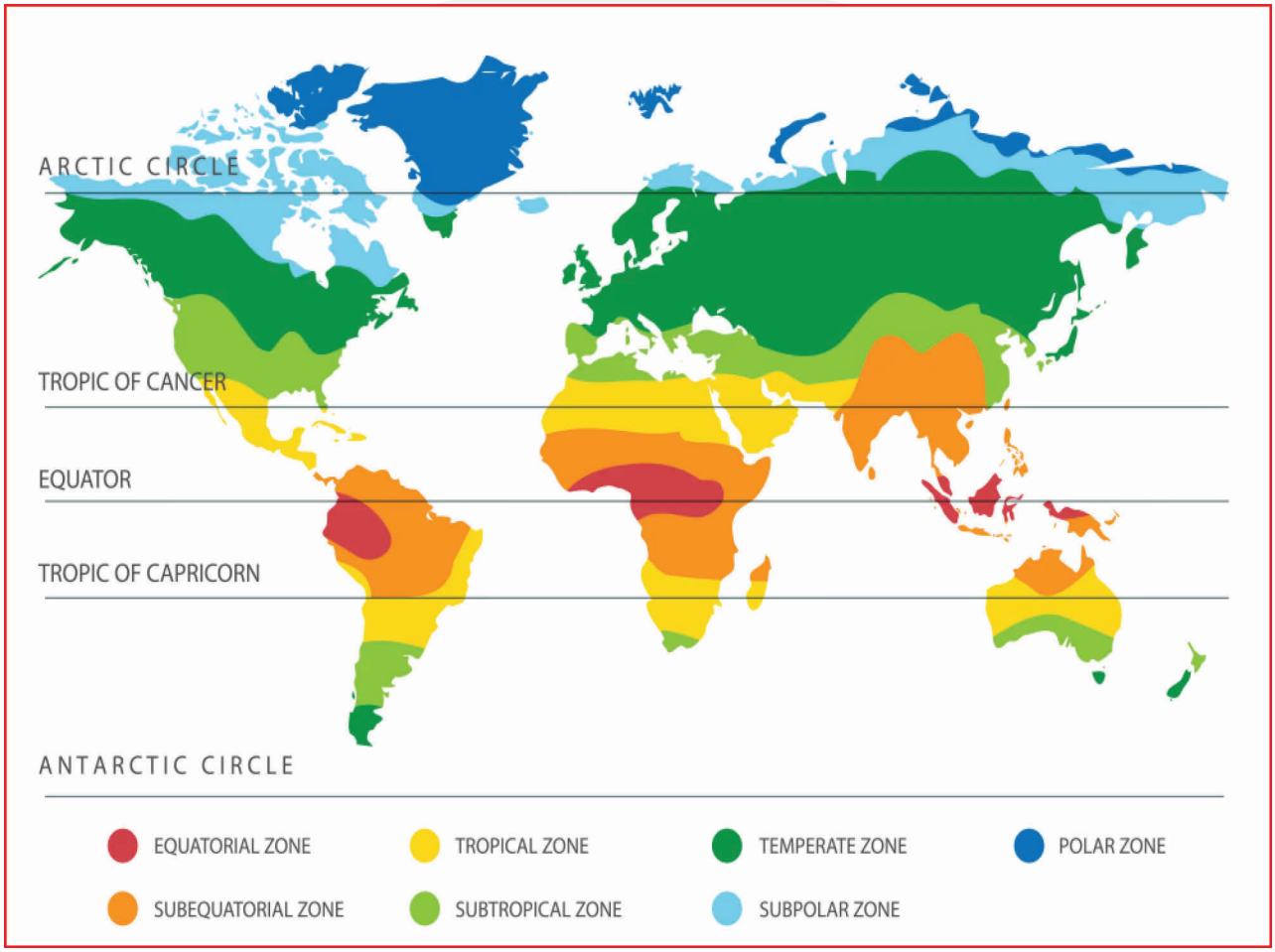

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति पर जलवायु का प्रभाव

- **उष्णकटिबंधीय जलवायु और वनस्पति**
  - उष्णकटिबंधीय वर्षावन (भूमध्यरेखीय जलवायु)
    - जलवायु: पूरे वर्ष उच्च तापमान (25-30 डिग्री सेल्सियस) और पर्याप्त वर्षा (2000 मिमी. से अधिक)।
    - वनस्पति: बहु-स्तरित वृक्ष आवरण वाले घने, सदाबहार वन। प्रमुख प्रजातियों में महोगनी, आबनूस, रबड़ और शीशम शामिल हैं।
      - उदाहरण: अमेज़न वर्षावन (दक्षिण अमेरिका), कांगो बेसिन (अफ्रीका)।
  - उष्णकटिबंधीय घास के मैदान (सवाना जलवायु)
    - जलवायु: विशिष्ट आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के साथ गर्म तापमान; मध्यम वर्षा।
    - वनस्पति: हाथी घास जैसी ऊँची घासें, बाओबाब और बबूल जैसे विरल वृक्षों की प्रजाति।
    - उदाहरण: अफ्रीकी सवाना (सेरेन्गेटी) और ब्राज़ीलियाई कैम्पोस।
- **शुष्क जलवायु और वनस्पति**
  - मरुस्थल (शुष्क जलवायु)
    - जलवायु: उच्च तापमान, कम वर्षा और वृहत दैनिक तापमान परिवर्तन।
    - वनस्पति: विरल वनस्पति जिसमें सूखा सहिष्णु पौधे जैसे कैक्टस, बबूल और खजूर शामिल हैं।
      - उदाहरण: सहारा (अफ्रीका), थार (भारत) और अटाकामा (दक्षिण अमेरिका)।
  - स्टेपी (अर्द्ध शुष्क जलवायु)
    - जलवायु: कम-से-मध्यम वर्षा, चरम शीत और उष्ण ग्रीष्मकाल।
    - वनस्पति: फेदर ग्रास और बफैलो ग्रास जैसी छोटी घासें एवं वृक्ष।
      - उदाहरण: यूरेशियन स्टेप्स, उत्तरी अमेरिकी प्रेयरीज़ और पैटागोनियन स्टेप्स।
- **समशीतोष्ण जलवायु और वनस्पति**
  - शीतोष्ण पर्णपाती वन
    - जलवायु: मध्यम वर्षा (750-1500 मिमी), ग्रीष्मकाल गर्म और शीतकाल ठंडा।
    - वनस्पति: चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वृक्ष जैसे ओक, मेपल, बीच और बर्च।
      - उदाहरण: पूर्वी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया (चीन, जापान)।
  - शीतोष्ण घास के मैदान
    - जलवायु: मध्यम वर्षा, उष्ण ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियाँ।
    - वनस्पति: यहाँ वीट ग्रास और राईग्रास जैसी बारहमासी घासें पाई जाती हैं, तथा पेड़ बहुत कम हैं।
      - उदाहरण: प्रेयरीज़ (अमेरिका), पम्पास (अर्जेंटीना), वेल्ड्स (दक्षिण अफ्रीका), और स्टेप्स (यूरेशिया)।
- **शीत जलवायु और वनस्पति**
  - टैगा (बोरियल वन: उप-आर्कटिक जलवायु)
    - जलवायु: लंबी, चरम शीतकाल और छोटी, शीत ग्रीष्म ऋतु; मध्यम वर्षा
    - वनस्पति: पाइन, स्प्रूस, देवदार और लार्च वाले शंकुधारी वन।
      - उदाहरण: कनाडा, स्कैंडिनेविया और साइबेरिया।
  - टुंड्रा (ध्रुवीय जलवायु)
    - जलवायु: अत्यधिक शीत तापमान (सालों भर हिमांक से नीचे का तापमान), कम वर्षा (300 मिमी. से कम)।
    - वनस्पति: काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियों के साथ वृक्षविहीन परिदृश्य।
      - उदाहरण: ग्रीनलैंड, आर्कटिक कनाडा और उत्तरी रूस।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पर्वतीय जलवायु और वनस्पति (अल्पाइन क्षेत्र)**
  - जलवायु: तुंगता के साथ बदलती रहती है; कम तुंगता वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण जलवायु होती है, जबकि उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में टुंड्रा जलवायु होती है।
  - वनस्पति:
    - निचली ढलानें: पर्णपाती वन (ओक, चेस्टनट)।
    - मध्य तुंगता: शंकुधारी वन (चीड़, देवदार)।
    - उच्च तुंगता वाले क्षेत्र: छोटी घासों और झाड़ियों वाले अल्पाइन घास के मैदान।
    - उदाहरण: हिमालय, रॉकीज़, एंडीज़, आल्प्स।

जलवायु और वनस्पति के बीच अन्योन्याश्रय संबंध

- वृद्धि पर तापमान नियंत्रण: गर्म क्षेत्रों में घने वन होते हैं, जबकि शीत क्षेत्रों में विरल, सहिष्णु वनस्पति होती है।
  - इसके अलावा, वनस्पति जलवायु संतुलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उदाहरण के लिये अमेज़न वर्षावन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं।
- वर्षा और पौधों का घनत्व: अधिक वर्षा के कारण वनों की प्रचुरता होती है, जबकि शुष्क क्षेत्रों में शुष्क वनस्पति होती है।
- मौसमी परिवर्तन और पर्णपाती प्रकृति: समशीतोष्ण क्षेत्रों में, वृक्ष जल-संरक्षण और ठंड से बचने के लिये सर्दियों में पत्तियाँ गिरा देते हैं।
- ऊँचाई प्रभाव: पर्वतीय क्षेत्रों में ऊँचाई के साथ वनस्पति में परिवर्तन होता है, जो अक्षांशीय जलवायु परिवर्तनों के अनुरूप होता है।

निष्कर्ष:

विभिन्न जलवायु क्षेत्र अलग-अलग बायोम को जन्म देते हैं, जैवविविधता को आयाम देते हैं और मानव गतिविधि को प्रभावित करते हैं। हालाँकि यह नाज़ुक संतुलन जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण और मानव अतिक्रमण से लगातार खतरे में है, जिससे आवास का नुकसान एवं पारिस्थितिक असंतुलन हो रहा है। आगे बढ़ते हुए जलवायु और वनस्पति के बीच प्राकृतिक सामंजस्य को बनाए रखने के लिये संधारणीय भूमि-उपयोग प्रथाएँ, वनीकरण और जलवायु-अनुकूल संरक्षण रणनीतियाँ आवश्यक हैं।

प्रश्न : श्रेणी भूकंप (earthquake swarms) क्या हैं? वे सामान्य झटकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- श्रेणी भूकंप को परिभाषित करते हुए उत्तर दीजिये।
- श्रेणी भूकंप के कारण और उदाहरण प्रस्तुत कीजिये।
- श्रेणी भूकंप और मेनशॉक-आफ्टरशॉक सीक्वेंस के बीच मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिये।
- अनुकूलन उपायों पर प्रकाश डालते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

श्रेणी भूकंप (earthquake swarms) लघु-से-मध्यम स्तर के भूकंपीय झटकों का एक क्रम है जो बिना किसी मेनशॉक के, एक के बाद एक तेज़ी से आते हैं।

- सामान्य भूकंपों के विपरीत, जो मेनशॉक-आफ्टरशॉक सीक्वेंस के पैटर्न का अनुसरण करते हैं, श्रेणी भूकंप में समान परिमाण के कई भूकंप होते हैं।

मुख्य भाग:

श्रेणी भूकंप के कारण:

- तरल गति: मैग्मा से निकले तरल पदार्थ या सक्रिय भूतापीय तंत्रों के भीतर प्रवाहित होने वाले तरल पदार्थ भ्रंशों का स्नेहन करते हैं, जिससे भूकंप आ सकता है।
  - ये तरल पदार्थ दरारों और विभंगों से होकर गुजरते हैं, जिससे अनेक छोटे पैमाने की भूकंपीय घटनाएँ होती हैं।
- सक्रिय ज्वालामुखीयता: सतह के नीचे मैग्मा की गतिविधि तनाव उत्पन्न करती है, जिससे भूप-पंटी में दरार पड़ जाती है और श्रेणी भूकंप जैसी गतिविधियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - ऐसे मामलों में भूकंपीय घटनाएँ आमतौर पर दरार के शीर्ष के समीप होती हैं, जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है।
- **मंद गति से होने वाली घटनाएँ:**
  - ये मंद गति के भूकंप हैं जिनमें सप्ताहों या वर्षों तक क्रमिक भ्रंश गति होती है।
  - इन्हें सामान्यत: सब्डक्शन ज़ोन (प्रविष्ठन क्षेत्र) में देखा जाता है, जैसे कि न्यूज़ीलैंड के निकट हिकुरंगी सब्डक्शन ज़ोन।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

श्रेणी भूकंप के उदाहरण:

- भारत: नवंबर 2018 से, महाराष्ट्र के दहानु में श्रेणी भूकंप की घटना दर्ज की गई है, जिसमें प्रतिदिन 10-20 भूकंप आते हैं, जो आमतौर पर <3.5 की तीव्रता के होते हैं।
- फिलीपींस: बटांगास में एक श्रेणी भूकंप की घटना (अप्रैल-अगस्त 2017) हुई।
- यूरोप: पश्चिमी बोहेमिया/वोग्टलैंड क्षेत्र (चेकिया-जर्मनी) में निरंतर श्रेणी भूकंप की घटना होती है।
- मध्य अमेरिका: अल साल्वाडोर (अप्रैल 2017) में, एंटीगुओ कुस्काटलान में दो दिनों में लगभग 500 भूकंप दर्ज किये गए।

भूकंप के झटकों और मुख्य झटकों-बाद के झटकों के बीच मुख्य अंतर

मानदण्ड	मेनशॉक-आफ्टरशॉक सीक्वेंस	श्रेणी भूकंप
मेनशॉक	एक निश्चित मेनशॉक (सबसे बड़ी घटना) है	कोई विशिष्ट मेनशॉक नहीं
आफ्टरशॉक	मेनशॉक के बाद घटित होता है, समय के साथ इसकी आवृत्ति कम होती जाती है	कोई स्पष्ट आफ्टरशॉक पैटर्न नहीं
अवधि	कई दिनों, हफ्तों, महीनों या वर्षों तक चल सकता है (वृहत घटना के लिये)	आमतौर पर यह कम समय तक रहता है, लेकिन कई सप्ताह से लेकर कई महीनों तक रह सकता है
क्षेत्र	विवर्तनिक भ्रंश गतिविधियों से संबंधित	ज्वालामुखी, भूतापीय या जलतापीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं
कारण	निर्मित भूकंपीय तनाव का आकस्मिक निर्मुक्त होना	तरल की गति, मैग्मा गतिविधि या मंद गति-फिसलन के कारण होता है

निष्कर्ष:

भूकंप के छोटे परिमाण के बावजूद, श्रेणी भूकंप की आवृत्ति और अप्रत्याशितता बहुत बड़े जोखिम उत्पन्न कर सकती है। इसलिये, केंद्रित निगरानी और समय पर अनुकूली उपाय, जैसे कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली एवं भूकंपीय तैयारी, संभावित नुकसान को कम करने तथा भूकंपीय गतिविधि के झटकों से ग्रस्त क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं।

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न : "किस प्रकार दक्कन की समन्वयकारी परंपराओं ने, विशेषकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों के अधीन, भारत की समग्र संस्कृति में योगदान दिया।" चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में समन्वयवाद पर प्रकाश डालिये।
- भारत की समग्र संस्कृति पर उनके प्रभाव पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- विविधताओं के बावजूद उनके महत्त्व का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

परिचय:

मध्यकालीन भारत में दक्कन क्षेत्र दो प्रमुख शक्तियों - बहमनी सल्तनत (1347-1527) और विजयनगर साम्राज्य (1336-1646) के उदय का साक्ष्य बना।

- अपने राजनीतिक और धार्मिक विविधताओं के बावजूद, इन राज्यों ने एक समन्वित संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें स्वदेशी हिंदू परंपराओं को फारसी, इस्लामी और क्षेत्रीय प्रभावों के साथ मिश्रित किया गया।

मुख्य भाग:

बहमनी साम्राज्य में समन्वयवाद:

- **कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी/ महानगरीय समाज**
  - बहमनी साम्राज्य विविध जातियों का मिश्रण था, जिसमें फारसी, अरब, तुर्क, अफगान, अब्देसिनियन और स्थानीय दक्कन हिंदू शामिल थे।
  - इस साम्राज्य की शासन व्यवस्था में हिंदुओं को भी प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया तथा धार्मिक सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया गया।
  - सुल्तान फिरोज़ शाह बहमनी और विजयनगर की राजकुमारी के बीच विवाह ने हिंदू-मुस्लिम संबंधों को मज़बूत किया।
- **भाषा और साहित्य**
  - बहमनी संरक्षण में फारसी, अरबी और उर्दू (दखिनी बोली) का विकास हुआ।
  - विविध समूहों के बीच, दक्खिनी उर्दू, जो कि हिंदुस्तानी का एक प्रारंभिक रूप था, एक आम भाषा बन गयी।
  - सूफी संत ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसू दराज़ ने भाषाई संलयन को बढ़ावा देते हुए दखिनी उर्दू में रचनाएँ की।
- **इंडो-इस्लामिक वास्तुकला**
  - बहमनी शासकों ने फारसी स्थापत्य कला के तत्त्वों को शामिल किया, लेकिन स्थानीय शैलियों को भी अपनाया।
  - इसकी विशेषताओं में ऊँची मीनारें, मज़बूत मेहराब, बड़े गुंबद और विशाल प्रांगण शामिल हैं, जो निम्नलिखित में देखे गए:
    - गुलबर्ग: जामा मस्जिद, हफ्ता गुम्बज़।
    - बीदर: मोहम्मद गवान का मदरसा, रंगीन महल।
    - बीजापुर: गोल गुम्बज़, इब्राहिम रोज़ा।
- **सूफी प्रभाव और सांस्कृतिक एकीकरण**
  - सूफीवाद ने हिंदू और इस्लामी परंपराओं को एकीकृत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - बहमनी शासकों ने सूफी संतों का सम्मान किया, जिसके परिणामस्वरूप दरगाह संस्कृति का उदय हुआ, जिसमें सभी समुदायों के अनुयायियों का स्वागत किया गया।

विजयनगर साम्राज्य में समन्वयवाद:

- **धार्मिक और सामाजिक सद्भाव**
  - यद्यपि विजयनगर साम्राज्य मुख्यत: हिंदू था, फिर भी इसने विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई।
  - मुसलमानों को प्रशासन और सेना में प्रतिनिधित्व दिया गया।
- **भाषा और साहित्य**
  - कन्नड़, तेलुगु और तमिल दरबारी भाषाओं के रूप में विकसित हुईं।
  - प्रारंभिक काल में द्विभाषी शिलालेख (कन्नड़-तेलुगु, संस्कृत-फारसी) मौजूद थे, जो सांस्कृतिक अंतर्मिश्रण को दर्शाते हैं।
- **कला और वास्तुकला**
  - विजयनगर वास्तुकला, हालाँकि मुख्यत: द्रविड़ थी, लेकिन इसमें विशेष रूप से धर्मनिरपेक्ष संरचनाओं में भारतीय-इस्लामी प्रभावों को अपनाया गया था।
  - रानी का स्नानघर, कमल महल और हाथी अस्तबल में विशिष्ट इस्लामी स्थापत्य कला की विशेषताएँ जैसे मेहराबदार दरवाज़े, गुंबद व ज्यामितीय पैटर्न प्रदर्शित होते हैं।
- **संगीत और नृत्य**
  - विजयनगर काल में कर्नाटक संगीत का विकास हुआ, जो स्वदेशी और फारसी दोनों तत्त्वों से प्रभावित था।
  - भरतनाट्यम और यक्षगान (एक नृत्य-नाट्य रूप) को संरक्षण दिया गया, जिसमें क्षेत्रीय लोक और शास्त्रीय परंपराओं का मिश्रण था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **विदेशी आगंतुकों का प्रभाव**
  - अब्दुर रज्ज़ाक, निकोलो कोंटी और डोमिंगो पेस के यात्रा वृत्तांत विजयनगर एवं उसके बहुजातीय समाज की भव्यता पर प्रकाश डालते हैं।
  - फारसी यात्रियों ने हिंदू-मुस्लिम व्यापार संबंधों का उल्लेख किया है, जो विचारों के जीवंत समन्वय को दर्शाता है।

भारत की समग्र संस्कृति पर प्रभाव:

- भाषाई सम्मिश्रण: दक्खिनी उर्दू के विकास ने बाद में हिंदुस्तानी के विकास के लिये मंच तैयार किया।
- वास्तुकला संश्लेषण: दक्कन की इंडो-इस्लामिक विशेषताओं ने मुगल और बाद में सल्तनत वास्तुकला को प्रभावित किया।
- धार्मिक सद्भाव: अनेक समुदायों के सह-अस्तित्व ने धार्मिक ध्रुवीकरण को कम किया और सांस्कृतिक बहुलवाद को बढ़ावा दिया।
- कलात्मक सम्मिश्रण: विजयनगर के कर्नाटक संगीत और बहमनी सूफी परंपराओं ने भारत की विविध कलात्मक विरासत में योगदान दिया।

निष्कर्ष:

विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों ने अपने संघर्षों के बावजूद एक-दूसरे को प्रभावित किया और एक सामंजस्यपूर्ण, बहु-धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारतीय समाज की नींव रखी। उनके योगदान ने भारत की समन्वयकारी परंपराओं को आयाम दिया, धार्मिक और सांस्कृतिक एकीकरण की एक स्थायी विरासत को बढ़ावा दिया।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति और शासन

प्रश्न : "भारतीय संविधान की छठी अनुसूची कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती है, लेकिन इसके कारण शासन से जुड़ी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं।" समकालीन भारत में छठी अनुसूची की प्रासंगिकता और इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- छठी अनुसूची के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर देते हुए इसके द्वारा दी गई स्वायत्तता पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- छठी अनुसूची के अंतर्गत शासन में चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- समकालीन भारत में छठी अनुसूची की प्रासंगिकता बताइये।
- छठी अनुसूची की प्रासंगिकता को उभरती आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के उपाय सुझाइये।
- एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ उत्तर को समाप्त कीजिये।

परिचय:

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची संविधान सभा द्वारा गठित बोरदोलोई समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती है, जिससे जनजातीय अधिकारों एवं सांस्कृतिक पहचान की रक्षा होती है।

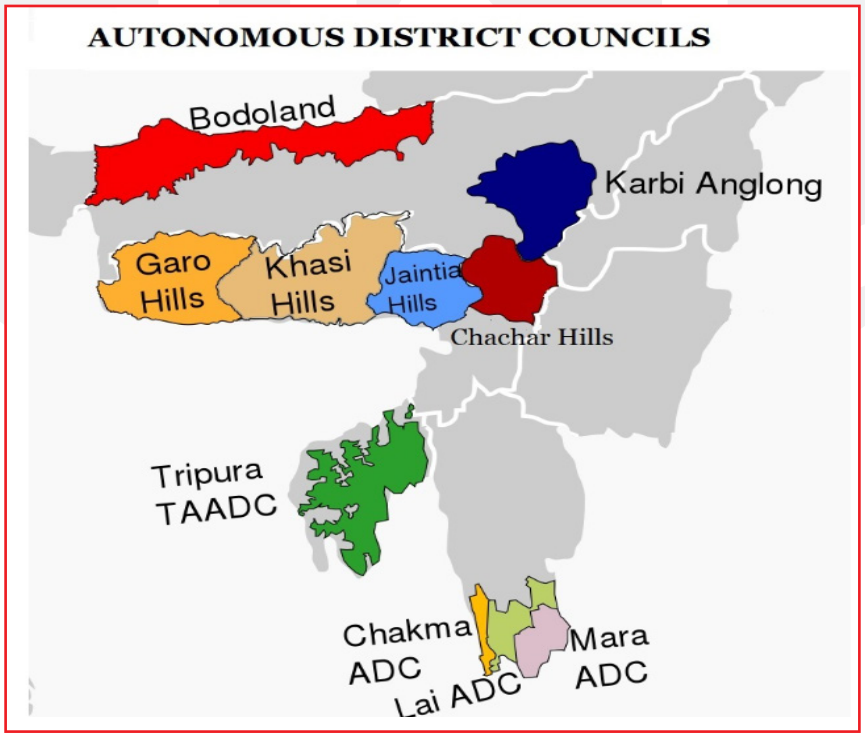

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

छठी अनुसूची द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता:

- ADC के माध्यम से स्वशासन: स्वायत्त ज़िला परिषदों (ADC) के पास भूमि, वन (आरक्षित वनों को छोड़कर), उत्तराधिकार और न्याय प्रशासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिये विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियाँ हैं।
- विकेंद्रीकृत शासन: स्थानीय जनजातीय निकायों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर विकास गतिविधियों, राजस्व संग्रह और व्यापार के विनियमन का प्रशासन करने के लिये सशक्त बनाता है। (उदाहरण के लिये, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद स्थानीय शिक्षा और कल्याण योजनाओं का प्रबंधन करती है)
- विकास के लिये विशेष प्रावधान: अनुसूची राज्यपाल को कानूनों को संशोधित करने या छूट देने की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कानून स्थानीय सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को पूरा करते हैं। (उदाहरण के लिये, छठी अनुसूची के सिद्धांतों के अनुरूप अनुच्छेद 371A के तहत नगालैंड के लिये विशेष छूट)।

छठी अनुसूची के अंतर्गत शासन संबंधी चुनौतियाँ

- राज्य और केंद्र की नीति में भिन्नता: केंद्र और राज्य सरकारों के नीति निर्देशों को प्राय: ज़िला परिषदों द्वारा क्षमता या संसाधनों की कमी का हवाला देकर क्रियान्वित नहीं किया जाता है, जिससे अपेक्षित शासन सुधारों में विलंब या बाधा उत्पन्न होती है।
- अंतर-जनजातीय संघर्ष: एक एकल ADC प्राय: विविध हितों वाले कई जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे प्रतिस्पर्द्धा और संघर्ष (उदाहरण के लिये, असम के दीमा हसाओ में संघर्ष) होता है।
- वित्तीय बाधाएँ: केंद्र और राज्य सरकारों से अपर्याप्त वित्तीय अंतरण विकासात्मक गतिविधियों को सीमित करता है।
  - विकासात्मक आवश्यकताओं के बजाय जनसंख्या के आकार के आधार पर धन का आवंटन असमानताएँ उत्पन्न करता है।
- अन्य जनजातीय क्षेत्रों का अपवर्जन: कई जनजातीय बहुल क्षेत्र, जैसे लद्दाख और मणिपुर के कुछ हिस्से, समान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये छठी अनुसूची के तहत शामिल किये जाने की मांग करते हैं।

समकालीन भारत में छठी अनुसूची की प्रासंगिकता

- जनजातीय पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण: ये प्रावधान जनजातीय रीति-रिवाजों, परंपराओं और भाषा की रक्षा करने में मदद (उदाहरण के लिये, मेघालय में खासी और गारो भाषाओं को ADC के माध्यम से मान्यता और प्रोत्साहन दिया गया है) करते हैं, तथा बाह्य प्रभावों के कारण सांस्कृतिक ह्रास को रोकते हैं।
- जनजातीय भूमि और संसाधनों का संरक्षण: जनजातीय भूमि को गैर-जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है, आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा शोषण को रोकता है। (उदाहरण के लिये, मेघालय में कोयला खनन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वदेशी लोगों के लिये एक ऐतिहासिक जीत है, जिससे उनकी भूमि और संसाधनों की सुरक्षा हुई है।)
- सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ आर्थिक विकास: छठी अनुसूची जनजातीय समुदायों को उनकी पारंपरिक जीवन शैली से समझौता किये बिना क्षेत्रीय विकास से लाभान्वित करने की अनुमति देकर संतुलित आर्थिक विकास की सुविधा प्रदान करती है।
  - यह जनजातीय मूल्यों के अनुरूप सतत् विकास पहल को बढ़ावा देने में मदद करता है।

छठी अनुसूची की प्रासंगिकता को उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उपाय:

- वित्तीय सशक्तीकरण: जनसंख्या-आधारित दृष्टिकोण के बजाय आवश्यकता-आधारित निधि आवंटन तंत्र समान विकास सुनिश्चित कर सकता है।
- पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन: स्वतंत्र लेखापरीक्षा तंत्र और सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थापना से पारदर्शिता में सुधार हो सकता है तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है।
- संघर्ष समाधान तंत्र: अंतर-जनजातीय विवादों को सुलझाने और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये विशेष आयोग स्थापित किये जा सकते हैं।
- नागरिक समाज के साथ सहयोग: ADC, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय जनजातीय संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने से शासन में अंतराल को समाप्त करने में मदद मिल सकती है तथा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विकास परियोजनाएँ स्थानीय समुदायों की वास्तविक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ये संगठन छठी अनुसूची के तहत प्रदत्त अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं।

- नीतिगत सुधार और समीक्षा: छठी अनुसूची के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा आवश्यक है।
  - किसी भी नीतिगत सुधार में जनजातीय आबादी की उभरती आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित सुरक्षा प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहे।

निष्कर्ष:

छठी अनुसूची जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा और स्वशासन को बढ़ावा देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण साधन बनी हुई है। वित्तीय सशक्तीकरण, प्रशासनिक सुधार और अधिक समावेशिता को शामिल करते हुए समय-समय पर समीक्षा एवं रणनीतिक संवर्द्धन, इसके प्रभाव को अनुकूलित करने तथा जनजातीय समुदायों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने में इसकी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।

प्रश्न : "सहकारी संघवाद प्रतिस्पर्द्धी संघवाद का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जबकि सहयोगात्मक संघवाद अब भी एक आदर्श बना हुआ है।" बदलते केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में इस प्रवृत्ति का विश्लेषण कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में संघवाद की बदलती प्रकृति के बारे में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- केंद्र-राज्य संबंधों की बदलती प्रकृति के समर्थन में तर्क दीजिये।
- सहयोगात्मक संघवाद को मज़बूत करने के उपाय सुझाइये।
- एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

संविधान में एकात्मक और संघीय विशेषताओं को मिलाकर "राज्यों का संघ" की परिकल्पना की गई है और भारत में संघवाद एक गतिशील प्रक्रिया है, जो ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों द्वारा आकार लेती है।

मुख्य भाग:

केंद्र-राज्य संबंधों का बदलता स्वरूप:

- **सहकारी संघवाद:**
  - अवधारणा: एक संरचित, नीति-संचालित दृष्टिकोण जहाँ केंद्र और राज्य समन्वित योजना एवं वित्तीय अंतरण के माध्यम से साझा राष्ट्रीय लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करते हैं।
  - प्रमुख विशेषताएँ:
    - योजना आयोग के माध्यम से केंद्रीकृत योजना (वर्ष 1950-2014) .
    - नीति समन्वय के लिये निश्चित तंत्र, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद (वर्ष 1952-2014)।
  - उदाहरण:
    - हरित क्रांति (वर्ष 1960-70 का दशक): कृषि विकास पर केंद्र-राज्य सहयोग।
    - सर्व शिक्षा अभियान (वर्ष 2001): शिक्षा के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसे राज्य की भागीदारी से क्रियान्वित किया गया।
  - चुनौतियाँ:
    - अति-केंद्रीकरण ने राज्यों की स्वायत्तता को सीमित कर दिया।
    - कठोर वित्तपोषण संरचनाएँ, अकुशलता को जन्म देती हैं।
    - वित्तीय आवंटन का राजनीतिकरण, सत्तारूढ़ दल के राज्यों को लाभ पहुँचाना।
- **प्रतिस्पर्द्धी संघवाद:**
  - अवधारणा: राज्य आर्थिक संसाधनों, निवेश, केंद्र पर निर्भरता कम करने और दक्षता को बढ़ावा देने के लिये सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
  - परिवर्तन के चालक:
    - आर्थिक उदारीकरण (वर्ष 1991) ने विकेंद्रीकृत आर्थिक निर्णय-प्रक्रिया को जन्म दिया।
    - योजना आयोग को समाप्त करने (वर्ष 2014) से केंद्रीय आर्थिक नियोजन कम हो गया तथा राज्य-प्रेरित विकास पर ज़ोर दिया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- 14वें वित्त आयोग (वर्ष 2015) ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय स्वायत्तता (हालाँकि बाद में 15वें वित्त आयोग द्वारा इसे घटाकर 41% कर दिया गया) मिली।
- आकांक्षी
  - इसके अलावा, भारत के 15वें वित्त आयोग (FC) ने राज्यों को अनुदान आवंटित करते समय कर प्रयास को 2.5% महत्त्व दिया।

- उदाहरण:
  - आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (वर्ष 2018): सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार के लिये प्रदर्शन-आधारित वित्त पोषण।
  - उदय योजना (वर्ष 2015): विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिये राज्यों के लिये प्रतिस्पर्द्धी मॉडल।
- चिंताएँ:
  - क्षेत्रीय असमानताएँ: धनी राज्य अधिक निवेश आकर्षित करते हैं तथा गरीब राज्य पीछे रह जाते हैं।
    - राजकोषीय तनाव: कमज़ोर राजस्व आधार वाले राज्यों को प्रतिस्पर्द्धा करने में संघर्ष करना पड़ता है।
  - बाज़ार शक्तियों पर अत्यधिक निर्भरता, सामाजिक कल्याण उद्देश्यों की संभावित उपेक्षा को जन्म देती है।

- **सहयोगात्मक संघवाद: प्रगति पर एक दृष्टिकोण**
  - अवधारणा: सहकारी संघवाद (जो केंद्र द्वारा संरचित और समन्वित है) के विपरीत, सहयोगात्मक संघवाद अधिक लचीला है, जिसमें स्वैच्छिक भागीदारी, सर्वोत्तम अभ्यास साझाकरण और राज्यों के बीच तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच नीतियों का सह-विकास शामिल है।
  - सहयोग के प्रयास:
    - GST परिषद (वर्ष 2017): केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त कर नीति निर्माण के लिये एक संरचित मंच।
    - राज्य-नेतृत्व वाली पहल: इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना में गोदावरी नदी के 80 TMC अधिशेष जल को कृष्णा नदी में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है जिसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच साझा किया जाएगा।
  - सहयोग में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ:
    - निर्णय लेने का केंद्रीकरण:
      - NEET परीक्षा नीति: कुछ राज्यों के विरोध के बावजूद एक समान मानक लागू किये गए।
    - राजकोषीय असंतुलन:
      - GST मुआवज़े में विलंब (वर्ष 2020 के बाद) से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ा।

सहयोगात्मक संघवाद को मज़बूत करने के उपाय:

- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:**
  - अंतर्राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) को एक सक्रिय विवाद समाधान निकाय के रूप में पुनर्जीवित किया जाएगा।
  - निष्पक्ष राजकोषीय वितरण सुनिश्चित करने के लिये वित्त आयोग की भूमिका को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
    - बेहतर स्थानीय शासन के लिये राज्य वित्त आयोगों को सशक्त बनाया जाना चाहिये।
- **संतुलित राजकोषीय अंतरण:**
  - राज्यों को समय पर GST मुआवज़ा सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  - केंद्र के विवेकाधीन अनुदान और उपकर में कमी लाकर राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिये।
- **स्वैच्छिक सहयोग को प्रोत्साहित करना:**
  - सर्वोत्तम प्रथाओं (जैसे: सतत् शहरी विकास, डिजिटल शासन) के आदान-प्रदान के लिये राज्य-संचालित नीति नेटवर्क स्थापित की जानी चाहिये।
  - क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (जैसे, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य औद्योगिक गलियारों के लिये मिलकर काम करें) को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **आम सहमति आधारित निर्णय लेना:**
  - NITI आयोग को नीतिगत आम सहमति बनाने में मदद करनी चाहिये, न कि केवल राज्यों की रैंकिंग करनी चाहिये।
  - सह-विधान मॉडल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जहाँ केंद्र और राज्य दोनों प्रमुख राष्ट्रीय नीतियों का मसौदा तैयार कर सकें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष:

एक सच्चे संतुलित संघीय ढाँचे के लिये संस्थागत मज़बूती, राज्यों के लिये वित्तीय स्वायत्तता और स्वैच्छिक सहयोग के लिये तंत्र की आवश्यकता होती है। विश्वास आधारित केंद्र-राज्य संबंधों को बढ़ावा देकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि संघवाद समावेशी विकास, सुशासन और राष्ट्रीय विकास के लिये एक शक्ति बना रहे, क्योंकि ***'मज़बूत राज्य एक मज़बूत राष्ट्र बनाते हैं'***।

प्रश्न : "राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ संघीय सामंजस्य के बजाय संवैधानिक टकराव का स्रोत बन गई हैं।" इस संदर्भ में भारत में राज्यपाल के कार्यालय में सुधार के उपायों पर चर्चा कीजिये।
(250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- राज्यपाल के कार्यालय के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी देकर उत्तर प्रस्तुत दीजिये।
- राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और संवैधानिक टकराव पर प्रकाश डालिये।
- संघीय सद्भाव को सुदृढ़ करने के लिये सुधार कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल भारत के संघीय संरचना को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- हालाँकि, विवेकाधीन शक्तियों (अनुच्छेद 163 के तहत) के बढ़ते प्रयोग (विशेष रूप से विधेयकों पर सहमति, सरकार गठन और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने जैसे क्षेत्रों में) के कारण केंद्र एवं राज्यों के बीच टकराव उत्पन्न हो गया है।
- इससे संघीय सद्भाव, राजनीतिक तटस्थता और संवैधानिक औचित्य को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं।

मुख्य भाग:

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ और संवैधानिक टकराव:

- **विधायी विवेक**
  - विधेयकों पर स्वीकृति रोकना या विलंब करना (अनुच्छेद 200, 201): राज्यपाल प्राय: विधेयकों पर स्वीकृति में विलंब करते हैं या उन्हें राष्ट्रपति के लिये आरक्षित रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विधायी निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है।
    - उदाहरण: तमिलनाडु (2023) में राज्यपाल ने कई विधेयकों को रोक दिया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।
- **राजनीतिक विवेक**
  - त्रिशंकु विधानसभा में सरकार गठन: स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव के कारण राज्यपाल अपनी पसंद की पार्टियों को आमंत्रित कर सकते हैं।
    - उदाहरण: कर्नाटक (वर्ष 2018) में राज्यपाल ने बिना बहुमत समर्थन वाली पार्टी को 15 दिन का समय दिया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कम कर दिया था।
  - राष्ट्रपति शासन की सिफारिश (अनुच्छेद 356): प्राय: विपक्ष के नेतृत्व वाली सरकारों को अस्थिर करने के लिये इसका दुरुपयोग किया जाता है।
    - उदाहरण: उत्तराखंड (वर्ष 2016) में राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की।
- **प्रशासनिक और संस्थागत भागीदारी**
  - विश्वविद्यालय नियुक्तियों में हस्तक्षेप: राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपालों ने निर्वाचित सरकारों को दरकिनार कर दिया है।
    - उदाहरण: पश्चिम बंगाल (वर्ष 2023) में एकतरफा कुलपति नियुक्तियों के कारण कानूनी लड़ाई हुई।

संघीय सद्भाव को सुदृढ़ करने के लिये सुधार:

- विधेयकों पर स्वीकृति के लिये समय-सीमा निर्धारित करना: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपालों को 'यथाशीघ्र' कार्यवाही करनी चाहिये।
  - पुंछी आयोग (वर्ष 2010) ने विधेयक पर विचार के लिये छह महीने की सीमा का सुझाव दिया था।
- सरकार गठन के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश: सरकारिया और पुंछी आयोगों ने मनमाने निर्णयों को रोकने के लिये स्पष्टता की आवश्यकता पर बल दिया।
  - एक संरचित क्रम का पालन करना:
    - चुनाव पूर्व गठबंधन
    - सबसे बड़ी पार्टी
    - चुनाव-पश्चात गठबंधन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में सुधार: नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श, जैसा कि सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था।
  - पुंछी आयोग (वर्ष 2010) ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल गैर-राजनीतिक व्यक्ति होने चाहिये।
- राज्यपालों को जवाबदेह बनाना: असंवैधानिक निर्णयों को रोकने के लिये ***(रामेश्वर प्रसाद केस, 2006)*** राज्यपालों के कार्यों की न्यायिक समीक्षा।
  - पारदर्शिता के लिये राज्यपालों को वार्षिक रिपोर्ट राज्य सभा को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया।
- **अंतिम उपाय के रूप में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356):**
  - एस.आर. बोम्मई निर्णय (वर्ष 1994): राष्ट्रपति शासन अंतिम उपाय होना चाहिये और न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिये।
  - सरकारिया आयोग ने संपूर्ण सरकार को बर्खास्त करने के बजाय लक्षित हस्तक्षेप की सिफारिश की।
- **राज्यपालों के लिये महाभियोग प्रक्रिया शुरू करना**
  - पुंछी आयोग ने राष्ट्रपति के समान ही महाभियोग प्रक्रिया का सुझाव दिया।
  - सर्वोच्च न्यायालय (बी.पी. सिंघल केस, 2010) ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल को हटाने के लिये वैध कारण होने चाहिये।

निष्कर्ष:

यद्यपि राज्यपाल भारत के संवैधानिक संरचना में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी विवेकाधीन शक्तियों के लगातार दुरुपयोग ने केंद्र-राज्य तनाव को जन्म दिया है। स्पष्ट दिशा-निर्देश, समय-सीमा और जवाबदेही उपायों को लागू करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि राज्यपाल राजनीतिक कौशल के लिये एक साधन के बजाय एक तटस्थ संवैधानिक प्राधिकारी बने रहें। एक बेहतर राज्यपाल का कार्यालय संघीय सद्भाव को सुदृढ़ करता है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखता है।

प्रश्न : निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिये उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की प्रभावशीलता का आकलन कीजिये। इसके अलावा, आयोग की स्वायत्तता को और मज़बूत करने के लिये आवश्यक सुधारों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करते हुए उत्तर दीजिये।
- ECI की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये प्रमुख संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के महत्त्व की व्याख्या कीजिये।
- निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिये चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता को सुदृढ़ करने की दिशा में सुधारों का सुझाव दीजिये।
- प्रश्न की मांग को संक्षेप में बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) एक संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये जिम्मेदार है। यद्यपि संवैधानिक और कानूनी प्रावधान सुरक्षा प्रदान करते हैं, कार्यकारी प्रभाव, वित्तीय निर्भरता और कमज़ोर प्रवर्तन शक्तियों के संदर्भ में चिंताएँ बनी हुई हैं।

मुख्य भाग:

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले मौजूदा प्रावधानों की पर्याप्तता

- अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक प्राधिकार: अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग (ECI) को संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिये चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण पर स्वायत्तता प्रदान करता है।
  - हालाँकि, इसमें कार्यपालिका के प्रभाव के विरुद्ध संस्थागत सुरक्षा का अभाव है। *(उदाहरण के लिये, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में कार्यपालिका की बड़ी भूमिका।)*

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के कार्यकाल की सुरक्षा: CEC को महाभियोग के अलावा किसी अन्य माध्यम से नहीं हटाया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, जिससे स्थायित्व सुनिश्चित होती है।
  - हालाँकि, निर्वाचन आयुक्तों (EC) को समान सुरक्षा प्राप्त नहीं है, क्योंकि उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जिससे वे सरकारी दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- वित्तीय स्वायत्तता प्रावधान: ECI के व्यय को भारत की समेकित निधि में संचित किया जाता है, जिससे आकस्मिक वित्तीय कटौती को रोका जा सके।
  - हालाँकि, यह अभी भी बजट अनुमोदन के लिये कार्यपालिका पर निर्भर है, जिससे इसकी परिचालन स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। *(उदाहरण के लिये, CAG के विपरीत ECI के पास प्रत्यक्ष वित्तीय नियंत्रण का अभाव है।)*
- न्यायिक सुरक्षा और पूर्व-निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों, जैसे टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (वर्ष 1995) ने चुनाव संचालन में ECI के स्वतंत्र अधिकार को बरकरार रखा।
- अनूप बरनवाल मामले (वर्ष 2023) के परिणामस्वरूप कॉलेजियम आधारित नियुक्ति प्रक्रिया के लिये निर्देश दिया गया, हालाँकि बाद में अधिनियम-2023 द्वारा इसे रद्द कर दिया गया, जिससे कार्यकारी नियंत्रण स्थापित हो गया।
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ: भारत निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता (MCC) को लागू कर सकता है और राजनीतिक दलों को विनियमित कर सकता है।
  - हालाँकि, MCC के पास वैधानिक समर्थन का अभाव है, जिससे प्रवर्तन कमज़ोर हो जाता है। *(उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 में राजनेताओं द्वारा अभद्र भाषा के उल्लंघन के कारण केवल चेतावनी दी गई।)*
- न्यायिक हस्तक्षेप के विरुद्ध कानूनी संरक्षण (अनुच्छेद 329): अनुच्छेद 329 चुनाव याचिकाओं को छोड़कर चुनावी मामलों में प्रत्यक्ष न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में अनुचित विलंब को रोका जा सके।
  - हालाँकि, अस्पष्टताएँ बनी हुई हैं, जिसके कारण न्यायालयों द्वारा विरोधाभासी व्याख्याएँ की जाती हैं, जिससे कभी-कभी चुनाव-संबंधी निर्णयों में विलंब होता है। *(उदाहरण के लिये, विधायकों की अयोग्यता के मामलों में विलंब।)*
- संस्थागत संरचना और प्रशासनिक समर्थन: चुनाव संचालन के लिये भारत निर्वाचन आयोग के पास केंद्र और राज्य स्तर पर एक स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है।
  - हालाँकि, यह चुनावों के दौरान सरकारी कर्मियों (IAS, IPS अधिकारियों) पर निर्भर करता है, जिससे प्रशासनिक प्रभाव की चिंताएँ बढ़ जाती हैं। *(उदाहरण के लिये, राज्य चुनाव अधिकारियों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार के आरोप।)*

निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिये सुधार:

- नियुक्ति और पदच्युति के लिये संस्थागत सुधार: निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हेतु प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष दल के सदस्य को शामिल करते हुए एक कॉलेजियम प्रणाली शुरू करने के लिये 2023 अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिये।
- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निर्वाचन आयुक्तों (EC) को संस्थागत स्वतंत्रता को बनाए रखने और मनमाने ढंग से बर्खास्तगी के विरुद्ध सुरक्षा के लिये मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के समान ही पदच्युति सुरक्षा प्राप्त हो।
- वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना: भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) के बजट को , नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और सर्वोच्च न्यायालय के समान सीधे भारत की संचित निधि में जमा करने के लिये वित्तीय प्रावधानों में संशोधन करने की आवश्यकता है, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता की गारंटी होगी और ECI को कार्यकारी प्रभाव से बचाया जा सकेगा।
- आदर्श आचार संहिता (MCC) के लिये कानूनी समर्थन को प्रबल करना: आदर्श आचार संहिता (MCC) को वैधानिक दर्जा दिया जा सकता है, जिससे इसके प्रावधान वैधानिक रूप से लागू हो सकेंगे और उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान हो सकेगा।
- चुनावी विवादों के त्वरित निर्णय की सुविधा के लिये एक समर्पित चुनाव न्यायाधिकरण की स्थापना करना, तथा उल्लंघनों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- सशक्त दंड प्राधिकरण: चुनावों के दौरान उद्देश्यपूर्ण गलत सूचना और डीप फेक कंटेंट फैलाने वालों को दंडित करने के लिये विशिष्ट प्रावधान शुरू करने के लिये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किया जाना चाहिये।
  - फर्ज़ी खबरें प्रसारित करने के लिये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर सख्त दायित्व लागू किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

हालाँकि ECI के लिये सुरक्षा उपाय महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हैं। इसकी स्वायत्तता बढ़ाने के लिये इसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। कॉलेजियम आधारित नियुक्ति प्रक्रिया, वित्तीय स्वतंत्रता और MCC के लिये कानूनी समर्थन जैसे सुधार चुनावों में अधिक पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकते हैं तथा संस्थागत स्वायत्तता बढ़ा सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : 'विस्तारित पड़ोस' की अवधारणा भारत की विदेश नीति का केंद्र बन गई है। विश्लेषण कीजिये कि यह भारत के पारंपरिक पड़ोस से परे उसके रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करती है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की विस्तारित पड़ोस नीति के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- भारत के विस्तारित पड़ोस संबंधों को आकार देने वाली प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालिये।
- विस्तारित पड़ोस नीति के रणनीतिक निहितार्थों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उपाय सुझाइये।
- एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

भारत की 'विस्तारित पड़ोस' नीति अपने रणनीतिक उद्देश्यों को व्यापक बनाती है, ताकि इसके निकटवर्ती पड़ोसियों के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और हिंद-प्रशांत जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सके।

- यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया, इंडो-पैसिफिक विज़न और भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जैसी पहलों में स्पष्ट है।

मुख्य भाग:

भारत की विस्तारित पड़ोस सहभागिता को आयाम देने वाली प्रमुख पहल

- **दक्षिण पूर्व एशिया:**
  - एक्ट ईस्ट नीति (वर्ष 2014): ASEAN के साथ आर्थिक, समुद्री और सुरक्षा संबंधों को गहरा करना।
  - भारत-ASEAN समुद्री अभ्यास (वर्ष 2023): समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और चीनी प्रभाव का मुकाबला करना।
  - क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया): हिंद-प्रशांत सुरक्षा को मज़बूत करना।
  - भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट परियोजना
- **पश्चिम एशिया:**
  - भारत-UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी: UAE ने भारत से आयात के 99% के अनुरूप अपनी 97.4% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त कर दिया।
    - वित्तीय लेनदेन के लिये UAE (वर्ष 2024) के साथ RuPay कार्ड और UPI एकीकरण, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी।
  - I2U2 पहल (भारत, इज़रायल, UAE, अमेरिका) (वर्ष 2022): खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार पर ध्यान केंद्रित।
  - चाबहार बंदरगाह विकास (ईरान): मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापार पहुँच को सुविधाजनक बनाना।
  - ऊर्जा सहयोग को मज़बूत करने के लिये भारत-सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद (वर्ष 2019)।
- **मध्य एशिया:**
  - 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति (वर्ष 2012): राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन (वर्ष 2022): व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर उच्च स्तरीय भागीदारी।
- ताजिकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग: भारत फारखोर एयरबेस का संचालन करता है, जिससे उसकी सामरिक पहुँच बढ़ती है।
- ऊर्जा सुरक्षा: भारत का लक्ष्य TAPI पाइपलाइन के माध्यम से तुर्कमेनिस्तान के गैस क्षेत्रों तक पहुँच बनाना है।
- कनेक्टिविटी परियोजनाएँ: चाबहार बंदरगाह - INSTC: भारत, ईरान, मध्य एशिया और रूस को जोड़ता है, जिससे व्यापार लागत कम हो जाती है तथा पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ती।

- **अफ्रीका:**
  - भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (वर्ष 2008 से): राजनयिक और विकास सहयोग को मज़बूत करना।
    - वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ (AU) को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है।
  - रक्षा: भारत ने मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर सहित कई अफ्रीकी देशों के साथ रक्षा समझौते किये हैं।
    - वर्ष 2008 से, सोमालिया के तट पर भारतीय नौसेना के समुद्री डकैती विरोधी अभियानों ने भारतीय और वैश्विक समुद्री व्यापार दोनों को सुरक्षित रखा है।
  - नवीकरणीय ऊर्जा: भारत की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने अफ्रीका में सौर परियोजनाओं के लिये 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किये हैं।

विस्तारित पड़ोस नीति के रणनीतिक निहितार्थ

आयाम	निहितार्थ
आर्थिक विकास	व्यापार और निवेश के लिये बाज़ारों का विस्तार (ASEAN, अफ्रीका, खाड़ी)।
ऊर्जा सुरक्षा	तेल और गैस आयात में विविधता लाना (पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका)।
समुद्री सुरक्षा	हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौसेना की उपस्थिति को मज़बूत करना तथा हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना (जैसे: हंबनटोटा बंदरगाह)
भू-राजनीतिक लाभ	बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के साथ चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का मुकाबला करना।
कनेक्टिविटी संवर्द्धन	बेहतर क्षेत्रीय एकीकरण के लिये INSTC, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा, भारत-म्याँमार-थाईलैंड राजमार्ग।

विस्तारित पड़ोस नीति के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- चीन का बढ़ता प्रभाव: स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बंदरगाह और BRI परियोजनाएँ भारत के सामरिक अभिगम को सीमित करती हैं।
- बुनियादी अवसंरचना का धीमा क्रियान्वयन: चाबहार बंदरगाह और भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी प्रमुख परियोजनाओं में विलंब से क्षेत्रीय संपर्क कमज़ोर हो रहा है।
- भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ: अमेरिका-ईरान तनाव का चाबहार पर प्रभाव; पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से (इज़रायल-हमास युद्ध) सहयोग प्रभावित।
- व्यापार बाधाएँ: भारत की क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से उद्योगों को सुरक्षा मिलती है, लेकिन ASEAN बाज़ार तक पहुँच कम हो जाती है।

विस्तारित पड़ोस नीति के उन्नत कार्यान्वयन के लिये उपाय:

- क्षेत्रीय संपर्क को मज़बूत करना: चाबहार बंदरगाह और INSTC परियोजनाओं में तेज़ी लाए जाने की आवश्यकता है।
- चीन के प्रभाव का मुकाबला करना: डायमंड ऑफ नेकलेस पहल के माध्यम से ASEAN, मध्य एशिया और अफ्रीका में भारत के बुनियादी अवसरंचना के निवेश को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- रक्षा कूटनीति को बढ़ावा देना: खाड़ी देशों, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सैन्य साझेदारी का विस्तार किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- आर्थिक एकीकरण: व्यापार बढ़ाने के लिये ASEAN और अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय FTA पर वार्ता की जानी चाहिये।
- प्रौद्योगिकी कूटनीति का लाभ उठाना: उभरते बाज़ारों में AI, फिनटेक और अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत की विस्तारित पड़ोस नीति ने इसे एक क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है, जिससे आर्थिक विकास, रणनीतिक सुरक्षा एवं भू-राजनीतिक प्रभाव सुनिश्चित हुआ है। हालाँकि, अपने नेतृत्व को बनाए रखने के लिये, भारत को कनेक्टिविटी बढ़ाने, चीन के प्रभाव का मुकाबला करने तथा आर्थिक साझेदारी को गहरा करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण की सफलता 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था को आयाम देने में भारत की भूमिका को परिभाषित करे सकेगी।

प्रश्न : "भारत-अमेरिका संबंधों का 'अलग-थलग लोकतंत्रों' से 'रणनीतिक साझेदारों' तक का विकास बदलती वैश्विक गतिशीलता को दर्शाता है।" इस परिवर्तन का विशिष्ट मील के पत्थरों के साथ परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत-अमेरिका संबंधों में आए परिवर्तन के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- भारत-अमेरिका संबंधों में विकास की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालिये।
- चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत करते हुए आगे की राह सुझाइये।
- एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष उचित दीजिये।

परिचय:

विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। शीत युद्ध के दौरान 'अलग-थलग लोकतंत्र' से लेकर 'रणनीतिक साझेदार' बनने तक, यह परिवर्तन भू-राजनीतिक गतिशीलता, आर्थिक अभिसरण और रक्षा सहयोग में परिवर्तन को दर्शाता है।

मुख्य भाग:

भारत-अमेरिका संबंधों का विकास:

- **शीत युद्ध काल: अलगाव का दौर**
  - गुटनिरपेक्ष नीति (1950-1980 का दशक): भारत के गुटनिरपेक्ष रुख और सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण अमेरिका के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए, जबकि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ मज़बूत गठबंधन था।
    - पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य सहायता: वर्ष 1954 के अमेरिकी-पाकिस्तान सैन्य समझौते और रक्षा उपकरण आपूर्ति ने इस अंतर को और बढ़ा दिया।
  - परमाणु परीक्षण और प्रतिबंध: भारत के वर्ष 1974 के परमाणु परीक्षण (स्माइलिंग बुद्धा) के कारण अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिये, जिससे संबंधों में और दूरियाँ आ गईं।
- **शीत युद्ध के बाद: आर्थिक और कूटनीतिक मेल-मिलाप (वर्ष 1990-2004)**
  - आर्थिक उदारीकरण (वर्ष 1991): भारत के आर्थिक सुधारों ने अमेरिकी निवेश को आकर्षित किया, जिससे आर्थिक अंतरनिर्भरता बढ़ी।
    - सोवियत संघ के पतन के साथ ही भारत ने अपनी विदेश नीति को अमेरिका की ओर पुन: उन्मुख कर दिया।
  - रणनीतिक साझेदारी में अगले कदम (NSSP, 2004): रक्षा, उच्च तकनीक व्यापार और अंतरिक्ष सहयोग की ओर बदलाव को चिह्नित किया।
- **असैन्य परमाणु समझौता: निर्णायक मोड़ (वर्ष 2005-2008)**
  - वर्ष 2008 के असैन्य परमाणु समझौते ने भारत के परमाणु अलगाव को समाप्त कर दिया तथा उसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दी।
    - भारत द्वारा NPT पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद असैन्य परमाणु सहयोग को सक्षम बनाया गया।
- **रक्षा और सामरिक सहयोग को सुदृढ़ करना (वर्ष 2010-2020)**
  - प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में पदनाम (वर्ष 2016): भारत को उच्च स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकी तक अभिगम की अनुमति दी गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- आधारभूत रक्षा समझौते: LEMOA (वर्ष 2016), COMCASA (वर्ष 2018), BECA (वर्ष 2020)
  - संयुक्त सैन्य अभ्यास: मालाबार का विस्तार (अमेरिका-भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया), युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार।
- **परिवर्तित आर्थिक और व्यापार साझेदारी (वर्ष 2020—वर्तमान)**
  - भारत में अमेरिकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में।
  - अमेरिका-भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (SCEP, 2021) का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी है।
- **सहयोग के उभरते क्षेत्र**
  - AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G:
    - US-इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव (वर्ष 2022) AI और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित है।
    - महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल (iCET, 2022) संयुक्त नवाचार को बढ़ावा देती है।

यद्यपि **भारत-अमेरिका संबंधों में महत्त्वपूर्ण** परिवर्तन आया है, **फिर भी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं:**

- व्यापार बाधाएँ: भारत के व्यापार अधिशेष, टैरिफ एवं डेटा स्थानीयकरण पर अमेरिका की चिंताएँ; अमेरिकी इस्पात टैरिफ, GSP हटाने और WTO विवादों के साथ भारत के मुद्दे।
- सामरिक स्वायत्तता: भारत के रूस संबंध (S-400 सौदा) और तटस्थ यूक्रेन रुख से अमेरिकी संबंधों में तनाव; BRICS और SCO को संतुलनकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- रक्षा एवं प्रौद्योगिकी: सुरक्षा चिंताओं के कारण COMCASA/BECA में विलंब; अमेरिकी निर्यात नियंत्रण के कारण प्रौद्योगिकी तक अभिगम सीमित है।
- वीज़ा मुद्दे: H-1B वीज़ा प्रतिबंध और ग्रीन कार्ड बैकलॉग भारतीय पेशेवरों को प्रभावित करते हैं।

सामरिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के उपाय:

- आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध: द्विपक्षीय व्यापार समझौते में तेज़ी लाने, टैरिफ विवादों का समाधान करने तथा विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- रक्षा एवं सुरक्षा: रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल के अंतर्गत संयुक्त रक्षा उत्पादन को बढ़ाने तथा साइबर सुरक्षा सहयोग में सुधार करने की आवश्यकता है।
- प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग: AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर में साझेदारी का विस्तार तथा भारत के डिजिटल बुनियादी अवसंरचना में अमेरिकी निवेश में वृद्धि की जा सकती है।
- हिंद-प्रशांत रणनीति: हिंद महासागर क्षेत्र में क्वाड सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- आव्रजन एवं कार्यबल: H-1B वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा कुशल श्रमिकों के लिये ग्रीन कार्ड अनुमोदन में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारत-अमेरिका संबंध दूर-दराज़ के लोकतंत्रों से अपरिहार्य रणनीतिक साझेदारों में बदल गए हैं। शीत युद्ध के तनावों से लेकर रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा में वर्तमान सहयोग तक, यह प्रक्षेपवक्र साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक परस्पर निर्भरता एवं भू-राजनीतिक संरेखण को उजागर करता है।

प्रश्न : फ्राँस की यूरोपीय और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थायी शक्ति के रूप में स्थिति भारत को विशिष्ट रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। इस संदर्भ में, भारत-फ्राँस साझेदारी और इसके व्यापक बहुपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के लिये फ्राँस के महत्त्व के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करते हुए उत्तर दीजिये।
- भारत के लिये फ्राँस की स्थिति के रणनीतिक लाभ के पक्ष में तर्क दीजिये।
  - भारत की बहुपक्षीय साझेदारी पर इसके प्रभाव का सुझाव दीजिये।
- एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

परिचय:

फ्राँस की यूरोपीय शक्ति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थायी शक्ति के रूप में दोहरी पहचान भारत को विशिष्ट रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। दोनों देश वैश्विक मामलों में रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता के लिये एक दृष्टिकोण साझा करते हैं, जिससे रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी में उनके सहयोग में वृद्धि होती है।

मुख्य भाग:

भारत के लिये फ्राँस की स्थिति के रणनीतिक लाभ:

- रक्षा और सामरिक साझेदारी: फ्राँस भारत का प्रमुख आयुध आपूर्तिकर्त्ता है, जिसके साथ राफेल जेट और स्कॉर्पीन पनडुब्बियों सहित कई सौदे हुए हैं।
  - संयुक्त सैन्य अभ्यास (जैसे: ***वरुण***) हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाते हैं।
  - FRIND-X पहल भारतीय और फ्राँसीसी रक्षा स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है।
- भारत-प्रशांत सुरक्षा और समुद्री सहयोग: फ्राँस स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित सागरीय व्यवस्था के लिये भारत के दृष्टिकोण से सहमत है।
  - रियूनियन द्वीप और न्यू कैलेडोनिया में सैन्य अड्डे हिंद महासागर तक सामरिक अभिगम को सक्षम बनाते हैं।
  - भारत, फ्राँस व अन्य देशों के बीच हिंद-प्रशांत त्रिपक्षीय सहयोग जलवायु अनुकूलन में सहायता करता है।
- आर्थिक और व्यापारिक संबंध: 13.38 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार (सत्र 2023-24) के साथ फ्राँस भारत के सबसे बड़े यूरोपीय निवेशकों में से एक है।
  - भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), जिसका केंद्र मार्सिले है, व्यापार को सुदृढ़ करता है।
- अंतरिक्ष और एयरोस्पेस सहयोग: फ्राँस भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम (*तृष्णा उपग्रह* परियोजना) में दीर्घकालिक साझेदार रहा है।
  - मानव अंतरिक्ष उड़ान और ग्रह अन्वेषण में सहयोग से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी।
- असैन्य परमाणु सहयोग: फ्राँस ऊर्जा सुरक्षा के लिये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) विकसित करने में भारत की सहायता कर रहा है।
  - 20,000 करोड़ रुपए का परमाणु ऊर्जा मिशन (बजट 2024-25) SMR में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
  - जैतापुर परमाणु संयंत्र (9,900 मेगावाट) विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनने वाला है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी नवाचार: कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भारत-फ्राँस रोडमैप नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास को बढ़ावा देता है।
  - भारतीय स्टार्टअप को फ्राँस में विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप इनक्यूबेटर, स्टेशन F तक अभिगम प्राप्त हुआ।
  - फ्राँस में भारत के UPI के विस्तार से वित्तीय प्रौद्योगिकी सहयोग मज़बूत होगा।

भारत की बहुपक्षीय साझेदारी के लिये निहितार्थ:

- **भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को मज़बूत करना**
  - भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने में फ्राँस महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
  - यूरोपीय संघ के ग्रीन डील और डिजिटल मार्केट अधिनियम में भारत की साझेदारी को फ्राँस द्वारा सुगम बनाया जा सकता है।
- **भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति को आगे बढ़ाना**
  - हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक तैनाती भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व को मज़बूत करती है।
  - फ्राँस की क्वाड प्लस साझेदारी भारत की हिंद-प्रशांत पहुँच का पूरक है।
- **जलवायु कूटनीति और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना**
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में फ्राँस की भूमिका भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण में सहायक है। हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी एवं ऊर्जा भंडारण में सहयोग भारत के डीकार्बोनाइज़ेशन लक्ष्यों को और तीव्र कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- रक्षा और अंतरिक्ष कूटनीति का विस्तार: भारत प्रौद्योगिकी अंतरण के लिये NATO में फ्राँस के रक्षा प्रभाव का लाभ उठा सकता है।
  - हाइपरसोनिक और क्वांटम प्रौद्योगिकियों में सहयोग से भारत के अंतरिक्ष एवं रक्षा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

भारत-फ्राँस संबंध रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और तकनीकी सहयोग के साझा सिद्धांतों पर आधारित हैं। इस साझेदारी को मज़बूत करने से भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के उसके दृष्टिकोण के अनुरूप होगा।

सामाजिक न्याय

प्रश्न : जेंडर बजटिंग महिला सशक्तीकरण का एक प्रभावी उपकरण है। भारत की विकास नीतियों में लैंगिक असमानताओं को कम करने में इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- जेंडर बजटिंग को परिभाषित करते हुए उत्तर दीजिये।
- लैंगिक असमानताओं को दूर करने में लैंगिक बजट की प्रभावशीलता बताइये।
  - सकारात्मक प्रभाव
  - चुनौतियाँ
- जेंडर बजटिंग की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइये।
- एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

जेंडर बजटिंग एक वित्तीय नवाचार है जिसका उद्देश्य महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने और लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिये बजटीय आवंटन में लैंगिक दृष्टिकोण को एकीकृत करना है। भारत में सत्र 2005-06 में शुरू की गई यह योजना महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं पर लक्षित व्यय सुनिश्चित करती है।

मुख्य भाग:

लैंगिक असमानताओं को दूर करने में जेंडर बजटिंग की प्रभावशीलता:

- **लिंग आधारित बजट के लाभ:**
  - शिक्षा तक बेहतर पहुंच: ***बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ*** और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाओं से लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है, जिससे साक्षरता में लैंगिक अंतराल कम हुआ है।
    - महिला साक्षरता दर 65.5% (वर्ष 2011 की जनगणना) से बढ़कर 72% (NFHS-5, 2019-21) हो गई।
  - स्वास्थ्य परिणामों में सुधार: जननी सुरक्षा योजना और पोषण अभियान जैसे लिंग-केंद्रित कार्यक्रमों से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।
    - मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 130 (वर्ष 2014-16) से घटकर 97 (वर्ष 2018-20) हो गया।
  - महिला आर्थिक सशक्तीकरण: जून, 2022 तक लगभग 8.39 करोड़ ग्रामीण गरीब महिलाओं को 76.94 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है।
    - MGNREGA में कम से कम एक तिहाई कार्यबल महिलाओं का होना अनिवार्य किया गया है, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है।
  - बेहतर सुरक्षा और कानूनी सहायता: वन स्टॉप सेंटर, SEWA और निर्भया फंड जैसी पहल महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर कार्रवाई करती हैं और संस्थागत सहायता प्रदान करती हैं।
    - घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 और विशाखा दिशानिर्देश जैसे कानूनों को दृढ़ करने से कानूनी सुरक्षा में वृद्धि हुई है।
  - जेंडर रेस्पॉन्सिव अवसंरचना विकास: स्वच्छ भारत मिशन ने महिलाओं के लिये स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा दिया, स्वच्छता में सुधार किया और लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति दर में वृद्धि की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं के लिये घर के स्वामित्व को प्राथमिकता देती है, जिससे वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

- **कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
  - निधि उपयोग में अंतराल: CAG रिपोर्ट में प्रमुख विभागों में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठों की कमी के कारण महिला बजट आवंटन के कम उपयोग पर प्रकाश डाला गया है।
  - राज्य-स्तरीय भिन्नताएँ: कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में ही सुदृढ़ जेंडर बजटिंग कार्यढाँचा है, जबकि अन्य राज्य कार्यान्वयन में पिछड़े हुए हैं।
  - कमज़ोर निगरानी और जवाबदेही तंत्र: प्रभाव आकलन तंत्र की अनुपस्थिति से निधि आवंटन और नीति क्रियान्वयन में अकुशलता आती है।
  - लिंग-विभाजित आँकड़ों का अभाव: महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँच पर अपर्याप्त डेटा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में बाधा डालता है।

जेंडर बजटिंग की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय:

- संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना: सभी स्तरों पर लिंग-संवेदनशील बजट का समन्वय और निगरानी करने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- बेहतर निधि आवंटन और उपयोग: जनसंख्या-आधारित आवंटन के बजाय आवश्यकता-आधारित आवंटन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए के क्षेत्रों में।
- सामाजिक क्षेत्रों से परे जेंडर बजटिंग का विस्तार: बुनियादी अवसंरचना, ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कौशल विकास नीतियों में लिंग आधारित दृष्टिकोण को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- सरकारी अधिकारियों के लिये क्षमता निर्माण: प्रभावी कार्यान्वयन के लिये जेंडर बजटिंग पर नीति निर्माताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बढ़ाना: नीतियों के प्रभाव का आकलन करने के लिये स्वतंत्र निगरानी निकायों की स्थापना करने तथा लैंगिक ऑडिट कराने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

महिलाओं के सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने में जेंडर बजटिंग ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन पहलों को SDG 5 के साथ जोड़कर, भारत महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CEDAW) में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार लैंगिक समानता और समावेशी विकास को और भी बढ़ावा दे सकता है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : "भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि सभी वर्गों को समान रूप से लाभ नहीं पहुँचा पाई है।" समावेशी विकास में बाधा बनने वाली प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये और इस असमानता को दूर करने के लिये उपयुक्त नीतिगत उपाय सुझाइये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताइये कि किस प्रकार भारत की तीव्र आर्थिक संवृद्धि समतामूलक विकास में परिवर्तित नहीं हुई है।
- समावेशी विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- इस अंतर को समाप्त करने के लिये नीतिगत उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वित्त वर्ष 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% बढ़ी, फिर भी आय और संपत्ति असमानता बनी हुई है। क्रेडिट सुइस के अनुसार, शीर्ष 1% के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 53% हिस्सा है। यद्यपि आर्थिक विकास प्रभावशाली रहा है, फिर भी समावेशी विकास— समाज के सभी वर्गों के लिये समान अवसर और संसाधनों तक अभिगम सुनिश्चित करना— एक चुनौती बनी हुई है।

मुख्य भाग:

समावेशी विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियाँ:

- **निरंतर निर्धनता और असमानता:**
  - भारत की 53% संपत्ति पर सबसे अमीर 1% लोगों का नियंत्रण है, जबकि सबसे निचले 50% लोगों के पास केवल 4.1% संपत्ति है (क्रेडिट सुइस रिपोर्ट)।
  - उच्च आय असमानता सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक समावेशिता को सीमित करती है।
- **विशाल अनौपचारिक कार्यबल और बेरोज़गारी:**
  - भारत का 90% कार्यबल अनौपचारिक है, जिसके पास नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और उचित वेतन का अभाव है (ILO)।
  - बेरोज़गारी की दर उच्च बनी हुई है, विशेष रूप से युवाओं एवं महिलाओं में तथा अल्प-रोज़गार एक प्रमुख मुद्दा है।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:**
  - राज्यों के बीच महत्त्वपूर्ण आर्थिक अंतर (उदाहरण के लिये, बिहार का प्रति व्यक्ति GSDP महाराष्ट्र का 1/5वाँ हिस्सा है)।
  - असमान बुनियादी अवसंरचना के विकास से अवसरों तक असमान पहुँच होती है।
- **कार्यबल भागीदारी में लैंगिक असमानता:**
  - 81.8% महिलाएँ अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करती हैं (ILO)।
  - श्रम आय असमानता- आय असमानता में पुरुष का हिस्सा 82% हैं, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 18% है। (विश्व असमानता रिपोर्ट, 2022)।
  - ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (वर्ष 2022) में भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर है।
- **कम वित्तीय साक्षरता और डिजिटल डिवाइड:**
  - भारत की केवल 27% जनसंख्या ही वित्तीय रूप से साक्षर है, जिससे उनकी ऋण और बचत तक अभिगम की क्षमता प्रभावित होती है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित डिजिटल अवसंरचना बैंकिंग और कल्याणकारी योजनाओं तक अभिगम को प्रतिबंधित करती है।
- **सामाजिक बुनियादी अवसंरचना में अंतराल (स्वास्थ्य और शिक्षा):**
  - मानव विकास सूचकांक (वर्ष 2023)- भारत 193 देशों में से 134वें स्थान पर है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ अपर्याप्त हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- स्कूलों में अधिगम के परिणाम निम्न स्तर पर बने हुए हैं, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक गतिशीलता प्रभावित हो रही है।

- **अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और बुनियादी सेवाएँ:**
  - भारत की एक चौथाई आबादी के पास बिजली की सुविधा नहीं है।
  - अपर्याप्त ग्रामीण संपर्क, आवास और स्वच्छता के कारण शहरी-ग्रामीण अंतर बढ़ता जा रहा है।

अंतर को समाप्त करने के लिये नीतिगत उपाय:

- **रोज़गार सृजन और कार्यबल का औपचारिकीकरण:**
  - नौकरी के अवसरों में सुधार के लिये MSME को बढ़ावा दिया जाना चाहिये (जैसे, PMEGP) तथा कौशल कार्यक्रमों (जैसे, PMKVY) का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिये श्रम संहिताओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये।
- **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को गति देना:**
  - PMSYM (पेंशन) और आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य सेवा) जैसी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाना चाहिये।
  - ग्रामीण रोज़गार को समर्थन देने के लिये मज़दूरी दरों और कार्यदिवसों में वृद्धि करके MGNREGA को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- **वित्तीय और डिजिटल समावेशन:**
  - JAM ट्रिनिटी, RuPay और UPI के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग और ऋण सुलभता का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - सीमांत समुदायों को सशक्त बनाने के लिये वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना:**
  - कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधि में सुधार के लिये पिछड़े राज्यों में बुनियादी अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिये।
  - पिछड़े क्षेत्रों के लिये लक्षित विकास कार्यक्रम, उद्योगों और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - विश्व बैंक का अनुमान है कि ब्रॉडबैंड पहुँच में 10% की वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1.38% बढ़ सकती है।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार:**
  - अधिगम के परिणामों में सुधार के लिये समग्र शिक्षा जैसी स्कूली शिक्षा पहलों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
  - ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **रोज़गार में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:**
  - महिलाओं के लिये ऋण और उद्यमशीलता सहायता तक समान पहुँच (उदाहरणार्थ: मुद्रा योजना) सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  - कार्यस्थल पर सुरक्षा, मातृत्व लाभ और लचीली कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करके महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

सतत् विकास के लिये समावेशी विकास हासिल करना आवश्यक है, जो SDG1 (गरीबी उन्मूलन), SDG5 (लैंगिक समानता), SDG8 (उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास) और 10 (असमानताएँ कम करना) के साथ संरेखित है। रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और बुनियादी अवसंरचना में लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप मौजूदा विकास अंतराल को समाप्त कर सकते हैं।

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : 'सूचना युद्ध' की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये और विश्लेषण कीजिये कि किस प्रकार गलत सूचना तथा सोशल मीडिया में हेरफेर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। (150 शब्द)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हल करने का दृष्टिकोण:

- सूचना युद्ध को परिभाषित करके उत्तर दीजिये।
- सूचना युद्ध के प्रमुख घटक बताइये।
- गलत सूचना और सोशल मीडिया हेरफेर को आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरे के रूप में परिभाषित कीजिये।
- गलत सूचना और सोशल मीडिया हेरफेर का मुकाबला करने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सूचना युद्ध (IW) से तात्पर्य सूचना के उपयोग को एक उपकरण के रूप में प्रभावित करने, बाधा डालने या प्रतिद्वंद्वी के निर्णय लेने में हेरफेर करने से है, जो प्राय: गलत सूचना, साइबर संचालन और मनोवैज्ञानिक रणनीति के माध्यम से किया जाता है।

- 800 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं वाले भारत को गलत सूचना अभियानों, विदेशी दुष्प्रचार और सोशल मीडिया हेरफेर से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जो हिंसा भड़का सकते हैं, शासन को बाधित कर सकते हैं तथा लोकतांत्रिक संवहनीयता को खतरा पहुँचा सकते हैं।

मुख्य भाग:

सूचना युद्ध के प्रमुख घटक:

- गलत सूचना और भ्रामक सूचना: जनता की राय को गुमराह करने या हेरफेर करने के लिये मिथ्या सूचनाओं/कहानियों का प्रसार।
- साइबर वॉर: सूचना प्रणालियों को बाधित करने के लिये हैकिंग, मैलवेयर और साइबर अटैक का प्रयोग।
- मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन (PsyOps): भावनाओं और विश्वासों पर ध्यान केंद्रित करके धारणाओं को प्रभावित करना है।
- सोशल मीडिया हेरफेर: प्रचार को बढ़ाने के लिये बॉट्स, फर्ज़ी खातों और AI-जनरेटेड कंटेंट का प्रयोग करना।
- डीपफेक और AI-जनरेटेड कंटेंट: झूठी कहानियाँ गढ़ने के लिये सिंथेटिक मीडिया का प्रयोग करना।
- हाइब्रिड वॉर: किसी राष्ट्र को अस्थिर करने के लिये साइबर, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रणनीति का संयोजन।

गलत सूचना और सोशल मीडिया में हेरफेर आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा:

- **सांप्रदायिक एवं सामाजिक अशांति**
  - सोशल मीडिया पर फर्ज़ी खबरें और भड़काऊ कंटेंट ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकती हैं, हिंसा एवं दंगे को भड़का सकती है।
    - उदाहरण: व्हाट्सएप पर गलत सूचना के कारण भारत में (वर्ष 2018) झूठी अफवाहों के कारण मॉब लिंचिंग की घटनाएँ हुईं।
- **कट्टरपंथ और उग्रवाद**
  - ISIS जैसे आतंकवादी संगठन और कट्टरपंथी समूह भर्ती एवं प्रचार के लिये सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं।
    - उदाहरण: ऑनलाइन कट्टरपंथ ने कुछ युवाओं को कश्मीर में चरमपंथी आंदोलनों में (कथित तौर पर टेलीग्राम के माध्यम से) शामिल होने के लिये प्रभावित किया है।
- **चुनाव में हस्तक्षेप और राजनीतिक अस्थिरता**
  - डीप-फेक वीडियो और फर्ज़ी सोशल मीडिया अभियान मतदाताओं की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं।
    - उदाहरण: भारतीय आम चुनाव- 2024 में मतदाताओं की धारणा को बदलने वाले डीपफेक की एक शृंखला देखी गई।
- **महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना के लिये साइबर खतरे**
  - विद्युत ग्रिडों, वित्तीय प्रणालियों और रक्षा नेटवर्कों पर साइबर हमले राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर कर सकते हैं।
    - उदाहरण: भारत के बिजली क्षेत्र में कथित चीनी साइबर इंटूज़न (मुंबई 2020 ब्लैकआउट)।
- **विश्वमारी और स्वास्थ्य संकट में फर्ज़ी खबरें**
  - कोविड-19 के दौरान उपचार और टीकों के बारे में गलत सूचना के कारण लोगों को घबराहट तथा टीकाकरण में हिचकिचाहट हुई।
  - उदाहरण: टीकों के कारण बाँझपन होने की झूठी अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- आर्थिक व्यवधान और बाज़ार हेरफेर
- बैंकिंग विफलताओं, शेयर बाज़ार में गिरावट और डिजिटल धोखाधड़ी से संबंधित फर्ज़ी खबरें निवेशकों का विश्वास कमज़ोर कर सकती हैं।

गलत सूचना और सोशल मीडिया हेरफेर से निपटने के उपाय:

- **साइबर सुरक्षा और डिजिटल विनियमन को सख्त करना**
  - सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 के तहत सख्त IT कानून लागू किया जाना चाहिये।
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के तहत साइबर सुरक्षा कार्यढाँचे का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **तथ्य-जाँच तंत्र और AI-आधारित जाँच**
  - फर्ज़ी खबरों का मुकाबला करने के लिये सरकार समर्थित तथ्य-जाँच पोर्टल (जैसे, PIB फैक्ट चेक) का प्रयोग किया जाना चाहिये।
  - डीप फेक और गलत सूचनाओं का पता लगाने के लिये AI और मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाना चाहिये।
- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का विनियमन**
  - IT नियम, 2021 के तहत फर्ज़ी समाचार स्रोतों के कंटेंट मॉडरेशन और पता लगाने की अनिवार्यता होनी चाहिये।
  - फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसी बिग टेक कंपनियों के साथ मज़बूत सहयोग किया जाना चाहिये।
- **जन जागरूकता एवं डिजिटल साक्षरता**
  - स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शामिल किये जाने चाहिये।
  - जागरूकता अभियानों के माध्यम से सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
  - अंतर्राष्ट्रीय गलत सूचना खतरों से निपटने के लिये वैश्विक साइबर सुरक्षा एजेंसियों (जैसे: इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र साइबर इकाइयों) के साथ सहयोग किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

डिजिटल युद्ध के दौर में गलत सूचना और सोशल मीडिया का दुरुपयोग भारत के लिये गंभीर आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में उभरे हैं। तकनीकी नवाचारों, नीतिगत सुधारों और वैश्विक सहयोग को अपनाकर भारत अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं, सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को सूचना युद्ध के खतरों से बचा सकता है।

जैवविविधता और पर्यावरण

प्रश्न : भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन और विकास संबंधी दबावों के बढ़ते प्रभाव के कारण गंभीर जोखिमों का सामना कर रहे हैं। इस संदर्भ में, तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) मानदंडों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) मानदंडों की पृष्ठभूमि के रूप में भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा में CRZ मानदंडों की प्रभावशीलता बताइये।
- तटीय सुरक्षा को मज़बूत करने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र- मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, नदियाँ, आर्द्रभूमि और रेत के टीले- जैव-विविधता, जलवायु अनुकूलन और आजीविका के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- हालाँकि, समुद्र-स्तर में वृद्धि, अपरदन, अलवण जल के अंतर्वेधन और अनियमित विकास के कारण उन पर खतरा बढ़ता जा रहा है।
- इन चुनौतियों को कम करने के लिये, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत वर्ष 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) मानदंड पेश किये गए, जिनमें संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिये संशोधन किये गए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा में CRZ मानदंडों की प्रभावशीलता:

- **CRZ मानदंडों की सफलताएँ**
  - पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण: CRZ-I वर्गीकरण मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों और रेत के टीलों में गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश को रोका जा सके।
    - उदाहरण: सुंदरवन और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में मैंग्रोव संरक्षण से तटीय समुत्थानशक्ति में सुधार हुआ है।
  - औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास का विनियमन: कड़े पर्यावरणीय मंजूरी मानदंड अनियंत्रित तटीय शहरीकरण और औद्योगिक अतिक्रमण को रोकते हैं।
    - उदाहरण: केरल में, CRZ के अंतर्गत प्रतिबंधों से वर्कला में अनियमित पर्यटन-संचालित निर्माण को नियंत्रित करने में मदद मिली।
  - समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण: CRZ- 2019 ने तटीय समुदायों की आजीविका आवश्यकताओं को मान्यता दी, जिससे संधारणीय मत्स्यन, एक्वाकल्चर और इको-पर्यटन की अनुमति मिली।
    - उदाहरण: तमिलनाडु में मछुआरा समुदाय को पारंपरिक गतिविधियों के लिये तनाव मुक्त मानदंडों से लाभ हुआ।
  - कानूनी और संस्थागत तंत्र: CRZ उल्लंघनों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में चुनौती दी जा सकती है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
- **चुनौतियाँ और सीमाएँ:**
  - कमजोर प्रवर्तन और उल्लंघन: अपर्याप्त निगरानी एवं राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण, विशेष रूप से मुंबई, गोवा और चेन्नई में बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहे हैं।
    - उदाहरण: CRZ प्रतिबंधों के बावजूद गोवा में अवैध तटीय निर्माण।
  - संरक्षण तंत्र का कमज़ोर होना: CRZ- 2019 ने ग्रामीण क्षेत्रों में नो-डेवलपमेंट ज़ोन (NDZ) को 200 मीटर से घटाकर 50 मीटर कर दिया, जिससे तटीय भेद्यता बढ़ गई।
  - विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष: बंदरगाह के बुनियादी अवसंरचना, पर्यटन और औद्योगिक गलियारों के विस्तार से पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण होता है।
    - उदाहरण: विझिंजम बंदरगाह (केरल) को पर्यावरणीय क्षति के लिये आलोचना का सामना करना पड़ा है।
  - जलवायु परिवर्तन के खतरों का पूरी तरह से समाधान नहीं किया गया: CRZ मानदंड दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के बजाय स्थानिक ज़ोनिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
    - एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM) का अभाव, बढ़ते समुद्री स्तर और तूफानी लहरों के विरुद्ध अप्रभावी अनुकूलन का कारण बनता है।

तटीय संरक्षण को सुदृढ़ करने के उपाय:

- **सख्त निगरानी और प्रवर्तन: CRZ मानदंडों के बेहतर प्रवर्तन के लिये तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों (CZMA) को मज़बूत किया जाना चाहिये।**
  - उल्लंघनों पर नज़र रखने के लिये GIS मैपिंग और उपग्रह निगरानी का उपयोग किया जाना चाहिये।
- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM): संधारणीय पर्यटन, जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना और पर्यावरण-संवेदनशील विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- मज़बूत सामुदायिक भागीदारी: निर्णय लेने में मछुआरा समुदायों, स्थानीय हितधारकों और पंचायतों को शामिल किया जाना चाहिये।
  - टिकाऊ जलकृषि और मैंग्रोव पुनर्भरण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- जलवायु-अनुकूल तटीय योजना: मैंग्रोव वनरोपण और टीलों के स्थिरीकरण जैसी प्राकृतिक अवरोधों को लागू किया जाना चाहिये।
  - चक्रवातों और बढ़ते समुद्री स्तर के विरुद्ध आपदा तैयारी उपायों को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- विकास और संरक्षण में संतुलन: बंदरगाहों, उद्योगों और पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  - निर्माण एवं बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष:

केंद्रीय बजट 2023-24 में शुरू की गई MISHTI योजना (तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिये मैंग्रोव पहल) मैंग्रोव वनीकरण और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सही दिशा में एक कदम है। MISHTI जैसी जलवायु-अनुकूल पहलों के साथ CRZ मानदंडों को एकीकृत करके, भारत सतत् विकास सुनिश्चित करते हुए तटीय संरक्षण को बढ़ा सकता है।

प्रश्न : चूँकि AI में परिवर्तन की अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और इसके प्रभाव को कम करने के उपाय सुझाइये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संक्षेप में AI की परिवर्तनकारी भूमिका और इसकी पर्यावरणीय लागत का परिचय दीजिये।
- ऊर्जा खपत, कार्बन उत्सर्जन और ई-अपशिष्ट सहित विभिन्न चरणों में AI के पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा कीजिये।
- AI के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये स्थायी समाधान सुझाइये।
- AI-संचालित नवाचार को पारिस्थितिक उत्तरदायित्व के साथ संतुलित करते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं में क्रांति ला रहा है, लेकिन इसका बढ़ता पर्यावरणीय प्रभाव एक गंभीर चिंता का विषय है। डेटा सेंटर में उच्च ऊर्जा खपत से लेकर AI हार्डवेयर से उत्सर्जित होने वाले ई-अपशिष्ट तक, अनियंत्रित AI विस्तार पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में योगदान दे सकता है। AI की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिये तकनीकी प्रगति को धारणीयता के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

मुख्य भाग:

AI की पर्यावरणीय चुनौतियाँ:

- उच्च ऊर्जा खपत: AI डेटा केंद्रों को भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है, जिससे पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ता है तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, वर्ष 2026 तक डेटा सेंटरों से ऊर्जा की मांग दोगुनी होने की उम्मीद है।
- मॉडल प्रशिक्षण से कार्बन उत्सर्जन: उन्नत AI मॉडलों के प्रशिक्षण के लिये गहन कम्प्यूटेशनल शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च CO_2 उत्सर्जन होता है।
  - उदाहरण के लिये, GPT-3 की ट्रेनिंग से 552 टन CO_2 उत्सर्जित होता है, जो दर्जनों कारों के वार्षिक उत्सर्जन के समतुल्य है।
- बढ़ता ई-अपशिष्ट: AI की कम्प्यूटेशनल मांगों से प्रेरित लगातार हार्डवेयर अपग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में योगदान करते हैं।
  - AI अवसंरचना के तीव्र विस्तार से अप्रचलित कंप्यूटिंग उपकरणों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे वैश्विक ई-अपशिष्ट संकट और भी गंभीर हो रहा है।
- शीतलन के लिये जल की खपत: AI डेटा केंद्रों को उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों को ठंडा रखने के लिये बहुत बड़ी मात्रा में जल संसाधनों की आवश्यकता होती है।
  - गूगल के डेटा सेंटर जैसे प्रमुख AI हब, शीतलन कार्यों के लिये प्रतिवर्ष लाखों लीटर जल की खपत करते हैं।
- हार्डवेयर के लिये सामग्री निष्कर्षण: AI चिप निर्माण दुर्लभ मृदा धातुओं पर निर्भर करता है, जिससे खनन परिणामस्वरूप पर्यावरणीय क्षरण होता है।
  - GPU और अर्द्धचालकों के लिये लिथियम व कोबाल्ट जैसे खनिजों के निष्कर्षण से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचता है तथा प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है।
- मॉडल प्रशिक्षण में अकुशलता: बड़े, सामान्य AI मॉडल छोटे, विशिष्ट मॉडलों की तुलना में अत्यधिक कम्प्यूटेशनल संसाधनों का उपयोग करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ChatGPT जैसे जनरेटिव AI मॉडल को पूर्ववर्ती AI संस्करणों की तुलना में 10-100 गुना अधिक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव और भी बढ़ जाता है।

- पर्यावरणीय विनियमनों का अभाव: अधिकांश AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क नैतिकता और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन संधारणीयता को नजरअंदाज़ करते हैं।

निष्कर्ष:

AI नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित किया जाना चाहिये। संधारणीय AI के लिये स्वच्छ ऊर्जा, अनुकूलित मॉडल और जिम्मेदार ई-अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता होती है। AI प्रगति को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ जोड़ना एक नैतिक अनिवार्यता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रश्न : "भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण, क्षमता-संचालित मॉडल से बाज़ार-संचालित प्रणाली की ओर एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है।" IN-SPACe के विशेष संदर्भ में, इस परिवर्तन में प्रमुख अवसरों और संभावित चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के बाजार संचालित दृष्टिकोण की ओर संक्रमण के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- बाज़ार संचालित अंतरिक्ष क्षेत्र में संक्रमण के अवसर बताइये।
- इसमें शामिल चुनौतियों और इसे हल करने में IN-SPACe की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर गहन चर्चा कीजिये।
- भारत के बाज़ार संचालित अंतरिक्ष क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये रणनीति सुझाइये।
- एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष निकालें।

परिचय:

परंपरागत रूप से, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और राष्ट्रीय क्षमता को आगे बढ़ाने में अग्रणी रहा है।

- हालाँकि, निजी भागीदारों के उदय और IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र) की स्थापना जैसे संस्थागत सुधारों के साथ, यह क्षेत्र बाज़ार संचालित दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है।

मुख्य भूमिका:

बाज़ार-संचालित अंतरिक्ष क्षेत्र में परिवर्तन के अवसर:

- **निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा**
  - स्टार्टअप्स और उद्यमों को सुविधा प्रदान करना: स्काईरूट एयरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस और बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस जैसी निजी कंपनियों की भागीदारी से अधिक नवाचार एवं प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिलता है।
    - उत्प्रेरक के रूप में IN-SPACe: एक नियामक और सुविधाजनक निकाय के रूप में कार्य करता है, जो ISRO के बुनियादी अवसंरचना एवं विशेषज्ञता तक निजी क्षेत्र की पहुँच सुनिश्चित करता है।
  - विदेशी निवेश में वृद्धि: निजीकरण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्नत प्रौद्योगिकी और पूंजी में वृद्धि होती है।
- **आर्थिक एवं वाणिज्यिक विकास**
  - भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार: भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्ष 2040 तक 8 बिलियन डॉलर (वर्तमान) से बढ़कर 40 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
  - उपग्रह आधारित सेवाएँ: उपग्रह इंटरनेट, सुदूर संवेदन और भू-स्थानिक विश्लेषण जैसे अनुप्रयोगों में वृद्धि से नए बाज़ार खुलेंगे।
    - निजी भागीदारी से प्रक्षेपण आवृत्तियों में वृद्धि होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण प्रदाताओं पर निर्भरता कम होगी।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को दृढ़ करना**
  - कम प्रक्षेपण लागत: PSLV और SSLV के साथ, भारत ने पहले ही लागत प्रभावी अंतरिक्ष समाधान स्थापित कर लिया है; निजी कंपनियाँ लागत को और कम कर सकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- सरकारी समर्थन से भारतीय स्टार्टअप, वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाज़ार में स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और रॉकेट लैब को चुनौती दे सकते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार: ISRO-NASA के NISAR मिशन और उपग्रह प्रक्षेपण के लिये SpaceX के साथ NSIL के अनुबंध जैसे समझौते भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाते हैं।

- **तकनीकी उन्नति और नवाचार**
  - पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (RLV): निजी कंपनियाँ पुष्पक RLV के विकास में तेज़ी ला सकती हैं, जिससे प्रक्षेपण लागत में कमी आएगी।
    - वे गहन अंतरिक्ष मिशनों और वाणिज्यिक प्रक्षेपणों को समर्थन देने के लिये नेक्स्ट जनरेशन के प्रक्षेपण वाहनों (NGLV) के विकास में भी प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।
- **रोज़गार सृजन एवं प्रतिभा प्रतिधारण**
  - उच्च-कुशल नौकरियाँ: अंतरिक्ष तकनीक में निजी फर्मों के विस्तार से इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स और एयरोस्पेस अनुसंधान में हज़ारों उच्च-मूल्य वाली नौकरियाँ उत्पन्न होंगी।
  - प्रतिभा पलायन को रोकना: प्रतिस्पर्द्धी वेतन और बेहतर अनुसंधान एवं विकास सुविधाएँ शीर्ष प्रतिभाओं को बनाए रख सकती हैं, जो अन्यथा NASA, ESA या विदेश की निजी फर्मों में चले जाते हैं।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण में चुनौतियाँ:

- **नीति और विनियामक अनिश्चितता**
  - व्यापक अंतरिक्ष कानून का अभाव: भारत में अंतरिक्ष गतिविधि अधिनियम का अभाव है, जिसके कारण निजी क्षेत्र की भूमिका और विफलताओं के मामले में उत्तरदायित्व में अस्पष्टता बनी रहती है।
    - IN-SPACe की विकासशील भूमिका: यद्यपि यह निजी प्रवेश को सुगम बनाता है, फिर भी इसका नियामक कार्यढाँचा अभी भी विकसित हो रहा है, जिससे अनुमोदन में विलंब हो रहा है तथा परिचालन संबंधी बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं।
- **वित्तपोषण और निवेश संबंधी अड़चनें**
  - सीमित सरकारी बजट आवंटन: ISRO का वार्षिक बजट (1.7 बिलियन डॉलर) NASA (25.3 बिलियन डॉलर) की तुलना में काफी कम है, जिससे अनुसंधान एवं विकास निवेश प्रभावित हो रहा है।
    - उच्च पूंजी की ज़रूरत और रिटर्न की लंबी अवधि निजी निवेशकों को सतर्क बनाती है।
  - सरकार ने अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्टअप और SME को बढ़ावा देने के लिये एक सार्वजनिक-निजी पहल, स्पिन लॉन्च की है। यह अंतरिक्ष सुधारों को आगे बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और नए उद्यमों का समर्थन करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
    - हालाँकि, चुनौतियों में नियामक बाधाएँ, उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं के लिये वित्तपोषण की कमी, सीमित प्रतिभा पूल, प्रतिबंधित बाज़ार पहुँच और निजी अंतरिक्ष गतिविधियों में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ शामिल हैं।
- **तकनीकी अंतराल और आयात पर निर्भरता**
  - सीमित पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (RLV) विकास: SpaceX के फाल्कन 9 के विपरीत, भारत अभी भी पुन: प्रयोज्य रॉकेटों के लिये प्रारंभिक अनुसंधान एवं विकास चरणों में है।
  - विदेशी घटकों पर भारी निर्भरता: प्रतिवर्ष लगभग 2,114 करोड़ रुपए मूल्य के अंतरिक्ष घटकों का आयात किया जाता है, जिससे आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है और घरेलू खरीद में बाधा उत्पन्न होती है।
- **बुनियादी अवसंरचना और प्रक्षेपण क्षमता की बाधाएँ**
  - एकल प्रक्षेपण स्थल: भारत मुख्य रूप से श्रीहरिकोटा से परिचालन करता है, जिससे प्रक्षेपण आवृत्ति और लचीलापन सीमित हो जाता है। वाणिज्यिक प्रक्षेपणों के लिये अधिक अंतरिक्ष बंदरगाहों की आवश्यकता है।
- **बाज़ार और प्रतिस्पर्द्धा की चुनौतियाँ**
  - वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार में भारत की छोटी हिस्सेदारी: लागत लाभ के बावजूद, भारत 500 बिलियन डॉलर की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2% से भी कम योगदान देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

चुनौतियों से निपटने में IN-SPACe की भूमिका:

- **वित्तपोषण एवं निवेश सहायता**
  - निजी पूंजी और वैश्विक सहयोग को आकर्षित करने के लिये FDI और PPP मॉडल को सुविधाजनक बनाना।
  - वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिये उद्यम पूंजी और सरकारी प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करना।
- **प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना विकास**
  - अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और विनिर्माण के लिये ISRO की सुविधाओं तक निजी पहुँच को सक्षम बनाना।
  - लागत दक्षता के लिये पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों (RLV) और NGLV के विकास का समर्थन करना।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना**
  - अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना और 500 बिलियन डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाना।
  - भारत को किफायती अंतरिक्ष समाधानों के लिये वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिये वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपणों को समर्थन देना।

भारत के बाज़ार-संचालित अंतरिक्ष क्षेत्र को मज़बूत करने की रणनीतियाँ

- **एक व्यापक अंतरिक्ष कानून लागू करना**
  - निजी भागीदारों के लिये कानूनी स्पष्टता प्रदान करने हेतु भारतीय अंतरिक्ष गतिविधियाँ अधिनियम का प्रारूप तैयार करना और उसे लागू करना।
  - दायित्व, बीमा और विवाद समाधान के लिये एक स्पष्ट कार्यढाँचा स्थापित करना।
- **घरेलू अंतरिक्ष विनिर्माण को बढ़ावा देना**
  - लक्षित स्थानीयकरण प्राप्त करने के लिये 'अंतरिक्ष घटक स्वदेशीकरण मिशन' शुरू करना।
  - एक मज़बूत आपूर्तिकर्त्ता पारिस्थितिकी तंत्र के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करना**
  - प्रौद्योगिकी समन्वय के लिये NASA, ESA, JAXA और रॉस्कॉस्मोस के साथ साझेदारी को मज़बूत करना।
  - क्षेत्रीय अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने के लिये 'दक्षिण एशियाई अंतरिक्ष गठबंधन' का गठन करना।
- **निजी भागीदारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना**
  - उच्च जोखिम वाले निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष उपक्रमों के लिये व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) की शुरुआत करना।
  - स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिये अंतरिक्ष विनिर्माण के लिये उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार करना।

निष्कर्ष:

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण क्षमता-संचालित से बाज़ार-संचालित मॉडल की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है। जबकि IN-SPACe, NSIL और SpIN वाणिज्यिक विस्तार को आगे बढ़ा रहे हैं, विनियामक स्पष्टता, बुनियादी अवसंरचना विकास एवं तकनीकी उन्नति महत्त्वपूर्ण बनी हुई है।

प्रश्न : "स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिये एक संभावित समाधान के रूप में उभर रहे हैं।" भारत की परमाणु ऊर्जा रणनीति में SMR की संभावनाओं और चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में उनकी भूमिका का परिचय दीजिये।
- भारत में SMR की संभावनाओं, चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा कीजिये, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, डीकार्बोनाइज़ेशन और ग्रिड लचीलापन शामिल हैं।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी क्षमता >30 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट< तक होती है। उनके मॉड्यूलर डिज़ाइन, बेहतर सुरक्षा सुविधाएँ और अनुकूलनशीलता उन्हें भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिये एक व्यवहार्य समाधान बनाती है। SMR पर भारत का ध्यान इसके शुद्ध-शून्य लक्ष्यों और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

भारत की परमाणु ऊर्जा रणनीति में SMR की संभावनाएँ:

- ऊर्जा सुरक्षा और विश्वसनीयता: SMR जीवाश्म ईंधन के लिये एक स्थायी, निम्न-कार्बन विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे भारत की कोयला और तेल आयात पर निर्भरता कम होती है।
- स्केलेबिलिटी और ग्रिड लचीलापन: उनके छोटे आकार और मॉड्यूलर प्रकृति के कारण, SMR को शीघ्रता से स्थापित किया जा सकता है तथा मौजूदा ग्रिड में एकीकृत किया जा सकता है या ऑफ-ग्रिड स्थानों में उपयोग किया जा सकता है।
- डीकार्बोनाइज़ेशन और जलवायु प्रतिबद्धताएँ: SMR वर्ष 2030 तक 50% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिये भारत की COP26 प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- कोयला विद्युत संयंत्रों का पुनरुद्देश्यीकरण: BARC, बंद हो रहे कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का पुनरुद्देश्यीकरण करने के लिये स्वदेशी SMR विकसित कर रहा है, जिससे मौजूदा बुनियादी अवसंरचना का उपयोग करते हुए कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश: विकसित भारत के लिये परमाणु ऊर्जा मिशन SMR में निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है, तकनीकी नवाचार एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता को बढ़ावा देता है।
- भूमि और जल का कुशल उपयोग: SMR को बड़े रिएक्टरों की तुलना में कम भूमि और शीतलन जल की आवश्यकता होती है, जिससे वे इस्पात और एल्यूमीनियम संयंत्रों जैसे औद्योगिक समूहों के लिये उपयुक्त होते हैं।

भारत में SMR के लिये चुनौतियाँ

- विनियामक एवं नीतिगत बाधाएँ: परमाणुवीय नुकसान के लिये सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 आपूर्तिकर्त्ताओं पर दायित्व थोपता है, जिससे परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश हतोत्साहित होता है।
- उच्च आरंभिक लागत और वित्तपोषण संबंधी समस्याएँ: स्वदेशी SMR विकसित करने के लिये बहुत बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है।
  - अनुमान है कि इन रिएक्टरों के लिये CAPEX लागत 5,000 डॉलर/किलोवाट तक हो सकती है।
- तकनीकी चुनौतियाँ: SMR में जटिल डिज़ाइन और नवीन ईंधन चक्र शामिल होते हैं, जिसके लिये उन्नत अनुसंधान एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
- रेडियोधर्मी अपशिष्ट: SMR से व्ययित ईंधन अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसके भंडारण की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ SMR डिज़ाइनों में न्यूट्रॉन परावर्तकों एवं विशेष ईंधनों के कारण अपशिष्ट में वृद्धि होती है।
- जनता की धारणा और भागीदारी: परमाणु ऊर्जा को परमाणु आपदाओं के संभावित परिणामों के कारण विरोध का सामना करना पड़ता है। भोपाल गैस त्रासदी के कुप्रभाव आज भी हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए समाधान एवं कदम:

- नियामक सुधार: सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने के लिये परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है।
- वित्तीय सहायता: SMR अनुसंधान एवं विकास और तैनाती के लिये बजट 2025-26 में ₹20,000 करोड़ आवंटित किये गए हैं।
- तकनीकी विकास: BARC कोयला विद्युत संयंत्र के पुनरुद्देश्यीकरण में सहायता के लिये स्वदेशी SMR विकसित कर रहा है।
- जन जागरूकता पहल: NPCIL और DAE परमाणु ऊर्जा में जनता का विश्वास बनाने के लिये जागरूकता अभियान चला रहे हैं।
- वैश्विक सहयोग: भारत SMR प्रौद्योगिकी अंतरण तथा ईंधन आपूर्ति के लिये रूस, फ्राँस और अमेरिका के साथ साझेदारी की संभावनाएँ तलाश रहा है।

निष्कर्ष:

SMR भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिये स्केलेबल और स्वच्छ ऊर्जा के साथ एक परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करते हैं। नीति समर्थन, निजी निवेश और वैश्विक सहयोग के माध्यम से विनियामक, वित्तीय एवं तकनीकी चुनौतियों पर नियंत्रण पाना सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : पुनीत एक ऊर्जावान और सक्रिय अधिकारी हैं, जो राज्य खेल परिषद के निदेशक पद पर कार्यरत हैं। उनका कार्य ज़मीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, बुनियादी अवसंरचना में सुधार करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिये एथलीटों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है।

अपने कार्यकाल के दौरान, पुनीत को युवा एथलीटों और कोचों से प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की चयन प्रक्रिया में व्यापक पक्षपात तथा भ्रष्टाचार की कई शिकायतें प्राप्त हुईं। आरोपों से पता चलता है कि राजनीतिक संबंधों और रिश्वत के कारण कई अयोग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया, जबकि प्रतिभाशाली एथलीटों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से, को नज़रअंदाज़ कर दिया गया।

जाँच के दौरान, पुनीत को वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभावशाली राजनेताओं और खेल महासंघ के सदस्यों की संलिप्तता वाले कदाचार के ठोस साक्ष्य मिलते हैं। जब वह अपने वरिष्ठों के सामने इस मुद्दे को उठाता है, तो उसे "दूसरी तरफ देखने" की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें शामिल व्यक्ति राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं। कुछ अधिकारियों ने पुनीत को चेतावनी दी कि यदि वह इस मुद्दे को उजागर करता है, तो उसके कॅरियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उसे बार-बार तबादलों का सामना करना पड़ सकता है या प्रशासनिक रूप से हाशिये पर डाला जा सकता है।

एथलीटों और उनके परिवारों ने न्याय एवं पारदर्शिता की मांग करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन तीव्र कर दिया है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। इस मुद्दे ने मीडिया का व्यापक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे अधिकारियों पर कार्रवाई करने का काफी दबाव है। इस बीच, एक प्रसिद्ध पत्रकार पुनीत से संपर्क करता है, ताकि घोटाले को उजागर करने के लिये अंदरूनी जानकारी प्राप्त कर सके। हालाँकि पुनीत को एक दुविधा का सामना करना पड़ता है—यदि वे कदाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो टीम चयन प्रक्रिया में विलंब हो सकता है, जिससे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में देश की भागीदारी प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, यदि वे निष्क्रिय रहते हैं, तो यह उनकी ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही के सिद्धांतों से समझौता करेगा।

1. इस स्थिति में पुनीत को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है?
2. इस परिदृश्य में, पुनीत किन संभावित कदमों को अपना सकते हैं? उनकी नैतिक ज़िम्मेदारियों और व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक दृष्टिकोण के लाभों और संभावित परिणामों का सम्यक मूल्यांकन कीजिये।
3. खेल प्रशासन में पक्षपात और भ्रष्टाचार को रोकने तथा खिलाड़ियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि वाले खिलाड़ियों, के लिये उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिये कौन-से संस्थागत और ज़मीनी स्तर पर सुधार लागू किये जा सकते हैं?

परिचय:

राज्य खेल परिषद के निदेशक पुनीत, एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिये चयन प्रक्रिया में पक्षपात और भ्रष्टाचार से जुड़ी एक गंभीर नैतिक दुविधा का सामना कर रहे हैं। विश्वसनीय शिकायतें और कदाचार के ठोस प्रमाण मिलने के बावजूद, उन्हें इस मुद्दे को नजरअंदाज़ करने के लिये राजनीतिक दबाव तथा कॅरियर से संबंधित धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।

- इस बीच, जनता में आक्रोश और मीडिया की जाँच तीव्र हो गई है तथा योग्य एथलीटों के लिये पारदर्शिता एवं न्याय की मांग की जा रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

1. इस स्थिति में पुनीत को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है ?

- **ईमानदारी बनाम वरिष्ठों के साथ अनुपालन**
  - पुनीत का कर्त्तव्य है कि वह खिलाड़ियों के चयन में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखें। हालाँकि, उनके वरिष्ठ अधिकारी राजनीतिक प्रभाव के कारण उन पर इस गड़बड़ी को नज़रअंदाज़ करने का दबाव बना रहे हैं।
  - उनकी सलाह मानने का अर्थ होगा अपनी निष्ठा से समझौता करना, जबकि इसका विरोध करना व्यक्तिगत और पेशेवर परिणामों को आमंत्रित कर सकता है, जैसे कि तबादला या हाशिये पर डाला जाना।
- **एथलीटों के लिये न्याय बनाम राजनीतिक दबाव**
  - योग्य उम्मीदवारों को अवसर से वंचित किया जा रहा है, जो निष्पक्षता और योग्यता के सिद्धांतों के विपरीत है।
  - भ्रष्टाचार को उजागर करने से अन्याय को दूर किया जा सकता है, लेकिन इससे शक्तिशाली राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तियों को चुनौती भी मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप संस्थागत विरोध उत्पन्न हो सकता है।
- **सार्वजनिक हित बनाम राष्ट्रीय प्रतिष्ठा**
  - भ्रष्टाचार पर ध्यान देने से खेल प्रणाली में दीर्घकालिक सुधार और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी, जिसमें भविष्य के एथलीटों का भी लाभ निहित है।
  - हालाँकि, तत्काल कार्रवाई करने से चयन प्रक्रिया में विलंब हो सकता है, , जिससे भारत को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भाग लेने से रोका जा सकता है। इसका राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और एथलीटों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **मुखबिरी बनाम संगठनात्मक निष्ठा**
  - पत्रकारों को अंदरूनी जानकारी देने से भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है और जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है, जिससे सकारात्मक प्रणालीगत बदलाव हो सकते हैं।
  - हालाँकि, इससे आधिकारिक गोपनीयता के मानदंडों का उल्लंघन भी हो सकता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, जिससे उनके कॅरियर की संभावनाओं को नुकसान पहुँच सकता है।
- **अल्पकालिक परिणाम बनाम दीर्घकालिक सुधार**
  - जिम्मेदार लोगों को दंडित करने से भविष्य में भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है, लेकिन इसमें समय लग सकता है, जिसका असर वर्तमान एथलीटों पर पड़ेगा।
  - अल्पकालिक सुविधा के लिये इस मुद्दे की अनदेखी करने से प्रणालीगत भ्रष्टाचार जारी रहेगा, जिससे दीर्घकालिक तौर पर खेल क्षेत्र को नुकसान होगा।

2. इस परिदृश्य में, पुनीत किन संभावित कदमों को अपना सकते हैं ? उनकी नैतिक ज़िम्मेदारियों और व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक दृष्टिकोण के लाभों और संभावित परिणामों का सम्यक मूल्यांकन कीजिये।

- भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना और आधिकारिक कार्रवाई शुरू करना
  - शामिल कदम: भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों या केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के पास औपचारिक शिकायत दर्ज करना।
    - चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करना।
    - ईमानदार वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर संस्थागत सहायता ली जानी चाहिये।
  - लाभ:
    - खेल प्रशासन में ईमानदारी, निष्पक्षता और योग्यता को कायम रखा जा सकता है।
    - इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश जाएगा तथा भविष्य में इस तरह की गलत हरकतों पर रोक लगेगी।
    - यह प्रणाली में खिलाड़ियों का विश्वास स्थापित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सर्वोत्तम प्रतिभा का चयन किया जाए।
  - नतीजे:
    - इससे कॅरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है (बार-बार स्थानांतरण, हाशिये पर रहना या पेशेवर अलगाव)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- संस्थागत प्रतिरोध का खतरा, क्योंकि राजनीतिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति जाँच को दबाने का प्रयास कर सकते हैं।
- चयन प्रक्रिया में विलंब हो सकता है, जिससे आयोजन में राष्ट्रीय भागीदारी प्रभावित हो सकती है।

- **तत्काल टकराव के बिना आंतरिक सुधार की मांग करना**
  - शामिल कदम: अपने अधिकार क्षेत्र में एक पारदर्शी समीक्षा प्रक्रिया का संचालन किया जाना।
    - निष्पक्ष चयन के लिये स्वतंत्र निरीक्षण समितियाँ स्थापित की जानी चाहिये।
    - राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिये दीर्घकालिक नीतिगत परिवर्तन का प्रस्ताव रखा जाना चाहिये।
  - लाभ:
    - यह एक व्यावहारिक, कम टकरावपूर्ण दृष्टिकोण की अनुमति देता है, जिससे प्रतिक्रिया का जोखिम कम हो जाता है।
    - इससे तत्काल व्यवधान के बिना प्रणालीगत सुधार की नींव रखी जा सकती है।
    - टीम चयन में निरंतरता सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे भारत की अयोग्यता का जोखिम न्यूनतम हो जाएगा।
  - नतीजे:
    - भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल दंडित नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें व्यवस्था में बने रहने दिया जाता है।
    - जिन एथलीटों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें अल्पावधि में न्याय नहीं मिल सकता है।
- **मीडिया को जानकारी लीक करके भ्रष्टाचार को उजागर करना**
  - शामिल कदम: भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिये किसी प्रतिष्ठित पत्रकार को साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना।
    - अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिये जन दबाव का प्रयोग किया जाना।
  - लाभ:
    - पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, प्रणालीगत सुधारों पर बल देता है।
    - जनता और मीडिया का समर्थन पुनीत को व्यक्तिगत प्रतिशोध से बचा सकता है।
  - नतीजे:
    - इससे आधिकारिक गोपनीयता मानदंडों का उल्लंघन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पुनीत के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
    - इस मुद्दे पर राजनीतिक ध्रुवीकरण हो सकता है, जिससे प्रशासनिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है।
    - चयन प्रक्रिया रुक सकती है, जिससे भारत की भागीदारी खतरे में पड़ सकती है।
- **वरिष्ठों की सलाह मानकर समस्या को नज़रअंदाज़ करना**
  - शामिल कदम: मौन रहना या मौजूदा भ्रष्ट प्रथाओं का अनुपालन करना।
    - राष्ट्रीय हित और संगठनात्मक निष्ठा को प्राथमिकता देकर निष्क्रियता को उचित ठहराया जाना।
  - लाभ:
    - व्यक्तिगत और व्यावसायिक जोखिम से बचा जा सकता है।
    - इस आयोजन में भारत की निर्बाध भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।
    - पुनीत की स्थिति को बरकरार रखा जा सकता है, जिससे उन्हें बाद में सुधारों के लिये काम करने की अनुमति मिल सकती है।
  - नतीजे:
    - ईमानदारी और न्याय के नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।
    - इससे भ्रष्टाचार जारी रह सकती है, जिससे योग्य खिलाड़ियों को उनके अवसर नहीं मिल पाएंगे।
    - खेल प्रशासन में जनता का विश्वास खत्म हो सकता है।
- **सुधार को व्यवहारवाद के साथ संतुलित करना – एक मध्यम मार्ग दृष्टिकोण**
  - शामिल कदम: तत्काल आंतरिक समीक्षा करना और जहाँ संभव हो, गलत चयनों को सही करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- टीम चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ने देना, लेकिन स्वतंत्र जाँच के माध्यम से बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये घटना के बाद भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकारियों को एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

◆ लाभ:

- दीर्घकालिक सुधार के लिये कार्य करते हुए अल्पकालिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।
- निष्पक्षता को कायम रखते हुए अनावश्यक राजनीतिक टकराव से बचा जा सकता है।
- यह प्रणालीगत परिवर्तन को बढ़ावा देते हुए पुनीत के कॅरियर के लिये जोखिम को कम करता है।

◆ नतीजे:

- यह सभी भ्रष्टाचार को तुरंत उजागर नहीं करता है, जिससे कुछ दोषी अधिकारी अस्थायी रूप से दण्ड से बच सकते हैं।
- राजनीतिक प्रतिशोध को रोकने के लिये सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है।

सबसे अनुकूल कार्यवाही:

सबसे संतुलित दृष्टिकोण मध्य मार्ग है (विकल्प 5 जो विकल्प 2 के कुछ हिस्सों को आत्मसात करता है)— आयोजन को बाधित किये बिना चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और साथ ही साथ दीर्घकालिक भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों की शुरुआत करना।

3. खेल प्रशासन में पक्षपात और भ्रष्टाचार को रोकने तथा खिलाड़ियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि वाले खिलाड़ियों, के लिये उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिये कौन-से संस्थागत और ज़मीनी स्तर पर सुधार लागू किये जा सकते हैं?

संस्थागत स्तर पर सुधार (प्रणालीगत अधोगामी परिवर्तन)

- पारदर्शी एवं योग्यता-आधारित चयन: निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये स्वतंत्र चयन पैनल और लाइव-स्ट्रीम मूल्यांकन।
- भ्रष्टाचार विरोधी एवं मुखबिर संरक्षण: खेल सत्यनिष्ठा आयोग की स्थापना करना, मुखबिर सुरक्षा उपायों को लागू करना तथा भ्रष्ट अधिकारियों पर कठोर दंड लगाना।
- स्वतंत्र निगरानी एवं शासन: कार्यकाल सीमा लागू करना, महासंघों के लिये RTI अनुपालन अनिवार्य करना तथा राजनीतिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करना।
- वित्तीय एवं अवसंरचना सहायता: राष्ट्रीय खेल छात्रवृत्ति कोष, CSR के माध्यम से अनिवार्य कॉर्पोरेट प्रायोजन तथा प्रदर्शन आधारित वित्तीय सहायता।
- कानूनी एवं नैतिक कार्यढाँचा: खेल नैतिकता चार्टर को लागू करना तथा विवाद समाधान के लिये त्वरित मध्यस्थता अदालतों की स्थापना करना।

ज़मीनी स्तर पर सुधार (एथलीटों का उर्ध्वगामी सशक्तीकरण)

- सार्वभौमिक खेल अभिगम: 'एक जिला, एक खेल केंद्र' पहल, मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयाँ, और ज़मीनी स्तर पर स्थानीय प्रतिभाओं की खोज (साथ ही अन्य खेलों पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित करना)।
- शिक्षा में एकीकरण: स्कूलों में अनिवार्य खेल अवधि, योग्यता आधारित विश्वविद्यालय खेल कोटा और संरचित जमीनी स्तर पर कोच प्रशिक्षण।
- महिला एवं अल्पसंख्यक समावेशन: विशिष्ट कोचिंग केंद्र, महिला एथलीटों के लिये वित्तीय एवं सामाजिक सहायता तथा ST/SC/OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के लिये विशेष कार्यक्रम।
- डिजिटल एवं तकनीकी सुधार: पारदर्शिता के लिये राष्ट्रीय खेल प्रतिभा पोर्टल, AI-आधारित प्रदर्शन विश्लेषण और ब्लॉकचेन-आधारित एथलीट रिकॉर्ड।

निष्कर्ष:

पुनीत को व्यावहारिकता और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन बनाते हुए ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखना चाहिये। एक संतुलित दृष्टिकोण: तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना, एथलीट अधिकारों की रक्षा करना और दीर्घकालिक सुधार शुरू करना खेल प्रशासन में विश्वास स्थापित करने में मदद करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : आप एक तेज़ी से शहरीकृत हो रहे ज़िले के ज़िला कलेक्टर हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को किफायती घर उपलब्ध कराने के लिये एक बड़ी सरकारी आवास परियोजना निर्माणाधीन है। इस परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत एक निजी ठेकेदार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

किसी शाम, निर्माणाधीन आवासीय ब्लॉक का एक हिस्सा ढह गया, जिससे पाँच श्रमिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि निर्माण कार्य में निम्नस्तरीय गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा, यह पता चला है कि परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिया में कई अनियमितताएँ थीं, जिसमें पर्यावरण अनुमोदन मानदंडों का उल्लंघन और स्वीकृत योजना से परे अनधिकृत विस्तार शामिल है। इस परियोजना को आपके पूर्ववर्ती अधिकारी के कार्यकाल के दौरान मंज़ूरी दी गई थी, जो अब राज्य सरकार में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं।

जैसे ही आप गहन जाँच शुरू करते हैं, कई हितधारक आप पर भारी दबाव डालते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपको अपने पूर्ववर्ती को दोषी ठहराने ने से बचने की सलाह देते हैं, यह तर्क देते हुए कि इससे प्रशासन की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। ठेकेदार जो कि एक राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ व्यवसायी है, रिपोर्ट को कमज़ोर करने के बदले में आपको सेवानिवृत्ति के बाद एक सलाहकार के रूप में आकर्षक भूमिका प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय राजनेता गरीबों को आवास प्रदान करने की तात्कालिकता का हवाला देते हुए, आपसे खामियों के बावजूद परियोजना को जारी रखने का आग्रह करते हैं। इस दौरान, श्रमिक संघ और नागरिक समाज समूह जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं।

1. इस मामले में नैतिक दुविधाओं का अभिनिर्धारण कर प्रासंगिक नैतिक सिद्धांतों को अपनाते हुए उनका विश्लेषण कीजिये।
2. सभी हितधारकों के हितों में संतुलन बनाए रखते हुए दायित्व सुनिश्चित करने के लिये आपको क्या कदम उठाना चाहिये?
3. बुनियादी संरचना से संबद्ध ऐसी विफलताओं की पुनरावृत्ति को रोकने में कौन-सी नीतिगत सिफारिशें सहायक सिद्ध हो सकती हैं?

परिचय:

निर्माणाधीन सरकारी आवास परियोजना के ढह जाने के परिणामस्वरूप पाँच श्रमिकों की मृत्यु हो गई। जाँच में निम्नस्तरीय गुणवत्ता वाली सामग्री, अनियमित अनुमोदन और उल्लंघन का पता चला। वर्तमान ज़िला कलेक्टर को राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक प्रभाव और रिश्वतखोरी के प्रयासों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नागरिक समाज जवाबदेही की मांग कर रहा है। मुख्य चुनौती न्याय, सुरक्षा और परियोजना निरंतरता को संतुलित करना है।

मुख्य भाग:

1. इस मामले में नैतिक दुविधाओं का अभिनिर्धारण कर प्रासंगिक नैतिक सिद्धांतों को अपनाते हुए उनका विश्लेषण कीजिये।

- **सत्य और संगठनात्मक निष्ठा के बीच संघर्ष**
  - जाँच से किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका उजागर हो सकती है, जिससे प्रशासन की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है।
  - कर्त्तव्य-आधारित नैतिकता (कांटियन कर्त्तव्य-आधारित नैतिकता) इस बात पर जोर देती है कि सत्य एवं न्याय के प्रति कर्त्तव्य संस्थागत निष्ठा से अधिक महत्त्वपूर्ण है। गलत कामों को छुपाना प्रशासनिक ईमानदारी से समझौता होगा।
  - सदाचार नैतिकता (अरस्तू) का सुझाव है कि एक न्यायप्रिय और साहसी अधिकारी को ईमानदारी से काम करना चाहिये, भले ही इसके लिये उसे शक्तिशाली व्यक्तियों के खिलाफ जाना पड़े।
- **ईमानदारी बनाम व्यक्तिगत लाभ**
  - ठेकेदार द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद परामर्शदात्री पद की पेशकश रिश्वतखोरी और हितों के टकराव का स्पष्ट मामला है।
  - गांधीवादी नैतिकता सार्वजनिक सेवा में निस्वार्थता और नैतिक साहस पर बल देती है तथा लोक कल्याण की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ को अस्वीकार करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कानून का शासन बनाम सुविधावाद**
  - राजनीतिक नेता गरीबों के लिये आवास की तत्काल आवश्यकता का हवाला देते हुए उल्लंघनों के बावजूद परियोजना को जारी रखने का तर्क देते हैं।
  - कानूनी प्रत्यक्षवाद यह अनिवार्य करता है कि कानूनों और विनियमों का पालन किया जाना चाहिये, भले ही उनसे कोई लाभ क्यों न हो। उल्लंघनों की अनदेखी करने से और अधिक दुर्घटनाएँ हो सकती हैं तथा जान-माल का नुकसान हो सकता है।
  - सामाजिक अनुबंध सिद्धांत (रूसो, लॉक) सुझाव देता है कि शासन निष्पक्षता और न्याय पर आधारित होना चाहिये, जिससे प्रणाली में जनता का विश्वास सुनिश्चित हो सके।
- **उत्तरदायित्व बनाम राजनीतिक दबाव**
  - राजनेता और वरिष्ठ अधिकारी अनियमितताओं में शामिल प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिये अधिकारी पर दबाव डालते हैं।
  - कर्त्तव्य-नैतिकता इस बात पर बल देती है कि दोषियों को बचाने से जनता का विश्वास तथा न्याय नष्ट होता है।
  - मैकियावेलीवादी व्यावहारिकता जाँच और राजनीतिक हितों के बीच संतुलन का सुझाव दे सकती है, लेकिन नैतिक शासन के लिये राजनीतिक सुविधावाद की तुलना में सत्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
- **मानवीय चिंता बनाम दीर्घकालिक सुरक्षा**
  - यद्यपि आवास एक महती आवश्यकता है, फिर भी निम्नस्तरीय निर्माण से भविष्य में निवासियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है।
  - गांधीवादी ट्रस्टीशिप मॉडल जिम्मेदार विकास का समर्थन करता है, जो सामाजिक कल्याण एवं नैतिक शासन दोनों को सुनिश्चित करता है।

2. सभी हितधारकों के हितों में संतुलन बनाए रखते हुए दायित्व सुनिश्चित करने के लिये आपको क्या कदम उठाना चाहिये?

- **तत्काल संकट मोचन (प्रारंभिक 24-48 घंटे)**
  - बचाव एवं राहत
    - बचाव कार्यों की देखरेख करने तथा घायलों के लिये चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिये व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का दौरा किया जाना चाहिये।
    - मृतक श्रमिकों के परिवारों और घायलों के लिये सरकारी मानदंडों के अनुसार मुआवज़े की घोषणा की जानी चाहिये।
  - सार्वजनिक एवं मीडिया प्रबंधन
    - घटना को स्वीकार करते हुए एक पारदर्शी सार्वजनिक बयान जारी करने के साथ ही निष्पक्ष जाँच का वादा किया जाना चाहिये।
    - मीडिया के प्रश्नों को संभालने के लिये एक आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करके गलत सूचना के प्रसार पर रोक लगाया जाना चाहिये।
  - सुरक्षा सुनिश्चित करना और आगे की क्षति को रोकना
    - जोखिमों की जाँच के लिये संपूर्ण परियोजना का तत्काल संरचनात्मक ऑडिट कराने का आदेश दिया जाना चाहिये।
    - सभी निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया जाना चाहिये लेकिन आवश्यक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण जारी रहने देने की आवश्यकता है।
- **स्वतंत्र एवं लक्षित जाँच**
  - तटस्थ जाँच समिति का गठन
    - एक उच्च स्तरीय जाँच दल का गठन किया जाना चाहिये जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:
      - निर्माण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिये स्वतंत्र संरचनात्मक इंजीनियर।
      - परियोजना अनुमोदन और संविदात्मक दायित्वों की समीक्षा के लिये कानूनी विशेषज्ञ।
      - तटस्थता के लिये वरिष्ठ प्रशासक (ज़िले से बाहर से)।
  - प्रशासनिक प्रभाव के बिना जवाबदेही सुनिश्चित करना
    - जाँच को सीधे तौर पर व्यक्तियों को लक्ष्य करने के बजाय प्रणालीगत विफलताओं और प्रक्रियागत खामियों पर केंद्रित किया जाना चाहिये, लेकिन दोषी सिद्ध होने पर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह भी ठहराया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- राज्य स्तरीय सतर्कता टीम से अनुरोध किया जाना चाहिये कि वह व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बिना पिछले अनुमोदनों की समीक्षा करें।

◆ ठेकेदार और उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ कार्रवाई

- यदि दोषी पाया जाता है, तो ठेकेदार के विरुद्ध लापरवाही और संभावित आपराधिक दायित्व के लिये कानूनी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिये।
- ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डालकर भविष्य में सरकारी परियोजनाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने की सिफारिश की जानी चाहिये।
- यदि भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी की पुष्टि होती है तो स्थानीय प्रशासन को प्रासंगिक कानूनों के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाना चाहिये।

● **राजनीतिक एवं प्रशासनिक दबाव से निपटना**

◆ वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव का प्रबंधन

- प्रत्यक्ष टकराव के स्थान पर अतीत की गलतियों को छिपाने के जोखिमों पर प्रकाश डालना आवश्यक है तथा इस बात पर बल दिया जाना चाहिये कि लापरवाही को छुपाने से आगे चलकर कानूनी एवं सार्वजनिक प्रतिक्रिया हो सकती है।
- यदि प्रतिरोध जारी रहता है, तो निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये मामले को मुख्य सचिव या राज्य सतर्कता आयोग के समक्ष चतुराईपूर्वक उठाया जाना चाहिये।

◆ ठेकेदार के रिश्वत प्रस्ताव से निपटना

- सेवानिवृत्ति के बाद परामर्श के प्रस्ताव को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर संभावित कानूनी कार्रवाई के लिये घटना का दस्तावेज़ीकरण कर लिया जाना चाहिये।
- ठेकेदार को चेतावनी दी जानी चाहिये कि लगातार हस्तक्षेप करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें रिश्वतखोरी के लिये संभावित आपराधिक आरोप भी शामिल होंगे।

◆ राजनीतिक हितों और सार्वजनिक आवश्यकताओं में संतुलन

- स्थानीय राजनेताओं को शामिल कर इस बात पर बल देना आवश्यक है कि जवाबदेही सुनिश्चित करने का मतलब परियोजना को पूरी तरह से रोकना नहीं है– इसके बजाय, इससे दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित होगा।
- हितधारकों को आश्वस्त करने के लिये एक संशोधित परियोजना समय-सीमा की पेशकश की जानी चाहिये कि आवास योजना बिना किसी सुरक्षा जोखिम के जारी रहेगी।

● **आवास परियोजना की सुरक्षित निरंतरता सुनिश्चित करना**

◆ परियोजना को पूरी तरह से समाप्त किये बिना उसे दुरुस्त करना

- केवल उपयुक्त क्षेत्रों में ही निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिये, जबकि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिये।
- यदि आवश्यक हो, तो गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये शेष कार्य के लिये वैकल्पिक ठेकेदार को भी नियुक्त किया जाना चाहिये।
- भावी निर्माण कार्य की देखरेख के लिये एक तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी की नियुक्ति की जानी चाहिये।

◆ श्रमिक सुरक्षा एवं श्रम अधिकारों को मज़बूत बनाना

- सुरक्षात्मक साधन और उचित कार्यस्थल पर्यवेक्षण सहित बेहतर सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाए जाने चाहिये।
- मजदूरों के लिये एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये ताकि वे नौकरी छूटने के डर के बिना उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकें।

3. बुनियादी संरचना से संबद्ध ऐसी विफलताओं की पुनरावृत्ति को रोकने में कौन-सी नीतिगत सिफारिशें सहायक सिद्ध हो सकती हैं?

● **निर्माण गुणवत्ता मानकों को मज़बूत बनाना**

◆ अनिवार्य तृतीय-पक्ष गुणवत्ता ऑडिट:

- तीन महत्त्वपूर्ण चरणों— नींव, मध्य-निर्माण और पूर्णता पर स्वतंत्र तृतीय-पक्ष संरचनात्मक ऑडिट लागू की जानी चाहिये।
- हेराफेरी को रोकने के लिये ऑडिट को यादृच्छिक और डिजिटल बनाया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- प्रमाणित निर्माण सामग्री का उपयोग:
  - निम्नस्तरीय सामग्री की आपूर्ति को रोकने के लिये सामग्रियों (सीमेंट, स्टील, रेत) की क्यूआर-कोडेड ट्रैकिंग लागू की जानी चाहिये।
  - उपयोग से पहले नमूने के सत्यापन के लिये राज्य संचालित परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जानी चाहिये।
- ठेकेदारों के लिये कड़े सुरक्षा प्रमाणन:
  - सरकारी ठेकेदारों के लिये अनिवार्य लाइसेंसिंग लागू किये जाने चाहिये, जिसका नवीनीकरण पिछले परियोजना प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
  - परियोजना इतिहास, गुणवत्ता और सुरक्षा अनुपालन के आधार पर एक राष्ट्रीय ठेकेदार रेटिंग प्रणाली बनाया जाना चाहिये।

- **परियोजना अनुमोदन और निगरानी प्रक्रिया में सुधार**
  - पारदर्शी डिजिटल अनुमोदन और अनुपालन जाँच:
    - अनधिकृत विस्तार को रोकने के लिये GIS-आधारित परियोजना ट्रैकिंग प्रणाली लागू की जानी चाहिये।
    - पारदर्शिता सुनिश्चित करने और छेड़छाड़ को रोकने के लिये परियोजना अनुमोदन के लिये ब्लॉकचेन-आधारित रिकॉर्ड का उपयोग किया जाना चाहिये।
  - पर्यावरण एवं सुरक्षा अनुपालन एक अपरिहार्य कदम:
    - बड़ी परियोजनाओं के लिये AI-आधारित जोखिम आकलन के साथ पर्यावरण मंजूरी तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिये।
    - पर्यावरण अनुपालन पर नज़र रखने के लिये जनता के लिये सुलभ रियल टाइम डैशबोर्ड बनाए जाने चाहिये।
  - सभी सरकारी परियोजनाओं के लिये आवधिक संरचनात्मक अखंडता जाँच:
    - निर्माण के बाद प्रत्येक 5 वर्ष में सुरक्षा निरीक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिये, विशेष रूप से सार्वजनिक आवास और उच्च जोखिम वाली संरचनाओं के लिये।
    - वार्षिक मूल्यांकन करने के लिये ज़िला स्तरीय अवसंरचना सुरक्षा समीक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये।

- **बेहतर जवाबदेही के लिये संस्थागत और कानूनी सुधार**
  - लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिये त्वरित अभियोजन:
    - बुनियादी अवसंरचना से संबंधित धोखाधड़ी के लिये समयबद्ध जाँच और सुनवाई शुरू करने के लिये कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिये।
    - लापरवाही के दोषी पाए गए ठेकेदारों और अधिकारियों पर कठोर दायित्व कानून लागू किया जाना चाहिये।
  - स्वतंत्र अवसंरचना लोकपाल:
    - निर्माण उल्लंघनों की शिकायतों को निपटाने के लिये राज्य स्तरीय बुनियादी अवसंरचना लोकपाल की स्थापना की जानी चाहिये।
    - लोकपाल को फर्मों को ब्लैक लिस्ट में डालने और आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार होना चाहिये।
  - अनियमितताओं की रिपोर्टिंग के लिये व्हिसलब्लोअर संरक्षण:
    - इंजीनियरों, श्रमिकों और अधिकारियों के लिये प्रतिशोध के डर के बिना सुरक्षा चूक की रिपोर्ट करने हेतु मुखबिर गुमनामी तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
    - सार्वजनिक परियोजनाओं में बड़ी धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने पर मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये।

- **वास्तविक काल निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना**
  - AI और IoT-आधारित स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम:
    - वास्तविक काल में तनाव, दरारें और सामग्री क्षरण का पता लगाने के लिये संरचनाओं में एम्बेडेड IoT सेंसर का उपयोग किया जाना चाहिये।
    - उच्च जोखिम और बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिये ड्रोन-आधारित निर्माण निरीक्षण लागू किया जाना चाहिये।
  - जनता एवं कर्मचारी शिकायतों के लिये मोबाइल ऐप:
    - एक सार्वजनिक शिकायत निवारण ऐप लॉन्च किया जाना चाहिये जहाँ श्रमिक और नागरिक असुरक्षित निर्माण प्रथाओं की रिपोर्ट कर सकें।
    - यदि रिपोर्ट को कई बार चिह्नित किया जाता है तो उसे स्वचालित साइट निरीक्षण प्रारंभ करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- **श्रम कल्याण एवं सुरक्षा विनियम**
  - निर्माण श्रमिकों के लिये अनिवार्य बीमा और मुआवज़ा:
    - सार्वजनिक परियोजनाओं पर काम करने वाले सभी मजदूरों के लिये अनिवार्य जीवन एवं दुर्घटना बीमा लागू किया जाना चाहिये।
    - ठेकेदारों को सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिये।
  - सुरक्षा उल्लंघन के लिये सख्त दंड:
    - श्रेणीबद्ध दंड संरचना लागू किया जाना चाहिये, जहाँ बार-बार सुरक्षा उल्लंघन के कारण ठेकेदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है।
    - बड़ी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिये सुरक्षा समितियों में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिये।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल में सुधार**
  - प्रदर्शन-आधारित ठेकेदार भुगतान:
    - एकमुश्त भुगतान के बजाय, प्रत्येक चरण पर ठेकेदार के भुगतान को स्वतंत्र गुणवत्ता प्रमाणन से जोड़ा जाना चाहिये।
    - अनुचित कार्य के लिये वित्तीय दंड लागू किया जाना चाहिये तथा उच्च गुणवत्ता वाले कार्य के लिये पुरस्कृत भी किया जाना चाहिये।
  - सार्वजनिक निगरानी के साथ पारदर्शी निविदा प्रक्रिया:
    - निविदा में मिलीभगत और हेरफेर का पता लगाने के लिये AI-आधारित एल्गोरिदम का उपयोग किया जाना चाहिये।
    - बड़ी PPP परियोजनाओं की निगरानी में नागरिक और नागरिक समाज की भागीदारी को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

इस मामले में एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो पीड़ितों के लिये न्याय, लापरवाही के लिये जवाबदेही और आवास परियोजना की सुरक्षित निरंतरता सुनिश्चित करे। पारदर्शी जाँच, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और बेहतर निगरानी तंत्र भविष्य में चूक को रोकेंगे।

प्रश्न : एक महानगर में पुलिस उपायुक्त (DCP) के रूप में, आप अपराधियों पर नज़र रखने और अपराधों को रोकने के लिये तैयार किये गए AI-आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित यह सिस्टम चोरी को कम करने, संदिग्धों की पहचान करने और लंबित मामलों को सुलझाने में सहायक रहा है। हालाँकि, AI के एल्गोरिदम में गलत सकारात्मकता, गोपनीयता के उल्लंघन और संभावित पूर्वाग्रहों के संदर्भ में चिंताएँ सामने आई हैं।

हाल ही में, सिस्टम ने 22 वर्षीय कॉलेज छात्र रवि को कथित तौर पर हिंसक हो चुके एक विरोध प्रदर्शन में मौजूद होने के लिये चिह्नित किया। AI द्वारा उत्पन्न रिपोर्ट के आधार पर, रवि को पूछताछ के लिये कुछ समय के लिये हिरासत में लिया गया, जबकि उसने बल देते हुए कहा था कि वह इसमें शामिल नहीं था। उसके परिवार और नागरिक समाज समूहों का तर्क है कि AI सिस्टम में तकनीकी त्रुटि के कारण उसकी गलत पहचान की गई थी। जाँच से पता चलता है कि सीमांत पृष्ठभूमि के कई व्यक्तियों को असंगत रूप से चिह्नित किया गया है, जिससे AI-संचालित पुलिसिंग में पूर्वाग्रह के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

शहर का प्रशासन अब विभाजित है। कुछ अधिकारी गोपनीयता संबंधी चिंताओं और अनुचित गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए स्वतंत्र समीक्षा के लिये AI परियोजना को रोकने का समर्थन करते हैं। अन्य लोग तर्क देते हैं कि लाभ जोखिमों से अधिक हैं और AI त्रुटियों को समय के साथ सुधारा जा सकता है। इस बीच, रवि के मामले पर जनता का आक्रोश बढ़ रहा है और पुलिस विभाग की विश्वसनीयता दाँव पर है।

1. **कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ AI-संचालित फेशियल रिकॉग्निशन के लाभों को झूठी सकारात्मकता, गोपनीयता के उल्लंघन और एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह की चिंताओं के साथ किस प्रकार संतुलित कर सकती हैं?**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

2. **AI उपकरणों को तैनात करने में कानून प्रवर्तन को किन नैतिक सिद्धांतों का मार्गदर्शन करना चाहिये, विशेष रूप से गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने और सीमांत समुदायों की सुरक्षा करने में?**
3. **यह सुनिश्चित करने के लिये कि AI-संचालित पुलिसिंग पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनी रहे, कौन-से कानूनी, प्रक्रियात्मक और तकनीकी सुरक्षा उपाय लागू किये जाने चाहिये?**

परिचय:

कानून प्रवर्तन में AI-संचालित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) का उपयोग अपराध की रोकथाम में दक्षता प्रदान करता है, लेकिन साथ ही झूठी सकारात्मकता, गोपनीयता के उल्लंघन और पूर्वाग्रह के बारे में चिंताएँ भी बढ़ाता है। रवि की गलत पहचान प्रवर्तन में AI के नैतिक जोखिमों तथा जवाबदेही, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करती है। कानून प्रवर्तन को यह सुनिश्चित करते हुए मानव अधिकारों के साथ सार्वजनिक सुरक्षा को संतुलित करना चाहिये कि AI बिना किसी भेदभाव के न्याय प्रदान करे।

मुख्य भाग:

1. कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ AI-संचालित फेशियल रिकॉग्निशन के लाभों को झूठी सकारात्मकता, गोपनीयता के उल्लंघन और एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह की चिंताओं के साथ किस प्रकार संतुलित कर सकती हैं?

- सटीकता और मानवीय निरीक्षण सुनिश्चित करना: AI को मानवीय निर्णय में सहायता करनी चाहिये, लेकिन उसका स्थान नहीं लेना चाहिये; अधिकारियों को कार्य करने से पहले AI अलर्ट को सत्यापित (उदाहरण के लिये, चिह्नित मामलों की मैन्युअल समीक्षा) करना चाहिये।
- AI का आनुपातिक उपयोग: AI का उपयोग केवल वहाँ किया जाना चाहिये जहाँ आवश्यक हो, बड़े पैमाने पर निगरानी से बचना चाहिये जो नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है।
- नियमित प्रणालीगत ऑडिट: झूठी सकारात्मकता को कम करने और निर्दोष व्यक्तियों की गलत पहचान को रोकने के लिये प्रणाली को लगातार सटीकता परीक्षण से गुजरना चाहिये।
- पारदर्शिता और सार्वजनिक जागरूकता: कानून प्रवर्तन को विश्वास को बढ़ावा देने के लिये AI निगरानी नीतियों (उदाहरण के लिये, AI प्रदर्शन पर खुली रिपोर्ट) के बारे में जनता को सूचित करना चाहिये।
- पूर्वाग्रह का पता लगाना और सुधार: AI का नस्लीय, लैंगिक और सामाजिक-आर्थिक पूर्वाग्रहों के लिये परीक्षण किया जाना चाहिये तथा सुधारात्मक उपायों (जैसे, विविध प्रशिक्षण डेटासेट) को लागू किया जाना चाहिये।
- स्वतंत्र समीक्षा समितियाँ: निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये AI प्रणाली की निगरानी नैतिकता बोर्डों और मानवाधिकार आयोगों द्वारा की जानी चाहिये।
- शिकायत निवारण तंत्र - नागरिकों के पास गलत AI-बेस्ड हिरासत को चुनौती देने के लिये एक मंच होना चाहिये।

2. AI उपकरणों को तैनात करने में कानून प्रवर्तन को किन नैतिक सिद्धांतों का मार्गदर्शन करना चाहिये, विशेष रूप से गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने और सीमांत समुदायों की सुरक्षा करने में?

- न्याय और निष्पक्षता: AI-आधारित शासन निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी समुदाय को असंगत लक्ष्यीकरण या गलत तरीके से हिरासत में न लिया जाए।
- जवाबदेही और उत्तरदायित्व: कानून प्रवर्तन एजेंसियों को AI त्रुटियों को स्वीकार करना चाहिये और गलत कार्यों को सुधारने के लिये जवाबदेही तंत्र स्थापित करना चाहिये।
- गोपनीयता का अधिकार: AI का उपयोग ऐसे तरीके से किया जाना चाहिये जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान हो, तथा दुरुपयोग को रोकने के लिये सुदृढ़ डेटा सुरक्षा उपाय किये जाएं।
- मानवीय गरिमा और स्वायत्तता: किसी भी व्यक्ति को केवल AI पूर्वानुमानों के आधार पर अपराधी नहीं ठहराया जाना चाहिये। नैतिक प्रवर्तन को कानून प्रवर्तन में गरिमा और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिये।
- सार्वजनिक विश्वास और सहमति: AI उपकरण पारदर्शी और सार्वजनिक रूप से जवाबदेह होने चाहिये, जिससे उनके कार्यान्वयन से संबंधित निर्णयों में नागरिकों की भागीदारी हो सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- पूर्वाग्रह-मुक्त कार्यान्वयन: यह सुनिश्चित करने के लिये कि AI मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा न दे, नियमित इक्विटी ऑडिट और पूर्वाग्रह परीक्षण आयोजित किया जाना चाहिये।

3. यह सुनिश्चित करने के लिये कि AI-संचालित पुलिसिंग पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनी रहे, कौन-से कानूनी, प्रक्रियात्मक और तकनीकी सुरक्षा उपाय लागू किये जाने चाहिये ?

- **कानूनी सुरक्षा:**
  - विधि-व्यवस्था में AI को नियंत्रित करने वाले सख्त कानून स्थापित किये जाने चाहिये, जिसमें डेटा उपयोग, अवधारण और विलोपन पर स्पष्ट विनियमन शामिल हों।
  - सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिये AI-आधारित गिरफ्तारियों और हिरासतों के लिये न्यायिक निगरानी की आवश्यकता है।
  - डेटा गोपनीयता कानून लागू किये जाने चाहिये जो फेशियल रिकॉग्निशन से जुड़े डेटा के स्टोरेज और उपयोग को आवश्यक सीमाओं से परे प्रतिबंधित करें।
- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय:**
  - एथिकल AI उपयोग सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों को AI नैतिकता, पूर्वाग्रह का पता लगाने और मानवाधिकारों में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिये।
  - किसी भी गिरफ्तारी या हिरासत से पहले AI अलर्ट का मैन्युअल सत्यापन अनिवार्य होना चाहिये।
  - एक सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली बनाए जाने चाहिये जिससे नागरिक गलत AI-संचालित प्रवर्तन निर्णयों को चुनौती दे सकें।
- **तकनीकी सुरक्षा:**
  - एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह की पहचान करने और उसे समाप्त करने के लिये नियमित रूप से AI सिस्टम ऑडिट आयोजित किये जाने चाहिये।
  - व्याख्यात्मक AI (XAI) को लागू किया जाना चाहिये ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ ब्लैक-बॉक्स पूर्वानुमान पर निर्भर रहने के बजाय AI निर्णयों को समझ सकें और उन्हें उचित ठहरा सकें।
  - वैकल्पिक AI मॉडल का उपयोग किया जाना चाहिये जो व्यक्तियों को संदिग्ध के रूप में टैग करने से पहले कई सत्यापन चरणों को शामिल करते हैं।

निष्कर्ष

AI-संचालित प्रवर्तन को न्याय, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिये, जबकि सार्वजनिक सुरक्षा को व्यक्तिगत अधिकारों के साथ संतुलित करना चाहिये। सिस्टम को कानून प्रवर्तन में मदद करनी चाहिये, लेकिन नैतिक निर्णय लेने की जगह कभी नहीं लेनी चाहिये। कानूनी सुरक्षा, पारदर्शिता उपायों और पूर्वाग्रह नियंत्रण तंत्रों को लागू करके, AI उत्पीड़न के बजाय न्याय के लिये एक उपकरण के रूप में काम कर सकता है। एक अच्छी तरह से विनियमित AI प्रणाली सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाती है, जबकि यह सुनिश्चित करती है कि कानून प्रवर्तन नैतिक, निष्पक्ष और जिम्मेदार बना रहे।

प्रश्न : डॉ. अंजलि, एक प्रतिबद्ध और ईमानदार आईएएस अधिकारी, हाल ही में राज्य स्वास्थ्य विभाग की निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, उन्हें सरकारी अस्पतालों के लिये जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ पता चलती हैं।

वेंटिलेटर के लिये एक विशेष अनुबंध एक निजी कंपनी को दिया गया था जो सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रही। हाल ही में एक स्वास्थ्य संकट के दौरान तकनीकी खराबी के कारण कई मरीज़ों की जान चली गई। जाँच के दौरान, अंजलि ने पाया कि निविदा प्रक्रिया में हेरफेर कर कंपनी को अनुचित लाभ पहुँचाया गया था। खरीद से संबंधित फाइल उनके पूर्ववर्ती द्वारा संदेहास्पद परिस्थितियों में मंज़ूर की गई थी, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। विभाग के कई कनिष्ठ अधिकारी इन अनियमितताओं से अवगत हैं, लेकिन पेशेवर जोखिम के भय से खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं।

इस बीच, एक वरिष्ठ पत्रकार अंजलि के पास खरीद सौदे में भ्रष्टाचार साबित करने वाले लीक हुए दस्तावेज़ों के साथ पहुँचता है। एक पत्रकार इस खुलासे को प्रकाशित

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

करने के लिये तैयार है, लेकिन वह आगाह करता है कि प्रभावशाली व्यावसायिक और नौकरशाही हित इसे दबाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एक कार्यकर्त्ता समूह तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज करता है।

अंजलि जब विचार-विमर्श करती हैं, तो उन्हें वरिष्ठ नौकरशाहों से राजनीतिक प्रभाव के तहत स्थानांतरण के जोखिम के कारण पिछले निर्णयों पर पुनर्विचार करने से बचने और भविष्य के शासन पर ध्यान केंद्रित करने के लिये सूक्ष्म दबाव मिलता है। कुछ सहकर्मी उन्हें चेतावनी देते हैं कि इस मुद्दे को आक्रामक रूप से उठाने से अचानक तबादला हो सकता है या प्रशासनिक स्तर पर उन्हें हाशिये पर डाला जा सकता है।

1. **इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं?**
2. **एक कर्त्तव्यनिष्ठ सिविल सेवक के रूप में अंजलि के लिये उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिये?**
3. **सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार को रोकने, नौकरशाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और सरकारी संस्थाओं में मुखबिरों की सुरक्षा के लिये कौन-से प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है?**

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : कार्यकुशलता और परिणामों से संचालित विश्व में, क्या सदाचार और नैतिकता अभी भी शासन में प्रासंगिक हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- सदाचार नैतिकता के महत्त्व को संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये।
- शासन में सदाचार नैतिकता की प्रासंगिकता बताइये।
- शासन में सदाचार नैतिकता की चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- सद्गुण नैतिकता को दक्षता के साथ एकीकृत करने वाले मुख्य बिंदु बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

आज की दुनिया में दक्षता और परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, शासन में प्राय: नैतिकता की अपेक्षा परिणामों को प्राथमिकता दी जाती है। हालाँकि भ्रष्टाचार और असमानता जैसी चुनौतियों के बीच सदाचार नैतिकता जो नेतृत्व में नैतिक चरित्र के महत्त्व को उजागर करती है, विश्वास, सत्यनिष्ठा तथा दीर्घकालिक सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करती है, जो धारणीय शासन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

मुख्य भाग:

शासन में सदाचार नैतिकता की प्रासंगिकता

- नैतिक नेतृत्व और निर्णय-निर्माण सुनिश्चित करना: सद्गुणी नेता व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा सार्वजनिक भलाई को प्राथमिकता देते हैं तथा विश्वास एवं जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं।
  - उदाहरण: लाल बहादुर शास्त्री ने एक बड़ी रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे नेतृत्व में ईमानदारी और जवाबदेही का प्रदर्शन हुआ।
- न्याय और निष्पक्षता के साथ दक्षता को संतुलित करना: विशुद्ध रूप से परिणाम-संचालित शासन समानता और समावेशिता की अनदेखी कर सकता है, जिसके लिये सदाचार नैतिकता आवश्यक है।
  - उदाहरण: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता देकर आर्थिक दक्षता को सामाजिक न्याय के साथ संतुलित करते हुए गरीबों के लिये रोज़गार सुनिश्चित करता है।
- प्रशासन में नैतिक ह्रास को रोकना: दक्षता-संचालित दृष्टिकोण भ्रष्टाचार, अल्पकालिकता और सहानुभूति की कमी को बढ़ावा दे सकता है, जिसे सदाचार नैतिकता से कम किया जा सकता है।
  - उदाहरण: अशोक खेमका (IAS अधिकारी), राजनीतिक दबाव के बावजूद भूमि घोटालों को उजागर करने, भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ता और शासन में अल्पकालिकता का प्रदर्शन करने के लिये जाने जाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

शासन में सदाचार नैतिकता की चुनौतियाँ

- त्वरित परिणाम और आर्थिक विकास के लिये दबाव: बाज़ार संचालित शासन प्राय: नैतिक विचार-विमर्श की तुलना में दक्षता को प्राथमिकता देता है।
  - उदाहरण: उद्योगों के लिये पर्यावरणीय अनुमोदन में तेज़ी लाना, पारिस्थितिकी संवहनीयता से समझौता करना।
- प्रशासनिक लालफीताशाही और परिवर्तन का प्रतिरोध: नैतिक शासन के लिये नैतिक साहस की आवश्यकता होती है, जो सख्त प्रशासनिक संरचनाओं के साथ संघर्ष कर सकता है।
  - उदाहरण: सत्येंद्र दुबे जैसे व्हिसलब्लोअर मामले (NHAI में भ्रष्टाचार को उजागर करना) नैतिक शासन के जोखिमों को दर्शाते हैं।
- सदाचार नैतिकता में व्यक्तिपरकता और सांस्कृतिक विविधताएँ: सदाचार का गठन समाजों और राजनीतिक विचारधाराओं में भिन्न हो सकता है।
  - उदाहरण: पश्चिमी व्यक्तिवादी बनाम पूर्वी सामूहिकतावादी नैतिक कार्यढाँचे शासन को विभिन्न तरह से प्रभावित करते हैं।

सदाचार नैतिकता को दक्षता के साथ एकीकृत करना

- शासन में नैतिक तर्क को बढ़ावा देने के लिये लोक सेवकों के लिये नैतिक प्रशिक्षण (जैसे- मिशन कर्मयोगी) आवश्यक है।
- नैतिक शासन को समाहित करने के लिये लोकपाल, RTI और नागरिक चार्टर जैसे संस्थागत ढाँचे।
- आधार और DBT जैसी प्रौद्योगिकी-संचालित पारदर्शिता दक्षता एवं नैतिक वितरण दोनों सुनिश्चित करती है।

निष्कर्ष:

यद्यपि शासन के लिये दक्षता और परिणाम महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी न्याय, समावेशिता एवं दीर्घकालिक सामाजिक कल्याण के लिये सदाचार नैतिकता अपरिहार्य है। एक संतुलित दृष्टिकोण जो दक्षता को नैतिक शासन के साथ एकीकृत करता है, वह धारणीय और जन-केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित कर सकता है।

प्रश्न : "अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन करना अपने आप में अनैतिक है।" विधिक अनुपालन और नैतिक प्रतिरोध की नैतिकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रश्न में उल्लिखित तर्क को उचित ठहराते हुए उत्तर दीजिये।
- अन्यायपूर्ण कानूनों के प्रति नैतिक प्रतिरोध का समर्थन करने वाले तर्क दीजिये।
- अन्यायपूर्ण कानूनों के बावजूद विधिक अनुपालन के तर्कों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- विधिक अनुपालन और नैतिक प्रतिरोध के बीच संतुलन के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

कानून का उद्देश्य न्याय को बनाए रखना है, लेकिन इतिहास से पता चलता है कि विधि व्यवस्थाओं ने कभी-कभी उत्पीड़न को बढ़ावा दिया है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद। इससे एक नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है कि क्या लोगों को अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन करना चाहिये या नैतिक आधार पर उनका विरोध करना चाहिये।

मुख्य भाग:

अन्यायपूर्ण कानूनों के प्रति नैतिक प्रतिरोध का समर्थन करने वाले तर्क

- विधिवाद पर न्याय की प्रधानता: जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत जैसे नैतिक सिद्धांत शासन के मूल के रूप में निष्पक्षता पर ज़ोर देते हैं। निष्पक्षता का उल्लंघन करने वाले कानून (जैसे- जाति-आधारित भेदभाव) वैधता से रहित होते हैं।
  - उदाहरण: महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन ने औपनिवेशिक कानूनों को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि व्यापक नैतिक कल्याण के लिये 'नमक कर' जैसे अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया जाना चाहिये।
- अन्यायपूर्ण कानून लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करते हैं: लोकतंत्र में, विधिक अनुपालन न्याय पर निर्भर होनी चाहिये। असहमति या मानवाधिकारों को दबाने वाले कानूनों (जैसे: राजनीतिक दमन के लिये प्रयोग किये जाने वाले आपातकाल कानून) पर सवाल उठाया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण: आपातकाल (वर्ष 1975-77) के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) जैसे निवारक प्रतिषेध कानूनों के दुरुपयोग के कारण नागरिक समाज, पत्रकारों और राजनीतिक नेताओं द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया जो अन्यायपूर्ण एवं दमनकारी माने जाने वाले कानूनों के प्रति नैतिक प्रतिरोध का उदाहरण था।

- नैतिक विवेक कानूनी अधिकार से ऊपर होता है: जब कानून मौलिक अधिकारों और मानव गरिमा के विपरीत होते हैं तो नैतिक ज़िम्मेदारी कानूनी बाधाओं से ऊपर होती है।
  - उदाहरण: वर्ष 1927 के 'महाड़ सत्याग्रह' में अंबेडकर का नेतृत्व, जहाँ उन्होंने और उनके अनुयायियों ने दलितों को सार्वजनिक जल टैंक का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने वाले स्थानीय कानूनों की अवहेलना की।

अन्यायपूर्ण कानूनों के बावजूद विधिक अनुपालन के लिये तर्क

- विधि का शासन: विधिक अनुपालन समाज की स्थिरता और कामकाज को सुनिश्चित करती है। विधि का शासन व्यवस्था बनाए रखने, अराजकता को रोकने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये मौलिक है कि समाज पूर्वानुमानित रूप से संचालित हो।
  - कानूनों का उल्लंघन, भले ही इसे अन्यायपूर्ण माना जाए, अराजकता का कारण बन सकता है तथा सामाजिक सामंजस्य को कमज़ोर कर सकता है।
- संस्थाओं के माध्यम से कानूनी सुधार: कानूनी प्रणालियों को न्यायपालिका और विधायिका जैसी स्थापित व्यवस्थाओं के माध्यम से विकसित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - विधि की अवज्ञा से समय से पहले ही ये संस्थागत प्रक्रियाएँ कमज़ोर हो सकती हैं और आवश्यक कानूनी सुधारों में विलंब हो सकता है। इन संस्थाओं में शामिल होने से न्याय के लिये अधिक धारणीय उपाय मिल सकता है।
- व्यक्तिगत नैतिकता की असफलता से बचाव: यदि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत नैतिकता के आधार पर यह चुनना पड़े कि उसे किन कानूनों का पालन करना है, तो इससे न्याय का असंगत अनुप्रयोग हो सकता है।
  - इससे ऐसा समाज निर्मित हो सकता है जहाँ व्यक्ति सही और गलत की व्यक्तिपरक व्याख्या के आधार पर कार्य करेंगे, जिससे विधिक सामंजस्य कमज़ोर होगी।
  - उदाहरण: कराधान कानून कुछ समूहों के लिये अनुचित लग सकते हैं, लेकिन चुनिंदा गैर-अनुपालन की अनुमति देने से आर्थिक स्थिरता और शासन व्यवस्था बाधित होगी।

विधिक अनुपालन और नैतिक प्रतिरोध में संतुलन

- अहिंसक सविनय अवज्ञा: नैतिक प्रतिरोध को अन्यायपूर्ण कानूनों को चुनौती देते समय हिंसा और विनाश से बचना चाहिये।
  - उदाहरण: महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह (वर्ष 1930) औपनिवेशिक उत्पीड़न का प्रतिरोध करने का एक शांतिपूर्ण लेकिन शक्तिशाली तरीका था।
- लोकतांत्रिक और कानूनी तंत्र का उपयोग करना: प्रत्यक्ष अवज्ञा के बजाय, व्यक्ति अन्यायपूर्ण कानूनों को बदलने के लिये न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका (PIL) और विधायी वकालत का प्रयोग कर सकते हैं।
  - उदाहरण: भारत में केशवानंद भारती केस (वर्ष 1973) ने मूल संरचना सिद्धांत को जन्म दिया, जिससे संविधान में मनमाने संशोधनों को रोका गया।
- प्राधिकारियों के साथ रचनात्मक वार्ता में शामिल होना: प्रत्यक्ष अवज्ञा के बजाय, परामर्श के माध्यम से नीति निर्माताओं और प्रशासकों के साथ विमर्श करने से नैतिक शासन की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है।
  - उदाहरण: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम (वर्ष 2005) मौजूदा गोपनीयता कानूनों की पूर्ण अवहेलना के बजाय सांसदों के साथ निरंतर वार्ता और संवाद से उभरा है।

निष्कर्ष:

अन्यायपूर्ण कानूनों का आँख मूँदकर पालन करना नैतिक रूप से संदिग्ध है, लेकिन पूर्ण अवज्ञा अव्यवस्था का कारण बन सकती है। आदर्श दृष्टिकोण न्याय, अहिंसा और संवैधानिक साधनों द्वारा निर्देशित सविनय अवज्ञा है। जैसा कि गांधी ने कहा, "एक अन्यायपूर्ण कानून अपने आप में हिंसा का एक प्रकार है। इसके उल्लंघन के लिये गिरफ्तारी और भी अधिक हिंसा है।" इसलिये, विधिक अनुपालन का सदैव नैतिक विवेक और सामाजिक कल्याण के प्रकाश में मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : क्या विवेक नैतिक आचरण के लिये एक अचूक मार्गदर्शक है, या यह सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है? लोक सेवकों के लिये व्यावसायिक नैतिकता के संदर्भ में परीक्षण कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:
- विवेक को परिभाषित करके उत्तर दीजिये।
- विवेक को एक अचूक मार्गदर्शक और सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम के रूप में तर्क दीजिये।
- लोक सेवा में विवेक और नैतिक कार्यढाँचे के बीच संतुलन के लिये उपाय सुझाइये।
- एक अच्छे उद्धरण के साथ अपने उत्तर का समापन कीजिये।

परिचय:

विवेक वह आंतरिक नैतिक दिशासूचक है जो व्यक्तियों को सही और गलत में अंतर करने में मदद करता है। यद्यपि कुछ लोग इसे नैतिक आचरण के लिये एक अचूक मार्गदर्शक मानते हैं, वहीं अन्य लोग तर्क देते हैं कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत परिस्थितियों द्वारा आकार लेता है।

मुख्य भाग:

विवेक एक अचूक मार्गदर्शक के रूप में:
- स्वाभाविक नैतिक भावना: इमैनुअल कांट जैसे दार्शनिक तर्क देते हैं कि विवेक एक अंतर्निहित क्षमता है जो तर्क और सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर नैतिक कार्यों का मार्गदर्शन करती है।
  - इसी प्रकार, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत निष्पक्षता और 'मूल स्थिति' की अवधारणा पर ज़ोर देता है, जहाँ नैतिक और न्यायपूर्ण सिद्धांतों का चयन 'अज्ञानता के आवरण' के पीछे किया जाता है, जिससे निर्णय लेने में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित होती है।
  - निष्पक्ष नैतिक निर्णय: एक सुविकसित विवेक लोक सेवकों को भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रभाव जैसे बाह्य दबावों का विरोध करते हुए ईमानदारी के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है।
- **प्रशासन से उदाहरण:**
  - दिल्ली मेट्रो परियोजना में ई. श्रीधरन का नेतृत्व प्रशासनिक चुनौतियों के बावजूद उनके अखंड नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - भ्रष्टाचार के विरुद्ध अशोक खेमका का रुख प्रणालीगत दबावों के बावजूद आंतरिक नैतिक संहिता के पालन को दर्शाता है।
  - टी.एन. शेषन ने राजनीतिक प्रभाव का विरोध करने में नैतिक साहस का परिचय दिया।

सामाजिक अनुकूलन के परिणाम के रूप में विवेक:
- सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों का प्रभाव: परिवार, शिक्षा और समाज से प्राप्त मूल्य व्यक्ति के नैतिक दृष्टिकोण को आयाम देते हैं।
  - वंशवाद के प्रति सहनशील प्रणाली में पला-बढ़ा एक लोक सेवक अनजाने में पक्षपाती व्यवहार को सही ठहरा सकता है।
- संस्थागत और व्यावसायिक वातावरण: लालफीताशाही संस्कृति, राजनीतिक प्रभाव और साथियों का व्यवहार प्राय: नैतिक निर्णय की क्षमता को प्रभावित करते हैं।

लोक सेवा में विवेक और नैतिक कार्यढाँचे में संतुलन:
- संहिताबद्ध नैतिकता और कानून: लोक सेवकों को अपने अंत: करण को संवैधानिक मूल्यों, विधिक रूपरेखा (जैसे: आचरण नियम) और संस्थागत नैतिकता के अनुरूप संतुलित करना चाहिये।
- प्रशिक्षण और नैतिक अभिविन्यास: व्यावसायिक नैतिकता पर नियमित प्रशिक्षण (उदाहरण के लिये, LBSNAA और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से) लोकतांत्रिक एवं मानवीय सिद्धांतों के अनुरूप विवेक को परिष्कृत करने में मदद करता है।
  - इसमें संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल होना चाहिये।
- नैतिक साहस और चिंतन: एक सुविचारित विवेक, आत्म-चिंतन और साथियों के साथ विचार-विमर्श के साथ मिलकर, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से परे नैतिक निर्णय लेने को सुनिश्चित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष:

"There is no pillow as soft as a clear conscience" — ग्लेन कैंपबेल।

अर्थात् अंत:करण की ईमानदारी और नैतिकता वह मार्गदर्शक होती है, जिसकी दिशा में चलकर व्यक्ति को मानसिक चिंता या अपराधबोध का सामना नहीं करना पड़ता।

यद्यपि नैतिक व्यवहार के लिये विवेक एक महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, फिर भी यह सामाजिक परिस्थितियों के कारण पूर्ण नहीं है। लोक सेवकों के लिये, पेशेवर नैतिकता को व्यक्तिगत या सामाजिक पूर्वाग्रहों के बजाय संवैधानिक नैतिकता, सार्वजनिक सेवा मूल्यों और निरंतर नैतिक प्रशिक्षण द्वारा आयाम दिया जाना चाहिये।

प्रश्न : एक कल्याणकारी राज्य के अपने नागरिकों के प्रति नैतिक दायित्व क्या हैं? भारत के संवैधानिक दर्शन और सामाजिक न्याय नीतियों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए उत्तर दीजिये।
- कल्याणकारी राज्य के नैतिक दायित्वों को गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- नैतिक दायित्वों को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- किसी प्रासंगिक उद्धरण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

एक कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होता है, जो सभी नागरिकों, विशेषकर सीमांत समुदाय के लोगों की भलाई सुनिश्चित करता है।

- कल्याणकारी राज्य में नैतिक शासन के लिये ऐसी नीतियों की आवश्यकता होती है जो समानता, समावेशिता और गरिमा को बढ़ावा दें तथा संसाधनों के उचित वितरण, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा एवं वंचित वर्गों के सशक्तीकरण जैसी नैतिक जिम्मेदारियों के साथ संरेखित हों।

मुख्य भाग:

कल्याणकारी राज्य के नैतिक दायित्व:

- मौलिक अधिकारों और मानव गरिमा का संरक्षण
  - एक कल्याणकारी राज्य को सभी नागरिकों के लिये बुनियादी स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की गारंटी देनी चाहिये।
  - भारत का संवैधानिक आधार:
    - अनुच्छेद 14-18: समानता का अधिकार गैर-भेदभाव सुनिश्चित करता है।
    - अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (गोपनीयता, पर्यावरण संरक्षण आदि के अधिकार को शामिल करने के लिये विस्तारित)।
  - उदाहरण: के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ (गोपनीयता का अधिकार, 2017) जैसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले व्यक्तिगत गरिमा के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता को दृढ़ करते हैं।
- **सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना:**
  - एक कल्याणकारी राज्य को ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना चाहिये तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना चाहिये।
    - रॉल्स का सिद्धांत सीमांत समुदायों के लिये सकारात्मक कार्रवाई का समर्थन करता है।
  - भारत का संवैधानिक आधार:
    - प्रस्तावना: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है।
    - DPSP (राज्य के नीति निदेशक तत्त्व): नीतियों के माध्यम से कल्याण सुनिश्चित करने में राज्य का मार्गदर्शन (अनुच्छेद 38, 39, 41, 43, 46) करते हैं।
  - उदाहरण:
    - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम गारंटीकृत रोज़गार के माध्यम से आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है।
- **संसाधनों का न्यायसंगत वितरण:**
  - नैतिक शासन के लिये समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान की दिशा में धन और अवसरों का पुनर्वितरण आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत का संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 39(b): यह सुनिश्चित करता है कि "भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामान्य भलाई के लिये वितरित किया जाए।"
- उदाहरण: भूमि सुधार, PM किसान सम्मान निधि, PM गरीब कल्याण अन्न योजना और आवश्यक वस्तुओं के लिये सब्सिडी।

- **सीमांत वर्गों का सशक्तीकरण :**
  - एक न्यायपूर्ण कल्याणकारी राज्य वंचित समूहों के उत्थान के लिये सकारात्मक कार्रवाई करता है, तथा राष्ट्रीय प्रगति में समान भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- **भारत का संवैधानिक आधार:**
  - अनुच्छेद 15(4) और 16(4): शिक्षा और रोज़गार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये सकारात्मक कार्रवाई।
  - उदाहरण:
    - अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण नीतियाँ।
- बुनियादी आवश्यकताओं तक सार्वभौमिक अभिगम (स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा):
  - नैतिक शासन के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताएँ प्रदान करना आवश्यक है।
    - उपयोगितावाद अधिकतम सामाजिक लाभ के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली और निशुल्क स्वास्थ्य सेवा जैसी कल्याणकारी योजनाओं को उचित ठहराता है।
- **भारत का संवैधानिक आधार:**
  - अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) और अनुच्छेद 47: सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य।
  - उदाहरण:
    - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP- 2020) समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है।
    - आयुष्मान भारत (PMJAY) कमज़ोर वर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है।
- **पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागितापूर्ण शासन**
  - नैतिक शासन के लिये निर्णय लेने में पारदर्शिता, जवाबदेही और सक्रिय नागरिक भागीदारी आवश्यक है।
  - भारत का संवैधानिक आधार:
    - सूचना का अधिकार (RTI अधिनियम, 2005) पारदर्शिता को सुदृढ़ करता है।
    - पंचायती राज (73वाँ एवं 74वाँ संशोधन) विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देता है।
  - उदाहरण: मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक ऑडिट, केरल में भागीदारीपूर्ण शासन मॉडल।

नैतिक दायित्वों को पूरा करने में चुनौतियाँ

- कार्यान्वयन में अंतराल: कल्याणकारी योजनाएँ प्राय: अकुशलता और भ्रष्टाचार (जैसे: PDS में लीकेज) का सामना करती हैं।
- सामाजिक असमानताएँ: सकारात्मक कार्रवाई के बावजूद, जाति और लिंग आधारित भेदभाव (भारतीय महिलाएँ पुरुषों द्वारा अर्जित प्रत्येक 100 रुपए में से केवल 40 रुपए कमाती हैं) जारी है।
- प्रशासनिक लालफीताशाही: प्रशासनिक अक्षमताएँ कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को धीमा कर देती हैं। (हाल ही में आई मनरेगा रिपोर्ट में भ्रष्टाचार, विलंब से मिलने वाली मज़दूरी, काम की कमी और पात्रता प्राप्त करने में प्रशासनिक बाधाओं के सदर्भ में श्रमिकों की शिकायतों पर प्रकाश डाला गया है।)

निष्कर्ष:

एक कल्याणकारी राज्य को अपने नैतिक दायित्वों को पूरा करने के लिये, शासन निष्पक्षता, गरिमा और समावेशिता पर आधारित होना चाहिये। जैसा कि बी.आर. अंबेडकर ने सही कहा था, ***"किसी भी समाज की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने सबसे कमज़ोर वर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है।"***

इसलिये, एक कल्याणकारी राज्य में नैतिक शासन को केवल प्रशासन से कहीं अधिक न्याय और सशक्तीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : 'लोक प्रशासनिक मूल्य' लोक सेवकों में नैतिक निर्णय लेने की क्षमता को किस प्रकार आकार देते हैं? प्रासंगिक उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- लोक सेवा मूल्यों को परिभाषित करते हुए नैतिक निर्णय लेने में उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिये।
- लोक सेवा और निर्णय लेने से संबंधित नैतिक सिद्धांतों पर चर्चा कीजिये।
- इन मूल्यों को कायम रखने वाले लोक सेवकों के वास्तविक जीवन के उदाहरण प्रस्तुत कीजिये।
- शासन में लोक सेवकों की नैतिक जिम्मेदारी पर बल देते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नीति और नैतिकता में निहित ईमानदारी, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता जैसे लोक सेवा मूल्य लोक सेवकों को न्यायपूर्ण व निष्पक्ष निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं। नैतिक निर्णय लेने में कर्त्तव्य, जन हित और ईमानदारी को संतुलित करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शासन जवाबदेह, पारदर्शी एवं जन-केंद्रित बना रहे।

मुख्य भाग:

- सत्यनिष्ठा ईमानदारी और नैतिक शासन के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देती है, तथा यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या भ्रष्टाचार से मुक्त हों।
  - उदाहरण: लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देकर नेतृत्व में नैतिक जवाबदेही का प्रदर्शन किया।
- उपयोगितावादी नैतिकता अधिकतम लोगों के लिये अधिकतम भलाई पर बल देती है, तथा यह सुनिश्चित करती है कि लोक कल्याण को प्राथमिकता दी जाए।
  - उदाहरण: तेलंगाना में एक IAS अधिकारी ने भूजल स्तर को 6 मीटर तक बढ़ाने में योगदान दिया, जिससे हज़ारों लोगों को स्थायी जल समाधान का लाभ मिला।
- कर्त्तव्य-संबंधी नैतिकता कर्त्तव्य और नैतिक दायित्वों पर केंद्रित होती है, तथा यह सुनिश्चित करती है कि लोक सेवक परिणामों की परवाह किये बिना नैतिक रूप से कार्य करें।
  - उदाहरण: दिल्ली मेट्रो परियोजना के समय पर पूर्ण करने और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में ई. श्रीधरन का नैतिक नेतृत्व कर्त्तव्य-प्रेरित निर्णय लेने को दर्शाता है।
- सहानुभूति सीमांत समुदायों की आवश्यकताओं पर विचार करके और समावेशी शासन सुनिश्चित करके नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देती है।
  - उदाहरण: कर्नाटक में एक IAS अधिकारी ने साक्षरता बढ़ाने के लिये व्यक्तिगत धन का उपयोग करते हुए 17 बस स्टॉप पर निःशुल्क पुस्तकालय स्थापित किये।
- न्याय और निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय निष्पक्ष, समतामूलक तथा भेदभाव या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हों।
  - उदाहरण: पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने यातायात उल्लंघन के लिये VIP पर जुर्माना लगाकर तथा शिक्षा एवं पुनर्वास पहल के साथ तिहाड़ जेल में सुधार करके न्याय को कायम रखा।
- नैतिक सद्गुण चरित्र विकास पर बल देती है, जहाँ लोक सेवक विनम्रता, साहस और लोक सेवा प्रतिबद्धता जैसे नैतिक मूल्यों को अपनाते हैं।
  - उदाहरण: टी.एन. शेषन के चुनाव सुधारों ने चुनावी नैतिकता और निष्पक्षता का सख्त पालन करके लोकतंत्र को सुदृढ़ किया।
- जवाबदेही यह सुनिश्चित करती है कि लोक सेवक अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें, जिससे नैतिक शासन में जनता का विश्वास दृढ़ हो।
  - उदाहरण: IAS अधिकारी अशोक खेमका जिन्हें भूमि सौदों में अनियमितताओं को उजागर करने के कारण बार-बार स्थानांतरण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, व्यक्तिगत परिणामों का सामना करते हुए भी पारदर्शिता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष:

लोक सेवा मूल्य नैतिक दिशा-निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं, जो लोक सेवकों को न्याय, अखंडता और लोक कल्याण को बनाए रखने वाले निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं। नैतिक शासन लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है, विश्वास का निर्माण करता है, और एक निष्पक्ष एवं जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करता है।

प्रश्न : 'बुद्ध का मध्यम मार्ग' निर्णय लेने और शासन में लोक सेवकों के लिये नैतिक कार्यढाँचे के रूप में किस प्रकार काम कर सकता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- दार्शनिक और नैतिक कार्यढाँचे के रूप में बुद्ध के मध्यम मार्ग का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- 'बुद्ध का मध्यम मार्ग' लोक सेवाओं और शासन में नैतिक निर्णय लेने के साथ किस प्रकार संरेखित है। चर्चा कीजिये।
- उदाहरणों, नैतिक सिद्धांतों और शासन सिद्धांतों द्वारा समर्थित व्यावहारिक अनुप्रयोग की विवेचना कीजिये।
- समकालीन प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

'बुद्ध का मध्यम मार्ग' या मध्यमक, अत्यधिक भोगवाद और अत्यधिक कठोरतावाद से बचते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण पर बल देता है। लोक सेवाओं में यह वस्तुनिष्ठता, न्याय और निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करने वाला एक व्यावहारिक नैतिक कार्यढाँचा प्रदान करता है, जो समानता और दीर्घकालिक लोक विश्वास को बढ़ावा देता है।

मुख्य भाग:

शासन में मध्य मार्ग और नैतिक निर्णय-प्रक्रिया

- मध्य मार्ग संयम, व्यावहारिकता और तर्कसंगत सोच का प्रतीक है, जो लोक सेवकों को संतुलित, नैतिक एवं निष्पक्ष निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
- यह कर्त्तव्य-आधारित दृष्टिकोण और सदाचार नैतिकता के साथ संरेखित होता है, तथा शासन में धार्मिक आचरण (धम्म) को बढ़ावा देता है।
- यह संवैधानिक नैतिकता को दर्शाता है तथा किसी भी विचारधारा, वर्ग या समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना निष्पक्ष और समावेशी शासन सुनिश्चित करता है।

लोक सेवाओं में मध्यम मार्ग का अनुप्रयोग:

- **संतुलित नीति निर्माण**
  - लोक सेवकों को आर्थिक विकास को सामाजिक समानता के साथ संतुलित करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विकास सतत् और समावेशी हो।
  - उदाहरण: राष्ट्रीय सौर मिशन, ग्रीन GDP और पंचामृत लक्ष्य जैसी नीतियों के माध्यम से पर्यावरणीय संवहनीयता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना।
- **निर्णय लेने में निष्पक्षता**
  - राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक जड़ता से बचते हुए, अधिकारियों को वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता और निष्पक्षता का पालन करना चाहिये।
  - उदाहरण: टी.एन. शेषन के चुनावी सुधारों ने संवैधानिक प्रावधानों और प्रशासनिक दक्षता को संतुलित किया तथा लोकतांत्रिक अखंडता को कायम रखा।
- **संघर्ष समाधान और आम सहमति निर्माण**
  - मध्यम मार्ग टकराव के स्थान पर संवाद को बढ़ावा देता है, जो विवादों को सुलझाने और सहकारी शासन सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - उदाहरण: NITI आयोग का सहकारी संघवाद दृष्टिकोण राज्य की स्वायत्तता और केंद्रीय निगरानी के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे सामंजस्यपूर्ण नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।
- **भ्रष्टाचार मुक्त एवं नैतिक प्रशासन**
  - अत्यधिक शक्ति अधिनायकवाद की ओर ले जाती है, जबकि अत्यधिक उदारता अकुशलता की ओर ले जाती है। अतएव एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।
  - उदाहरण: DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) जैसी ई-गवर्नेंस पहल, प्रशासनिक विवेकाधिकार के बिना कल्याणकारी वितरण सुनिश्चित करते हुए लीकेज को कम करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सहानुभूति के साथ सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा करना**
  - लोक सेवकों को प्रक्रियात्मक दक्षता और करुणा के बीच संतुलन बनाना चाहिये, तथा प्रशासनिक लालफीताशाही के बिना प्रभावी सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिये।
  - उदाहरण: IAS अधिकारी आर्मस्ट्रांग पाम की एक सुदूर क्षेत्र में सड़क निर्माण की पहल, जिसमें लोक कल्याण और प्रक्रियात्मक अनुपालन के बीच संतुलन स्थापित किया गया।

शासन में मध्यम मार्ग का समर्थन करने वाले नैतिक सिद्धांत

- अरस्तू का स्वर्णिम मध्य मार्ग: सद्गुणों में संयम को प्रोत्साहित करता है, जो अतिवाद से बचने पर मध्य मार्ग के बल के साथ प्रतिध्वनित होता है।
- रॉल्स का न्याय सिद्धांत: निष्पक्षता को अपनाते हुए यह सुनिश्चित करता है कि सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों को कोई नुकसान न पहुँचे।

निष्कर्ष:

बुद्ध का मध्यम मार्ग लोक सेवकों के लिये एक नैतिक दिशा-निर्देशक के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें न्यायसंगत, समावेशी और निष्पक्ष शासन की ओर मार्गदर्शन करता है। जटिल नैतिक दुविधाओं के युग में, संयम, अखंडता और निष्पक्षता पर इसका बल दीर्घकालिक प्रशासनिक धारणीयता एवं सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करता है।

प्रश्न : नैतिक नेतृत्व में करुणा और व्यावहारिकता दोनों आवश्यक हैं। एक नेता किस प्रकार नैतिक मूल्यों से समझौता किये बिना इन परस्पर विरोधी आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक नेतृत्व की विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- करुणा और व्यावहारिकता के बीच संघर्ष।
- करुणा और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाने की रणनीतियों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

नैतिक नेतृत्व की विशेषता ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही है। नैतिक नेताओं के लिये प्रमुख चुनौती करुणा (सहानुभूति, दयालुता और जनहितकारी निर्णय) और व्यावहारिकता (यथार्थवाद, दक्षता और परिणाम-केंद्रित शासन) के बीच संतुलन बनाए रखना है।

मुख्य भाग:

करुणा और व्यावहारिकता के बीच संघर्ष:

- करुणा नैतिक विचारों, मानवीय मूल्यों और व्यक्तिगत कल्याण पर ज़ोर देती है।
  - व्यावहारिकता परिणाम, दक्षता और व्यापक भलाई को प्राथमिकता देती है, जिसके लिये कभी-कभी कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।
- एक नेता को ऐसी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है जहाँ एक को दूसरे के ऊपर चुनना अपरिहार्य लग सकता है।
  - उदाहरण: महात्मा गांधी ने अहिंसा (करुणा) को बढ़ावा दिया, फिर भी उन्होंने भारत के स्वशासन के लिये ब्रिटिश विश्वास प्राप्त करने हेतु प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की भर्ती का समर्थन करने जैसे व्यावहारिक निर्णय लिये।

करुणा और व्यावहारिकता में संतुलन की रणनीतियाँ

- **नैतिक निर्णय लेने का ढाँचा**
  - काण्टीय नैतिकता (कर्त्तव्य-आधारित) और उपयोगितावाद (अधिकतम लोगों के अधिकतलियेम भलाई) जैसे दार्शनिक सिद्धांतों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है कि निर्णय नैतिक रूप से सही होने के साथ-साथ व्यावहारिक भी हों।
  - उदाहरण: रंगभेद के बाद प्रतिशोध के स्थान पर मेल-मिलाप का प्रयास करने का नेल्सन मंडेला का निर्णय - न्याय (व्यावहारिकता) और क्षमा (करुणा) के बीच संतुलन स्थापित करना।
- **संदर्भ-संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना**
  - नेताओं को मूल नैतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए परिस्थितिजन्य मांगों के आधार पर रणनीति अपनानी चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण: अब्राहम लिंकन ने दासता को समाप्त कर दिया (करुणा), लेकिन संघ एकता को बचाए रखने के लिये शुरुआत में पूर्ण मुक्ति में देरी की (व्यावहारिकता)।

- **जन-केंद्रित शासन**
  - नीतियों में तात्कालिक राहत (करुणा) और दीर्घकालिक स्थिरता (व्यावहारिकता) के बीच संतुलन होना चाहिये।
  - उदाहरण: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (कोविड-19 के दौरान खाद्य सुरक्षा) ने तत्काल संकट को संबोधित किया, जबकि आत्मनिर्भर भारत ने आर्थिक पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित किया।
- **नैतिक संचार और पारदर्शिता**
  - एक नेता को अपने निर्णयों को ईमानदारी से व्यक्त करना चाहिये तथा कठिन निर्णय लेने पर भी जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिये।
  - उदाहरण: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया तथा आकांक्षापूर्ण नेतृत्व (करुणा) और तकनीकी उन्नति (व्यावहारिकता) दोनों को सुनिश्चित किया।
- **नैतिक नेतृत्व को संस्थागत बनाना**
  - नैतिक संहिता, जवाबदेही तंत्र और समावेशी निर्णय-निर्माण जैसे नियंत्रण एवं संतुलन स्थापित करने से नैतिक मूल्यों तथा दक्षता दोनों को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
  - उदाहरण: लोक सेवा आचार संहिता परिणामोन्मुखी प्रशासन को सक्षम करते हुए निष्पक्षता और अखंडता को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष:

नैतिक नेतृत्व के लिये जटिल शासन चुनौतियों से निपटने के लिये बुद्धिमता, अनुकूलनशीलता और नैतिक दिशा-निर्देश की आवश्यकता होती है। नैतिक तर्क, पारदर्शिता और दीर्घकालिक दृष्टि द्वारा निर्देशित संतुलित दृष्टिकोण को अपनाकर, एक नेता नैतिक मूल्यों से समझौता किये बिना करुणा एवं व्यावहारिकता दोनों को बनाए रख सकता है।

प्रश्न : समकालीन लोक प्रशासन में अरस्तू की सद्गुण नैतिकता कितनी प्रासंगिक है? नैतिक शासन को सुनिश्चित करने में सद्गुणों के विकास की क्या भूमिका है? **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- अरस्तू के सद्गुण नैतिकता के बारे में जानकारी देकर उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- लोक प्रशासन में अरस्तू के सद्गुण नैतिकता की प्रासंगिकता बताइये।
- नैतिक शासन के लिये सद्गुणों के विकास के उपायों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

अरस्तू की सद्गुण नैतिकता नैतिक निर्णय लेने के लिये चरित्र, नैतिक गुणों और व्यावहारिक ज्ञान (***फ्रोनेसिस***) को आवश्यक मानती है। लोक प्रशासन के संदर्भ में, जहाँ अधिकारी नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं, सद्गुण नैतिकता व्यक्तिगत ईमानदारी, ज़िम्मेदारी और निष्पक्षता को विकसित करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करती है, जिससे सुशासन सुनिश्चित होता है।

मुख्य भाग:

लोक प्रशासन में अरस्तू के सद्गुण नैतिकता की प्रासंगिकता:

- **चरित्र और ईमानदारी**
  - ईमानदारी, साहस और न्याय जैसे गुणों वाले लोक प्रशासक, कानूनों और नियमों का पालन करने के अलावा नैतिक निर्णय लेने को भी सुनिश्चित करते हैं।
  - उदाहरण: एक आईएएस अधिकारी द्वारा अनैतिक परियोजनाओं को मंज़ूरी देने के लिये राजनीतिक दबाव का विरोध करना ईमानदारी को दर्शाता है।
- **स्वर्णिम मध्य मार्ग को बढ़ावा देना (निर्णय लेने में संयम)**
  - अरस्तू ने अतिवाद (कमी या अधिकता) से बचने और निर्णय में संतुलन बनाए रखने की वकालत की।
    - शासन में प्रशासकों को अधिकार और सहानुभूति, पारदर्शिता और गोपनीयता, दक्षता तथा समावेशिता के बीच संतुलन बनाना चाहिये।
  - उदाहरण: एक पुलिस अधिकारी मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **व्यावहारिक बुद्धि का विकास (फ्रोनेसिस)**
  - जटिल शासन परिदृश्यों में नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिये लोक सेवकों को व्यावहारिक बुद्धिमता का प्रयोग करना चाहिये।
  - उदाहरण: आपदा प्रबंधन के दौरान सिविल सेवकों को निर्णायक तथा सहानुभूतिपूर्वक कार्य करना चाहिये (यदि आवश्यक हो तो लोगों को बलपूर्वक निकालना तथा मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना)।
- **सार्वजनिक विश्वास और नैतिक नेतृत्व**
  - जब प्रशासक सद्गुणों को अपनाते हैं, तो वे नागरिकों का विश्वास अर्जित करते हैं, जिससे वैधता और शासन प्रभावशीलता बढ़ती है।
  - उदाहरण: ई. श्रीधरन ("भारत के मेट्रो मैन") ने पेशेवर उत्कृष्टता, ईमानदारी और जवाबदेही का प्रदर्शन किया, जिससे सार्वजनिक परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित हुआ।
- **नियम-आधारित अनुपालन पर दीर्घकालिक संस्थागत नैतिकता**
  - जबकि कानून और आचार संहिता न्यूनतम नैतिक मानदंड निर्धारित करते हैं, सद्गुण नैतिकता लिखित नियमों से परे आंतरिक नैतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है।
  - उदाहरण: एक नौकरशाह बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, भले ही कानून मामूली पर्यावरणीय समझौतों की अनुमति देता हो।

नैतिक शासन के लिये सद्गुणों का विकास

- **प्रशिक्षण और नैतिक संवेदनशीलता**
  - सार्वजनिक अधिकारियों को निष्पक्षता, साहस और विनम्रता जैसे गुणों को विकसित करने के लिये नैतिक प्रशिक्षण।
  - उदाहरण: LBSNAA का नैतिकता मॉड्यूल और मिशन कर्मयोगी नैतिक तर्क तथा नेतृत्व पर ज़ोर देता है।
- **रोल मॉडल और मेंटरशिप**
  - नैतिक नेताओं से सीखने से सद्गुण-आधारित शासन की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण: टीएन शेषन (पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त) ने राजनीतिक दबावों के बावजूद चुनावी शुचिता बरकरार रखी।
- **नैतिक आचरण को संस्थागत बनाना**
  - सद्गुणी आचरण को सुदृढ़ करने के लिये आचार समितियाँ, लोकपाल कार्यालय और मुखबिर सुरक्षा की स्थापना करना।
  - उदाहरण: लोकपाल अधिनियम सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाकर ईमानदारी को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

अरस्तू की सद्गुण नैतिकता समकालीन लोक प्रशासन में अत्यधिक प्रासंगिक बनी हुई है, क्योंकि शासन केवल कानूनों के बारे में नहीं है, बल्कि प्रशासकों के नैतिक चरित्र के बारे में भी है। सद्गुणों को विकसित करके, सार्वजनिक अधिकारी विश्वास, जवाबदेही और नैतिक शासन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे न्यायपूर्ण तथा ज़िम्मेदार प्रशासन सुनिश्चित होता है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निबंध

प्रश्न : एक समाज तभी महान बनता है जब वृद्ध व्यक्ति ऐसे वृक्ष लगाते हैं, जिनकी छाँव में वे स्वयं कभी बैठ नहीं पाते हैं।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- महात्मा गांधी: *"स्वयं की खोज़ का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में स्वयं को समर्पित कर देना।"*
- वॉरेन बफेट: *"कोई आज छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया होगा।"*

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **अंतर-पीढ़ीगत उत्तरदायित्व और नैतिक परोपकारिता:**
  - यह उद्धरण एक न्यायपूर्ण और संधारणीय समाज को आयाम देने में नि:स्वार्थ सेवा और दीर्घकालिक दृष्टि पर ज़ोर देता है।
  - इमैनुअल कांट जैसे दार्शनिक नैतिक कर्त्तव्य का तर्क देते हैं जो तात्कालिक स्वार्थ से परे है।
  - जॉन रॉल्स की कृति 'वील ऑफ इग्नोरेंस' में सुझाव दिया गया है कि एक न्यायपूर्ण समाज की संरचना भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिये।
- **सतत् विकास और विरासत निर्माण:**
  - संधारणीयता इस विचार का विस्तार है — आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक नीतियों में भावी पीढ़ियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - ब्रुन्डलैंड रिपोर्ट (वर्ष 1987) सतत् विकास को 'भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना' के रूप में परिभाषित करती है।
- **राष्ट्र निर्माण और नागरिक कर्त्तव्य की भावना:**
  - प्रगति का तात्पर्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं बल्कि सामूहिक विकास से है।
  - प्लेटो के रिपब्लिक में, एक आदर्श समाज वह है जहाँ प्रत्येक पीढ़ी अधिक से अधिक भलाई में योगदान देती है, भले ही उन्हें सीधे लाभ न हो।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **सामाजिक सुधार और भविष्योन्मुखी नीतियाँ:**
  - अस्पृश्यता उन्मूलन (भारत) – बी.आर. अंबेडकर जैसे नेताओं ने सामाजिक रूप से समावेशी भारत के लिये कार्य किया, भले ही वे जानते थे कि सामाजिक परिवर्तन में पीढ़ियाँ लग जाएंगी।
  - सार्वभौमिक शिक्षा (19वीं-20वीं सदी के सुधार) – कई देशों में अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने वाले कानूनों ने समाजों का परिवर्तन कर दिया, हालाँकि प्रारंभिक पीढ़ियों को इसका पूरा लाभ नहीं मिला।
- **भावी विकास के लिये बुनियादी अवसंरचना और आर्थिक आधार:**
  - भारत में हरित क्रांति (1960 का दशक) - ऐसी नीतियाँ जो दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, जिससे भावी पीढ़ियों को लाभ मिलता है।
  - स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना (भारत, 2000 का दशक) - एक विशाल बुनियादी अवसंरचना परियोजना जो आगामी दशकों के लिये आर्थिक विकास को सुगम बनाएगी।
- **पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई:**
  - चिपको आंदोलन (1970 का दशक, भारत) - एक समुदाय द्वारा संचालित पर्यावरण आंदोलन जिसने भावी पीढ़ियों के लिये वनों की रक्षा की।
  - पेरिस जलवायु समझौता (वर्ष 2015) - जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये वैश्विक सहयोग, जिसका प्राथमिक लाभार्थी भावी पीढ़ियाँ होंगी।

समकालीन उदाहरण:

- भारत की आधार परियोजना – भावी पीढ़ियों के लिये एक दीर्घकालिक डिजिटल पहचान प्रणाली।
- अंतरिक्ष अन्वेषण ((ISRO, NASA, SpaceX पहल) - अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निवेश जो वर्तमान पीढ़ी को लाभ नहीं पहुँचाएगा लेकिन भविष्य को आयाम देगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : विवेक रहित प्रगति में केवल छद्म विनाश निहित होता है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- *"नैतिक साधनों के बिना प्रगति के लक्ष्य अधूरे हैं।"*
- अल्बर्ट आइंस्टीन: *"तकनीकी प्रगति एक विक्षिप्त अपराधी के हाथ में कुल्हाड़ी की तरह है।"*
- महात्मा गांधी: *"मानवता के बिना विज्ञान सात सामाजिक अपराधों में से एक है।"*

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **नैतिक प्रगति बनाम लापरवाह उन्नति:**
  - सच्ची प्रगति तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक उन्नति को नैतिक उत्तरदायित्व के साथ संतुलित करती है।
  - जॉन स्टुअर्ट मिल (उपयोगितावाद) जैसे विचारक इस बात पर बल देते हैं कि प्रगति से सामूहिक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिये, न कि केवल भौतिक लाभ में।
- **अनियंत्रित औद्योगीकरण और उपभोक्तावाद के खतरे:**
  - कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद की लोगों की अपेक्षा लाभ को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति के बारे में चेतावनी दी थी, जिसके कारण शोषण, असमानता और पर्यावरण क्षरण होता है।
  - पारिस्थितिकीय अतिक्रमण- आधुनिक औद्योगिक सभ्यता संसाधनों को असंवहनीय रूप से नष्ट कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप निर्वनीकरण, जलवायु परिवर्तन और सामूहिक विलुप्ति जैसे संकट उत्पन्न हो रहे हैं।
- प्रौद्योगिकी और नैतिकता - एक दोधारी तलवार:
  - AI और स्वचालन– हालाँकि वे उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वे नौकरी के नुकसान, नैतिक दुविधाओं और डिजिटल निगरानी को भी जन्म देते हैं।
  - परमाणु ऊर्जा - विद्युत ऊर्जा उत्पादन और सामूहिक विनाश (हिरोशिमा और नागासाकी) दोनों के लिये उपयोग की जाती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **अनैतिक प्रगति विनाश की ओर ले जाती है:**
  - औपनिवेशिक शोषण (18वीं-20वीं शताब्दी) - साम्राज्यवादी शक्तियों की आर्थिक प्रगति मानवीय पीड़ा और स्वदेशी संस्कृतियों के विनाश की कीमत पर हुई।
  - शस्त्र दौड़ (शीत युद्ध काल) - हथियारों में तकनीकी प्रगति ने शांति के बजाय वैश्विक असुरक्षा को जन्म दिया।
- **सतत् विकास के लिये नैतिक प्रगति:**
  - सर्वोदय का गांधीवादी दर्शन (सभी का कल्याण) - मानवीय मूल्यों को नुकसान पहुँचाए बिना आर्थिक विकास का समर्थन करता है।
  - कल्याणकारी राज्य का स्कैंडिनेवियाई मॉडल - मानव सम्मान, शिक्षा और पर्यावरणीय संवहनीयता को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है।

समकालीन उदाहरण:

- **जलवायु परिवर्तन और अनियमित विकास की लागत:**
  - अमेज़न में निर्वनीकरण (2020 के दशक) - आर्थिक विस्तार से जैवविविधता का अपरिवर्तनीय ह्रास हो रहा है।
  - दिल्ली और बीजिंग में वायु प्रदूषण - अनियंत्रित शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो रहा है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और जैव प्रौद्योगिकी में नैतिक दुविधाएँ:**
  - जीन संपादन (CRISPR प्रौद्योगिकी) - सुजननिकी, जैव नैतिकता और आनुवंशिक हेरफेर के अनपेक्षित परिणामों के संदर्भ में प्रश्न उठाता है।
- **सतत् प्रगति मॉडल:**
  - हरित ऊर्जा पहल (जर्मनी का एनर्जीवेंडे, भारत का सौर मिशन) - आर्थिक विकास को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ जोड़ना।

भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कानून - यह सुनिश्चित करना कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने के बजाय सामाजिक कल्याण में योगदान दें।

प्रश्न : यदि सीढ़ी गलत दिशा में लगी हो, तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- स्टीफन आर. कोवे: "यदि सीढ़ी सही दीवार के सहारे नहीं टिकी है, तो हमारा हर कदम हमें तेज़ी से गलत जगह पर पहुँचा देगा।"
- हेनरी डेविड थोरो: "व्यस्त रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है: "हम किस काम में व्यस्त हैं?"

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- प्रगति में उद्देश्य और दिशा का महत्त्व:
  - उद्देश्य की स्पष्टता के बिना प्रगति से व्यर्थ प्रयास और अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं।
  - जीन-पॉल सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी दार्शनिक इस बात पर बल देते हैं कि मानवीय क्रियाएँ सचेत विकल्प और अर्थ द्वारा निर्देशित होनी चाहिये।
  - बौद्ध दर्शन नैतिक कार्य के एक अनिवार्य भाग के रूप में सही उद्देश्य (सम्यक संकल्प) पर बल देता है।
- महत्त्वाकांक्षा और सफलता में नैतिक विचार:
  - अनैतिक कार्य में यदि सफलता मिल भी जाए, तो यह अंततः पतन (जैसे: कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, पर्यावरण शोषण) की ओर ले जाते हैं।
  - अरस्तू की यूडेमोनिया की अवधारणा इस बात पर प्रकाश डालती है कि वास्तविक सफलता समग्र कल्याण पर आधारित होती है, न कि केवल भौतिक उपलब्धि पर।
  - भगवद्गीता हमें सफलता की आसक्ति के बिना, सही उद्देश्य के साथ कर्त्तव्य करने की शिक्षा देती है।
- सामाजिक और आर्थिक समानताएँ— विकास बनाम सार्थक विकास:
  - समावेशिता के बिना आर्थिक विकास असमानता और सामाजिक अशांति को जन्म देता है।
  - GDP बनाम हैप्पीनेस इंडेक्स डिबेट- देशों को न केवल आर्थिक प्रगति पर बल्कि कल्याण और स्थिरता पर भी केंद्रित होना चाहिये।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- पथभ्रामक नीतियाँ और उनके परिणाम:
  - सबप्राइम मॉर्गेज संकट (वर्ष 2008): लाभ की तात्कालिक प्राप्ति की लापरवाह खोज ने वैश्विक आर्थिक पतन को जन्म दिया।
  - अनियोजित शहरीकरण: तीव्र लेकिन अव्यवस्थित शहरी विकास के परिणामस्वरूप प्रदूषण, झुग्गी बस्तियाँ और निम्नस्तरीय जीवन स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - औपनिवेशिक वाणिज्यवाद: उपनिवेशों के अल्पकालिक आर्थिक शोषण के कारण दीर्घकालिक गरीबी और अविकसितता उत्पन्न हुई।
- रणनीतिक एवं सुनियोजित दृष्टिकोण:
  - भारत की श्वेत क्रांति: पश्चिमी मॉडलों की अंधी नकल के बजाय डेयरी उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित।
  - स्कैंडिनेवियाई कल्याण मॉडल: आर्थिक सफलता को सामाजिक सुरक्षा के साथ मिलाकर संतुलित और सतत् विकास सुनिश्चित करना।
  - जापान की युद्धोत्तर औद्योगिक नीति: अल्पकालिक औद्योगिक लाभ की तुलना में दीर्घकालिक तकनीकी उन्नति और शिक्षा को प्राथमिकता दी गई।

समकालीन उदाहरण:

- कॉर्पोरेट और व्यावसायिक रणनीतियाँ:
  - स्टार्टअप और यूनिकॉर्न बूम: कई स्टार्टअप इसलिये असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दीर्घकालिक संधारणीयता के बजाय मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं।
- पर्यावरण एवं जलवायु नीतियाँ:
  - भारत का नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा: कोयला-चालित औद्योगिकीकरण पर निर्भर रहने के बजाय स्थिरता की ओर बढ़ना।

प्रश्न : नक्शे के बिना यात्री भटक सकता है, लेकिन जिज्ञासा के बिना वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- अल्बर्ट आइंस्टीन: "मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है। मैं केवल उत्सुकता से जिज्ञासु हूँ।"
- जे.आर.आर. टोल्किन: "वे सभी लोग जो भटकते हैं, खोए हुए नहीं हैं।"
- कन्फ्यूशियस: "वास्तविक ज्ञान अपनी अज्ञानता की सीमा को जानना है।"

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- योजना और अन्वेषण के बीच संतुलन:
  - जिज्ञासा के बिना एक दृढ़ योजना (कार्यढाँचा) सीमित विकास की ओर ले जाती है, जबकि दिशा के बिना जिज्ञासा का परिणाम अराजकता है।
  - स्टोइक दर्शन (मार्कस ऑरेलियस): यह न केवल योजना को प्रोत्साहित करता है, बल्कि अनिश्चितता का सामना करने के लिये अनुकूलनशीलता को भी प्रोत्साहित करता है।
- नवाचार और प्रगति – जिज्ञासा की भूमिका:
  - लियोनार्डो दा विंची के आविष्कार मौजूदा ज्ञान के प्रति दृढ़ निष्ठा की बजाय अतृप्त जिज्ञासा से उपजे थे।
  - अंतरिक्ष अन्वेषण (ISRO, NASA: यद्यपि ब्लूप्रिंट (कार्यढाँचा) आवश्यक हैं, किंतु अज्ञात की खोज से ही सफलता प्राप्त होती है।
- शिक्षा और ज्ञान – पाठ्यक्रम से परे अधिगम:
  - सुकरात की पद्धति: रटने की बजाय प्रश्न पूछने (जिज्ञासा) को प्रोत्साहित करती है।
  - रवींद्रनाथ टैगोर का शांतिनिकेतन मॉडल: कठोर शैक्षणिक मानदंडों की तुलना में स्वतंत्र सोच वाली शिक्षा का समर्थन किया जाता है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- दिशा के अभाव के कारण विफलताएँ (मैपलेस वांडरर्स):
  - डॉट-कॉम बबल (1990-2000 का दशक): बिना किसी ठोस बिज़नेस मॉडल के अति उत्साही स्टार्टअप नवीन विचारों के बावजूद ध्वस्त हो गए।
- जिज्ञासा की कमी के कारण विफलताएँ (कार्यढाँचे पर अत्यधिक निर्भरता):
  - कोडक और नोकिया का पतन: कंपनियों ने विद्यमान मॉडलों (कार्यढाँचों) का अनुसरण किया, लेकिन तकनीकी बदलावों (भविष्य के रुझानों के बारे में जिज्ञासा) को नजरअंदाज़ कर दिया।
- संरचना और जिज्ञासा में संतुलन से सफलताएँ:
  - भारत का आईटी बूम (1990-2000 का दशक): संरचित नियोजन (सरकारी नीतियों) और जिज्ञासा से प्रेरित उद्यमशीलता के मिश्रण ने सॉफ्टवेयर सेवाओं में वैश्विक नेतृत्व को जन्म दिया।
  - सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी योजना: इसमें एक संरचित नगर योजना थी, साथ ही भूगोल और व्यापार गतिशीलता के लिये नवीन अनुकूलन भी था।

समकालीन उदाहरण:

- प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता:
  - गूगल की 20% नवाचार समय नीति: कर्मचारियों को जिज्ञासा-संचालित परियोजनाओं पर समय बिताने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे Gmail जैसे नवाचारों को बढ़ावा मिलता है।
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नैतिकता पर बहस: जबकि संरचित दिशानिर्देश (कार्यढाँचा) आवश्यक हैं, नैतिक विचारों और अज्ञात घटकों के लिये जिज्ञासा-संचालित अन्वेषण की आवश्यकता होती है।
- वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य:
  - चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI): भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुकूल प्रतिक्रियाओं के साथ संयुक्त एक दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि (कार्यढाँचा)।

प्रश्न : उद्देश्य की खोज के बिना प्रगति की खोज निरर्थक है।

प्रश्न : दृष्टि बिना कर्म अधूरी कल्पना है, जबकि कर्म बिना दृष्टि दिशाहीन प्रयास है।

प्रश्न : उद्देश्य की खोज के बिना प्रगति की खोज निरर्थक है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- विक्टर फ्रैंकल: *"जीवन कभी भी परिस्थितियों के कारण असहनीय नहीं होता, बल्कि केवल अर्थ और उद्देश्य की कमी के कारण असहनीय होता है।"*
- अल्बर्ट श्वित्ज़र: *"सफलता खुशी की कुंजी नहीं है। खुशी सफलता की कुंजी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, तो आप सफल होंगे।"*

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- प्रगति और उद्देश्य के बीच अंतर-संबंध:
  - उद्देश्य के बिना प्रगति, पतवार के बिना जहाज़ की तरह है - दिशाहीन और विनाश की ओर प्रवृत्त।
  - जीन-पॉल सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी दार्शनिक तर्क देते हैं कि व्यक्तियों को अपना अर्थ स्वयं परिभाषित करना चाहिये, क्योंकि केवल बाह्य प्रगति से ही पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती।
  - बौद्ध दर्शन, सार्थक प्रगति के लिये मार्गदर्शक शक्ति के रूप में ***धर्म*** - धार्मिक कर्त्तव्य पर ज़ोर देता है।
- नैतिक विचार – किस कीमत पर प्रगति?
  - तकनीकी और आर्थिक प्रगति को नैतिक और मानवीय मूल्यों के अनुरूप होना चाहिये।
  - अरस्तू की "स्वर्णिम मध्य" की अवधारणा बताती है कि किसी भी लक्ष्य की अधिकता या कमी असंतुलन की ओर ले जाती है।
  - भगवद्गीता ***निष्काम कर्म*** (नि:स्वार्थ कार्य) की शिक्षा देती है - जहाँ कार्य के पीछे का उद्देश्य परिणाम से अधिक मायने रखता है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- गुमराह प्रगति - जब उद्देश्य की अनदेखी की जाती है:
  - औपनिवेशिक शोषण: यूरोपीय उपनिवेशीकरण से औपनिवेशिक शक्तियों के लिये आर्थिक विकास हुआ, लेकिन स्वदेशी समाज तबाह हो गया।
  - पर्यावरणीय अवनति: औद्योगिक क्रांति ने मानव प्रगति को बढ़ावा दिया, लेकिन इससे गंभीर पारिस्थितिक क्षति भी हुई, जो आज जलवायु परिवर्तन के रूप में स्पष्ट है।
  - अनैतिक AI विकास: नैतिक सुरक्षा उपायों के बिना कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तेज़ी से प्रगति से नौकरी छूटने, गलत सूचना और निगरानी की चिंताएँ बढ़ती जा रही हैं।
- उद्देश्य के साथ प्रगति – सार्थक विकास के मामले अध्ययन:
  - महात्मा गांधी का स्वदेशी आंदोलन: अंधाधुंध औद्योगीकरण के बजाय आत्मनिर्भरता और स्थिरता पर केंद्रित था।
  - स्कैंडिनेवियाई कल्याण मॉडल: डेनमार्क और स्वीडन जैसे देश आर्थिक प्रगति को सामाजिक कल्याण के साथ संतुलित करते हैं, जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित होता है।
  - भारत की हरित क्रांति: इसका लक्ष्य केवल कृषि उत्पादकता ही नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता भी है।

समकालीन उदाहरण:

- व्यापार और कॉर्पोरेट नैतिकता:
  - स्टार्टअप बनाम सतत् विकास: कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप दीर्घकालिक संवहनीयता के बजाय मूल्यांकन का पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पतन होता है।
  - टाटा समूह का नैतिक व्यवसाय मॉडल: औद्योगिक विस्तार के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता देता है।
- सामाजिक एवं पर्यावरण नीतियाँ:
  - सकल राष्ट्रीय खुशी (भूटान): यह केवल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर नहीं, बल्कि खुशहाली पर आधारित प्रगति को मापता है।
  - नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण: जर्मनी (एनर्जीवेंडे) जैसे देश केवल औद्योगिक विकास के बजाय सतत् विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

2. बिना कार्य के दृष्टि एक स्वप्न है; बिना दृष्टि के कार्य एक दु:स्वप्न है

या दृष्टि बिना कर्म अधूरी कल्पना है, जबकि कर्म बिना दृष्टि दिशाहीन प्रयास है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- जोएल ए. बार्कर: *"कार्य के बिना दृष्टि केवल एक स्वप्न है। बिना दृष्टि के कार्रवाई केवल समय बर्बाद करती है। कार्य के साथ दृष्टि दुनिया को बदल सकती है।"*
- हेलेन केलर: *"अंधे होने से भी बदतर बात है— दृष्टि होना, परंतु दृष्टि का न होना।"*
- सन त्ज़ु: *"रणनीति के बिना रणनीति हार से पहले का शोर है।"*

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- सार्थक कार्रवाई के लिये दूरदर्शिता की आवश्यकता:
  - दृष्टि दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है - इसके बिना कार्य अव्यवस्थित और अप्रभावी हो जाते हैं।
  - प्लेटो की 'दार्शनिक राजा' अवधारणा का तर्क है कि नेताओं के पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करने के लिये बुद्धि (दूरदर्शिता) होनी चाहिये।
  - कौटिल्य का अर्थशास्त्र कार्यान्वयन से पहले रणनीतिक सोच पर ज़ोर देता है - दृष्टि और कार्रवाई के बीच अंतर-संबंध पर प्रकाश डालता है।
- दूरदर्शिता के बिना कार्रवाई के खतरे:
  - अनियोजित शहरीकरण: उचित योजना के बिना तीव्र विकास से भीड़भाड़, प्रदूषण और अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - रणनीति के बिना युद्ध और आक्रमण: वियतनाम युद्ध और सोवियत-अफगान युद्ध जैसे उदाहरण दीर्घकालिक दृष्टि के बिना सैन्य हस्तक्षेप को उजागर करते हैं।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- दूरदर्शिता की कमी के कारण विफलताएँ:
  - डॉट-कॉम बबल (1990-2000 का दशक): कंपनियाँ संधारणीय राजस्व मॉडल के बिना इंटरनेट कारोबार में उतर गईं।
  - नोकिया का पतन: अल्पकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन स्मार्टफोन क्रांति को नजरअंदाज़ किया, जिससे बाज़ार में अग्रणी स्थान खो दिया।
- सशक्त दृष्टिकोण के बावजूद कार्रवाई की कमी के कारण विफलताएँ:
  - संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते: यद्यपि वैश्विक अभिकर्त्ता जलवायु लक्ष्यों पर सहमत हैं, फिर भी कार्यान्वयन धीमा बना हुआ है।
  - क्रियान्वयन के बिना दूरदर्शी विचार: भारत की 1960 के दशक की पंचवर्षीय योजनाओं में महत्त्वाकांक्षी औद्योगिक दृष्टिकोण थे, लेकिन प्रशासनिक अकुशलता ने प्रगति को धीमा कर दिया।
- दृष्टि और कार्रवाई में संतुलन से सफलताएँ:
  - ISRO का अंतरिक्ष कार्यक्रम: दीर्घकालिक दृष्टिकोण (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता) तथा स्थिर क्रियान्वयन (चंद्रयान, मंगलयान)।
  - भारत की IT क्रांति: दूरदर्शी नेतृत्व (नरसिम्हा राव, नंदन नीलेकणी) के साथ-साथ कार्रवाई (आर्थिक उदारीकरण, IT अवसंरचना विकास)।
  - टेस्ला की सफलता: संधारणीय परिवहन के संबंध में एलन मस्क के दृष्टिकोण को निरंतर नवाचार और कार्यान्वयन का समर्थन प्राप्त है।

समकालीन उदाहरण:

- व्यापार और नवाचार:
  - गूगल की मूनशॉट परियोजनाएँ: स्वचालित कार और AI अनुसंधान जैसी दूरदर्शी परियोजनाएँ भविष्य की सोच को ठोस कार्रवाई के साथ संरेखित करती हैं।
- शासन और नीति:
  - भारत की डिजिटल क्रांति: UPI और आधार जैसी पहलों द्वारा समर्थित डिजिटल रूप से सशक्त समाज (डिजिटल इंडिया) का दृष्टिकोण।

प्रश्न : वास्तविक आनंद अंतिम लक्ष्य से नहीं बल्कि जीवन की यात्रा में निहित है।

प्रश्न : पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने के लिये दायित्वों का निष्पक्ष वितरण आवश्यक है।

प्रश्न : वास्तविक आनंद अंतिम लक्ष्य से नहीं बल्कि जीवन की यात्रा में निहित है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये ये उद्धरण:

- "आनंद कोई पड़ाव नहीं है जिस पर आप पहुँचते हैं, बल्कि यह यात्रा का एक तरीका है।" - मार्गरिट ली रनबेक
- "सफलता एक यात्रा है, कोई मंज़िल नहीं। प्राय: काम करना परिणाम से ज़्यादा महत्त्वपूर्ण होता है।" - आर्थर ऐश
- "यात्रा का एक अंत होना अच्छी बात है; लेकिन अंत में यात्रा ही मायने रखती है।" - उर्सुला के. ले गिनी

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

दार्शनिक परिप्रेक्ष्य:

- सुकरात, बुद्ध और लाओ त्ज़ु जैसे प्राचीन दार्शनिकों ने भौतिकवादी उपलब्धियों की तुलना में आंतरिक संतुष्टि पर अधिक बल दिया।
- ज़ेन बौद्ध धर्म और वेदांत जैसी पूर्वी परंपराएँ लक्ष्य निर्धारण के बजाय सजगता और वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता पर बल देती हैं।
- अरस्तू की ***यूडेमोनिया*** (उत्कर्ष) की अवधारणा यह बताती है कि आनंद एक अंतिम बिंदु नहीं बल्कि सदाचारी जीवन जीने की एक सतत् प्रक्रिया है।

मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य:

- वयस्क विकास पर हार्वर्ड के "ग्रांट अध्ययन" से पता चलता है कि दीर्घकालिक खुशी वित्तीय सफलता के बजाय सार्थक संबंधों और व्यक्तिगत विकास से प्राप्त होती है।
- तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान से पता चलता है कि डोपामाइन, "हैप्पीनेस केमिकल", लक्ष्य प्राप्त करने के बजाय लक्ष्य की खोज़ के दौरान जारी होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लोग एक उपलब्धि हासिल करने के बाद अस्थायी संतुष्टि महसूस करते हैं, लेकिन जल्द ही नए लक्ष्यों की तलाश करने लगते हैं।
- "हेडोनिक ट्रेडमिल" की अवधारणा यह बताती है कि मनुष्य नई उपलब्धियों के प्रति शीघ्रता से अनुकूलित हो जाता है, जिससे स्थायी आनंद निरंतर व्यक्तिगत संलग्नता पर निर्भर हो जाता है।

सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य:

- फिनलैंड और डेनमार्क जैसे स्कैंडिनेवियाई देश 'वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट' में सर्वोच्च स्थान पर हैं, तथा वे अपने आनंद का श्रेय केवल आर्थिक समृद्धि के बजाय सामाजिक सुरक्षा, कार्य-जीवन संतुलन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृढ़ भावना को देते हैं।
- अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी कॉर्पोरेट वातावरण में रहने वाले लोग प्राय: वित्तीय सफलता प्राप्त करने के बावजूद थकान और असंतोष का अनुभव करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि केवल बाह्य लक्ष्य ही स्थायी आनंद सुनिश्चित नहीं करते हैं।

व्यक्तिगत विकास और सफलता:

- एलन मस्क और स्टीव जॉब्स जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अंतिम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अधिगम, सृजन और नवाचार करने के प्रति अपने प्रेम के बारे में बात की है।
- कई ओलंपिक खिलाड़ी पदक जीतने के बाद उपलब्धि-पश्चात अवसाद का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी पूरी पहचान एक ही लक्ष्य से जुड़ी होती है, जो केवल मंजिल के बजाय प्रक्रिया का आनंद लेने के महत्त्व को दर्शाता है।

सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिप्रेक्ष्य:

- गांधीजी का मानना था कि नैतिक साधन उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने वांछित लक्ष्य। उन्होंने सत्य, अहिंसा और नैतिक अखंडता पर बल दिया और कहा कि न्यायपूर्ण लक्ष्य अनैतिक या अन्यायपूर्ण तरीकों से हासिल नहीं किये जा सकते।
  - महात्मा गांधी का दर्शन कि "मार्ग ही लक्ष्य है" इस विचार के साथ संगत है कि पूर्णता किसी विशिष्ट उपलब्धि से नहीं, बल्कि यात्रा से मिलती है।

प्रश्न : पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने के लिये दायित्वों का निष्पक्ष वितरण आवश्यक है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- "हमें पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है; बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है।"
- "हमारी पृथ्वी के लिये सबसे बड़ा खतरा यह विश्वास है कि कोई और इसे बचा लेगा।" - रॉबर्ट स्वान

नैतिक एवं न्यायिक परिप्रेक्ष्य:

- अंतर-पीढ़ीगत समता की अवधारणा कहती है कि भावी पीढ़ियों को स्थायी संसाधनों वाले ग्रह को विरासत में पाने का अधिकार है और आज के कार्यों से उनकी भलाई को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिये।
- महात्मा गांधी की विचारधारा - "पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिये पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं करती" - जिम्मेदार उपभोग और निष्पक्ष पर्यावरणीय प्रबंधन के महत्त्व पर प्रकाश डालती है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

- विकसित देश, जो ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिये जिम्मेदार हैं, को जलवायु परिवर्तन को कम करने में अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिये, जैसा कि पेरिस समझौते में "साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों" के सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत और ब्राज़ील जैसे देशों सहित ग्लोबल साउथ का तर्क है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर समान उत्सर्जन कटौती लागू करना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि उन्हें औद्योगिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता है।
- तुवालु और मालदीव जैसे छोटे द्वीपीय राष्ट्र, जो जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान देते हैं, बढ़ते समुद्री स्तर से असमान रूप से प्रभावित होते हैं तथा औद्योगिक देशों से तत्काल जलवायु कार्रवाई की मांग करते हैं।

आर्थिक परिप्रेक्ष्य:

- स्वीडन और कनाडा जैसे दृढ़ पर्यावरण नीतियों वाले देशों ने कार्बन कर एवं हरित प्रोत्साहन लागू किये हैं, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि आर्थिक समृद्धि एवं संवहनीयता एक साथ संभव है।
- जीवाश्म ईंधन उद्योग, जो 70% से अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिये जिम्मेदार है, को सख्त नियमों और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर निवेश को स्थानांतरित करके अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिये।
- व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के बजाय बड़ी कंपनियाँ निर्वनीकरण, प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण में प्राथमिक योगदानकर्त्ता हैं, जिससे वैश्विक जलवायु नीतियों में कंपनियों का उत्तरदायित्व आवश्यक हो गया है।

सामाजिक एवं मानवीय परिप्रेक्ष्य:

- सीमांत समुदाय, जैसे अमेज़न की मूल जनजातियाँ और भारत के किसान, प्राय: निर्वनीकरण, जल की कमी और जलवायु आपदाओं का खामियाज़ा भुगतते हैं, जबकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान में उनका योगदान सबसे कम होता है।
- भोपाल गैस त्रासदी (वर्ष 1984) और फ्लिंट जल संकट (अमेरिका) जैसी पर्यावरणीय आपदाएँ इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि किस प्रकार समाज के कमज़ोर वर्ग औद्योगिक लापरवाही से पीड़ित हैं तथा कठोर पर्यावरणीय न्याय नीतियों की आवश्यकता पर बल देती हैं।
- भारत में, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग प्राय: अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ स्वच्छ जल की बहुत कम सुलभता होती है, जो पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक असमानता के बीच संबंध को दर्शाता है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिप्रेक्ष्य:

- हरित प्रौद्योगिकी में अग्रणी देशों, जैसे जर्मनी की एनर्जीवेंडे पहल, ने दर्शाया है कि सही नीतियों और निवेशों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन संभव है।
- भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का उद्देश्य विकासशील देशों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सहायता करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना तथा सतत् ऊर्जा तक न्यायसंगत अभिगम को बढ़ावा देना है।
- स्मार्ट शहरी नियोजन पहल, जैसे कि सिंगापुर के हरित भवन विनियम और जापान के आपदा-प्रतिरोधी शहर मॉडल, आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिये रूपरेखा प्रदान करते हैं।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :